खण्ड-354, अंक-2
बुधवार, 14 माघ, शक संवत् 1903
(3 फरवरी, 1982 ई0)

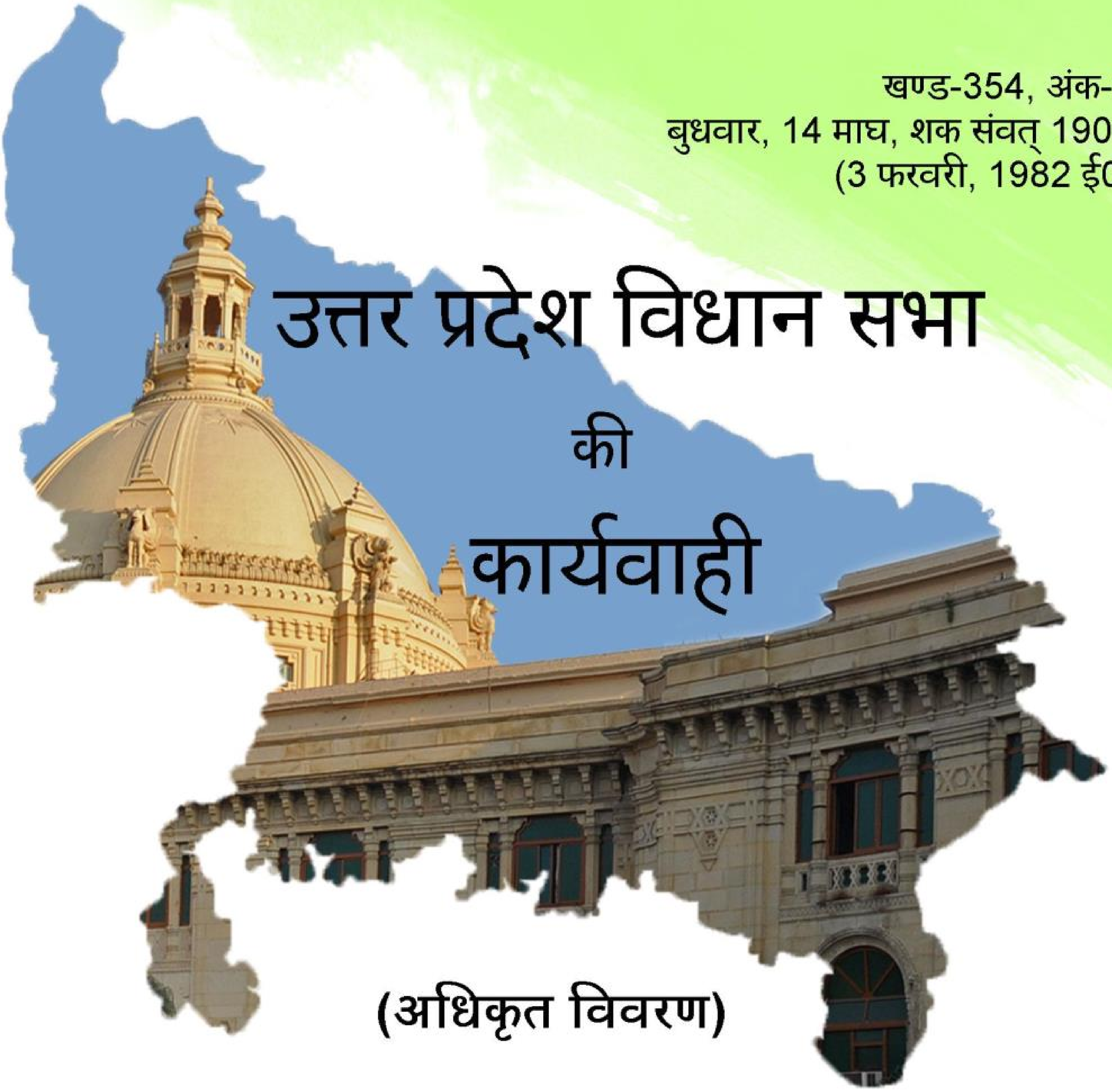

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	201—204
प्रश्नोत्तर	..	205—272
फैजाबाद रोड, लखनऊ स्थित एच० ए० एल० कारखाने द्वारा ग्राम सूखूपुर कसैला की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा किसानों को न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	272
इंडस्ट्रियल गैस फैक्ट्री, कानपुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	272—273
खादी बोर्ड मुख्यालय, कानपुर में गबन तथा कम्बलों की चोरी तथा निर्दोष कर्मचारियों को फंसाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	273—274
[illegible]मतगढ़, जिला आजमगढ़ के किसानों का गन्ना चीनी मिलों द्वारा क्रय न किए जाने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	274
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरः स्थापित किया गया)	..	274—275
कतिपय विषय	..	
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	..	275
1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	..	276—331
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	..	331—332
ग्राम जहांगीराबाद और जटपुरा के बीच में काशीपुर-मुरादाबाद रोड पर बस के लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	332—336
नत्थियां	..	337—342

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उदयन प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--325

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)

जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
बल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू, उर्फ दीप नारायण श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)

भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मो० जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
रामकृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
रामकृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन, लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
रामस्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)

रूप राम सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नारायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्री नाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सूखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलोत, श्री (गाजियाबाद)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित, (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 3 फरवरी, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

महाराजगंज क्षेत्र में नहरों व नालों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*1--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में सिंचाई विभाग (नहर) से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का 9 मई, 1981 का पत्र शिकायत रूप में मिला है जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति उन्होंने अपने अ0 शा0 प0 सं0 1695, दिनांक 21 अप्रैल, 1981 द्वारा किया है? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां, प्राप्त हुआ है । यह पत्र दिनांक 9 मार्च, 1981 का है ।

उक्त पत्र में महाराजगंज क्षेत्र से सम्बन्धित नहरों व नालों के सम्बन्ध में कई सुझाव व मांगें दर्शायी गई हैं । साथ ही कार्य सम्बन्धी कुछ शिकायतें भी हैं ।

कार्य सम्बन्धी शिकायतों की जांच की जा रही है तथा नियमानुसार कार्यवाही हो रही है ।

अतिरिक्त पुल, साइफन तथा कुलाबा की मांगों का परीक्षण किया जा रहा है ।

महाराजगंज नहर कालोनी के मंदिर पर कोई पुजारी मस्टर रोल पर नहीं रखा गया है । श्री शुक्ला सहायक अभियन्ता द्वारा सजातीय लोगों को लाभ पहुंचाने की शिकायत सही नहीं है । नहरों की सफाई आवश्यकतानुसार की गई है । निर्मित नहरों के अन्तर्गत ली गई भूमि का मुआवजा देने हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को आवश्यक धन उपलब्ध करा दिया गया है तथा नियमानुसार मुआवजा उनके द्वारा बांटा जायगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन कार्यों की शिकायत की गई है, वे कार्य कौन-कौन हैं और उनकी जांच की प्रगति क्या है ? दूसरी बात जो असिस्टेंट इंजीनियर राघव प्रसाद शुक्ला हैं जिनके बारे में कहा गया है कि सजातीय लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचाते । तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि महाराजगंज जहां वह रहते हैं वहां से कुछ दूर मुडराकलां में उनकी सगी बहन रहती है जहां शादी हुई है तो वहां कई बार सीमेंट, लोहा आदि सामान जाता रहा और मेरे कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा तथा माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अयोध्या प्रसाद पाडेन्य जो नहर विभाग में प्रमुख ठेकेदार हैं, उनके क्या रिश्तेदार नहीं हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है । अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें यही है कि ऐसी कोई बात नहीं है । जहां तक किन लोगों के बारे में शिकायतें हैं तो फिरंगी प्रसाद जी ने एप्लीकेशन में दिया है उन सब के बारे में तथा सहायक अभियन्ता के बारे में और जो अन्य कर्मचारी हैं उनके बारे में जांच एक के द्वारा जो दूसरे सर्किल के हैं, उनसे कराई जा रही है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जिस इंजीनियर के विषय में मैं कह रहा हूं यानी राघव प्रसाद शुक्ला के ससुर यूनिवर्सिटी में रीडर हैं । जब मैंने शिकायत की तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के कुछ गुंडों को मुझे गोरखपुर बस स्टेशन पर अपमानित करने के लिए भेजा गया । इस तरह से उनके रहते मेरा स्पष्ट आरोप है कि 7 जुलाई और 3 जनवरी को जो जांच हुई उसमें 82 बोरे सीमेंट की बिक्री हुई जिसकी मैंने बही भी पकड़ी जिसमें राघव प्रसाद शुक्ला को तीन हजार रुपया देने की बात है । मैं मंत्री जी से स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि इस बात की मांग मैंने विधान सभा में और सिंचाई स्थायी समिति की बैठक में भी उठा चुका हूं । वह बहुत लूट रहे हैं, बहुत धन कमा रहे हैं जिसकी एक साल से जांच हो रही है तो उसकी क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जिन बातों की शिकायत की गई थी कि ईंटें खराब लगाई गई, सीमेंट ठीक नहीं लगाया गया तो उस सब की जांच हो रही है अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है । आज जिन बातों की तरफ शिकायत की गई है उसके बारे में लिख कर दे देंगे तो उसकी भी जांच करा लेंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहते हुए जानना चाहता हूं कि राघव प्रसाद शुक्ला के बारे में कई बार आया कि जांच चल रही है तो वह बहुत दिनों से चल रही है बड़ा दबाव पड़ रहा है, तो क्या मंत्री जी पहले इन जांचों के आधार पर उनको हटा कर इसकी जांच करवा लेंगे ? यदि नहीं तो क्यों, उनको क्या आपत्ति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह जांच हो रही है और एस० ई० उसको देख रहे हैं प्रारम्भिक जांच में ही कोई गलत बात मिल गई तो उनका ट्रान्सफर ही नहीं दूसरी भी कार्यवाही की जाएगी और तीन महीने के समय में हम इसको देखवा लेंगे ।

ब्लाक मीरगंज, जिला बरेली में राजकीय नलकूपों की नालियों पर मरम्मत कार्य

*2--श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि ब्लाक मीरगंज, जिला बरेली में राजकीय ट्यूबवेलों की नालियों की जर्जर दशा को देखते हुए क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने हेतु निर्देश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ब्लाक मीरगंज, जिला बरेली में राजकीय नलकूपों की नालियों की जर्जर दशा नहीं है। इस ब्लाक में कार्यरत 37 राजकीय नलकूपों पर कुल 65.87 कि0मी0 पक्की गूलें तथा 41.07 कि0मी0 पाइप लाइन निर्मित हैं जिनकी टूट-फूट की मरम्मत प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में 2.30 कि0मी0 पक्की गूलों की मरम्मत कराई गई है तथा 0.64 कि0 मी0 पक्की गूलों की मरम्मत प्रगति पर है। शेष गूलों एवं पाइप लाइन सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं।

गोंडा-फैजाबाद मार्ग पर स्थित ग्राम ढुढियापार में बस स्टेशन खोलने की मांग

*3--श्री धरम पाल (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23 मार्च, 1979 को तत्कालीन परिवहन मन्त्री ने गोंडा-फैजाबाद मार्ग पर गोंडा से 30 कि0 मी0 पर स्थित ग्राम ढुढियापार में बस स्टेशन खोलने का आदेश दिया था? यदि हां, तो क्या बस स्टेशन खुला? यदि नहीं, तो क्यों? और उसके कब खुल जाने की सम्भावना है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तत्कालीन परिवहन मन्त्री जी ने गोंडा-फैजाबाद मार्ग पर स्थित ग्राम ढुढियापार में बस स्टेशन खोलने को कोई आदेश नहीं दिया था, बल्कि उसे प्रार्थना पर स्टाप घोषित किये जाने हेतु आदेश दिये थे जिसे घोषित किया जा चुका है फेयर बस स्टाप के खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

लोक दल के सत्याग्रही, श्री गौरी शंकर यादव की शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में मृत्यु

*4--श्री सन्तबक्स रावत--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक दल के सत्याग्रही, श्री गौरी शंकर यादव आत्मज मोहन लाल, निवासी समाधानपुर, जनपद लखनऊ जो धारा 107/117 के अन्तर्गत राजनैतिक बन्दी के रूप में केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध थे, का दिनांक 31-10-81 को निधन हो गया? यदि हां, तो निधन किन परिस्थितियों में हुआ? क्या मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है?

जेल मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जी हां।

श्री गौरी शंकर यादव, पेचिस से पीड़ित थे जिसका इलाज 26-9-1981 से 16-10-1981 तक केन्द्रीय कारागार वाराणसी के चिकित्सालय में किया गया। दिनांक 16-10-1981 को उन्हें श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरण किया गया जहां वे पीठ में दर्द तथा खांसी की चिकित्सा के लिए भेजे गये थे। यथासंभव उत्तम चिकित्सा व देखरेख के बावजूद उनकी दशा बिगड़ती गई और दिनांक 21-10-1981 को 11-30 बजे पूर्वान्ह उनकी मृत्यु हो गई। उनकी लाश की पोस्टमार्टम जांच 22-10-1981 को की गई। जांच में मृत्यु का कारण "सीवियर एनिमिया एन्ड केरिटोनाइटिस ड्यू टू रपचर आफ स्टमक" बताया गया है।

श्री सन्त बक्स रावत--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 21-10-81 को उनकी शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में मृत्यु हो गई तो उस समय उनका पेचिश का इलाज हो रहा था या पीठ दर्द व खांसी का इलाज हो रहा था ? क्या मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि वहां के चिकित्सा अधिकारी ने यह बताया था कि इनके खून की कमी है और इन्हें खून की आवश्यकता है, जिसके लिए जेल अधिकारियों ने रुपया भी भेजा था, लेकिन फिर भी उनको खून न चढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उनको शुरू में जेल में पेचिश हुई थी, फिर उन्होंने पीठ दर्द बताया तो उसकी विस्तृत और विशेषज्ञों से जांच कराने के लिए उन्हें शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय, वाराणसी भेजा गया और जब वहां पर उनके खून की कमी बताई गई और खून निःशुल्क देने वाले उपलब्ध नहीं थे तो जेल वालों से कहा गया और इसके लिए उन्होंने 300 रुपया भेज दिया और 21 तारीख को उनको खून चढ़ाया गया ।

श्री सन्त बक्स रावत--

मेरी यह निश्चित जानकारी है कि जिस समय की यह घटना है उस समय चार सौ से अधिक लोकदल के कार्यकर्त्ता वाराणसी में बन्दी थे, लेकिन उनको कोई सूचना इस बारे में नहीं दी गई कि उनकी पार्टी के एक बन्दी को खून की जरूरत है, तो यह कहना गलत है कि खून देने को कोई तैयार नहीं था । फिर जिला जेल अधिकारी की ओर से पैसा भी भेजा गया, फिर भी वह उनके नहीं चढ़ा । तो जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण खून की कमी बताया गया है यह शासन की लापरवाही का द्योतक है । अतः क्या मंत्री जी इस 35 वर्षीय गौरी शंकर यादव के आश्रितों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

एक लाख की सहायता आप देंगे, यह वह पूछ रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसके बारे में विचार कर लिया जाएगा ।

श्री मोहन सिंह--

यह एक गम्भीर घटना है कि किसी शान्तिपूर्ण सत्याग्रही की गिरफ्तारी के दरम्यान प्रशासकीय और विभागीय लापरवाही से इस तरह मृत्यु हो जाए। जब राजीव गांधी कानपुर में आए थे, तो फाटक बनाते समय उनके एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई थी तो उसको एक राजकोष से इतनी सहायता की गई थी, तो एक राजनीतिक सत्याग्रही जो किन्हीं मुद्दों पर जेल गया था और आपकी लापरवाही से मर गया और उसके परिवार वालों को उससे मुलाकात भी नहीं हो सकी, वह लखनऊ का रहने वाला था, तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रितों को एक लाख की सहायता न देने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

सारी परिस्थितियों को देखकर, इसमें कोई लापरवाही बरती गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहां आज जो आर्थिक सहायता का जिक्र हुआ है, इस पर विचार करके यथासम्भव सहायता करने का प्रयास किया जाएगा ।

श्री सन्त बक्स रावत--

जिस समय श्री गौरी शंकर अस्पताल में भर्ती हुए, उनकी देखरेख के लिए वार्डरों के अलावा कोई नहीं था, जबकि सत्याग्रहियों में इन्हीं के संग चाचा जेल में बन्दी थे और उन्होंने जेल अधिकारियों से प्रार्थना की थी कि हमें उनकी सेवा सुश्रुषा के लिए भेज दिया जाए, किन्तु उन्हें नहीं भेजा गया। तो जिन अधिकारियों ने उनको उनके पास नहीं भेजा, क्या आप उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसको मैं दिखवा लूंगा, उन्होंने मांग की थी और नहीं भेजा गया, तो मैं अवश्य देखूंगा ।

[बुधवार, 3 फरवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री ऊदल--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सेवा निवृत्त करने के आदेश

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति के तत्वावधान में सरकारी अनुदान से संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की पृष्ठ भूमि में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के आदेश शासन ने जारी कर दिये हैं और उक्त स्कूल को अधिग्रहीत किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी किस तिथि से सेवामुक्त कर दिये गये हैं तथा स्कूल को कब तक शासन अधिग्रहीत कर लेगा ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी नहीं । प्रश्नगत स्वैच्छिक संस्था द्वारा तीन कर्मचारियों सर्वश्री रविदत्त शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, राजेन्द्र मिश्रा, प्रधानाचार्य तथा श्रीमती कनकलता मिश्रा, चपरासी को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरान्त सेवा मुक्त किया गया है ।

जी नहीं ।

श्री राजेन्द्र मिश्रा को 30-6-79 से, श्री रविदत्त शर्मा को 31-3-81 से, श्रीमती कनकलता को 30-6-81 से सेवा मुक्त किया गया ।

अधिग्रहण करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह संस्था श्री परिपूर्णानन्द वर्मा द्वारा संचालित है, जो माननीय सम्पूर्णानन्द जी के भाई हैं, इस संस्था को कई लाख रुपये का प्रति वर्ष सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, सन् 59 से लेकर बराबर जो शतप्रतिशत सरकारी अनुदान पर संस्था चल रही है, और जिसके बारे में आडिट आपत्तियां भी आई थीं जो लाखों रुपये की थीं, लेकिन 59 से लेकर अब तक किसी आपति का उस संस्था द्वारा समाधान भी नहीं किया गया और उसके बाद भी मंत्री जी यह कह रहे हैं कि उसके अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता। तो क्या वह यह बताएंगे कि आपने आश्रम पद्धति पर ही आधारित इलाहाबाद के एक स्कूल को अधिग्रहीत किया और मोहन स्थित लखनऊ के एक स्कूल का भी अधिग्रहण किया, तो उसी रूप से तमाम गम्भीर आपत्तियों को देखते हुए और उक्त संस्था के द्वारा उसके कर्मचारियों और छात्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार को देखते हुए इस पर विचार करेंगे कि इसका अधिग्रहण कर लिया जाए ?

श्री गुलाब सेहरा--

अधिग्रहण या ग्रहण करने के लिए न तो छात्रों, न अध्यापकों ने लिखकर अभी तक दिया है और न किसी व्यक्ति ने इसके लिए लिखकर दिया है। इसलिए विचार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा--

(अगला प्रश्न लेने पर) अभी मेरे आधे हिस्से का ही उत्तर हुआ है, अभी मैं और प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक श्री राजेन्द्रनाथ मिश्र के बारे में आपने बताया कि उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है, इसके पहले मंत्री जी ने यह बताया है कि राजेन्द्रनाथ मिश्र की जन्मतिथि पता लगाई जा रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब श्री मिश्र की जन्मतिथि के बारे में जानकारी नहीं है तो उस संस्था में इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई थी ?

श्री अध्यक्ष--

अब तो यह सेवा मुक्त हो गये, नियुक्ति चाहे जिस आधार पर हुई हो। इसका कहां सवाल है ?

आश्रम पद्धति हरिजन बालिका विद्यालय, लखनऊ में विषाक्त भोजन के खाने से बालिकाओं की मृत्यु

*3--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति हरिजन बालिका विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ में 13 अगस्त, 1981 को विषैले भोजन के खाने से लगभग 50 बालिकायें गंभीर रूप से बीमार हो गयीं और तदुपरान्त उनमें से चार की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस कांड के लिए कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, लखनऊ की 189 बालिकाओं में से 32 बालिकाय बीमार हुई थीं जिनमें 8 साधारण रूप से तथा 24 गंभीर रूप से बीमार हुईं । इन बालिकाओं को उपचार हेतु स्थानीय चिकित्सालयों में भेजना पड़ा । 18 बालिकायें मेडिकल कालेज अस्पताल में भेजी गयी थीं उनमें से 10 बालिकाओं को भर्ती कर लिया गया था और 8 बालिकाओं को, जो परीक्षणोपरान्त भर्ती योग्य नहीं पाई गई थीं, उन्हें दवाइयां देकर वापस भेज दिया गया था । शेष 14 बीमार बालिकाओं को कालरा अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया था । मेडिकल कालेज में भर्ती 10 बालिकाओं में से 4 की मृत्यु हो गयी थी और 6 बालिकायें स्वस्थ होकर वापस आ गई थीं । कालरा अस्पताल, लखनऊ में भर्ती सभी 14 बालिकायें उपचारोपरान्त स्वस्थ होकर वापस आ गई थीं । इस प्रकार की कोई रिपोट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है कि 4 बालिकाओं की मृत्यु विषैले भोजन के कारण हुई थी । इस घटना के लिये दोषी पाये गये अधिकारी और कर्मचारी विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती प्रेम कुमारी शुक्ला, छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती सुमन मिश्रा तथा गृह माता श्रीमती शारदा शर्मा को निलम्बित कर दिया गया है । इस घटना की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है । विद्यालय के छात्रावास भवन की सफाई आदि की समुचित व्यवस्था करा दी गयी है । इसके अतिरिक्त विद्यालय में फ्लश लेट्रिन, सैप्टिक टैंक तथा अलग से एक रसोई घर आदि की व्यवस्था कराई जा रही है ।

श्री भोखा लाल--

13 अगस्त, 1981 को विषैला भोजन करने के उपरान्त इन लड़कियों की हालत खराब हुयी जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया । इनमें से 2 की मृत्यु 13 तारीख को, एक की 14 तारीख को और 1 की 15 तारीख को हो गयी । इस प्रकार से 4 बालिकाओं की मृत्यु हो गयी । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन बालिकाओं का पोस्टमार्टम करवाया गया और क्या इनके विसरा का कमिकल एक्जामिनेशन हुआ ? यदि हां, तो क्या उसमें विषाक्त भोजन खाने की रिपोर्ट आयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

कैमिकल एक्जामिनर की जो रिपोर्ट है उसमें अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि विषैले भोजन से बीमार हुयी थीं । हमने उस खाद्यान्न को जो स्टाक में था, जांच के लिए भेजा है । वहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और विसरा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यह तय हो पायेगा कि वे बालिकायें विषैले भोजन से मरी हैं या अन्य किसी कारण से ।

श्री भोखा लाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब अभी तक यह मालूम नहीं हो पाया कि मृत्यु के क्या कारण थे तो किन कारणों से इन अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? उनकी क्या लापरवाही पायी गयी जिसके कारण उनको निलम्बित किया गया ? प्रारम्भिक जांच में क्या कारण पाये गये ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्रारंभिक जांच में अस्पतालों में पहुंचाने, तिमाही स्वास्थ्य परीक्षा न कराने के उत्तरदायित्व में उनकी लापरवाही पायी गयी । इस कारण से भोजन व्यवस्था से लेकर छात्रावास तक में रहने से जो सम्बन्धित अधिकारी थे, उनको निलंबित किया गया है कि उनकी लापरवाही के कारण यह घटना क्यों हुयी ?

श्री रियासत हुसैन--

जो बच्चियां मेडिकल कालेज और अन्य अस्पतालों में भर्ती हुयीं तो वहां के डाक्टरों का क्या डाइगनोसिस रहा है ? क्या उनकी राय रही ? उनके मरने के क्या कारण रहे, क्या वे कारण आपके सामने आये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जैसा मैंने निवेदन किया इस घटना की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायी जा रही है और जो डाक्टरी रिपोर्ट आयीं हैं वे उनको दे दी गयी हैं लेकिन माननीय सदस्य के सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि यह घटना मेरे मंत्रि-परिषद् में आने के पहले की है । इस घटना के बाद हमने यह फैसला किया है कि खाद्यान्न सामग्री जो भी खरीदी जाय वह सरकारी एजेन्सी से ही खरीदी जाय, प्राइवेट सेक्टर से न खरीदी जाय । दूसरे यह तय किया गया है कि जो इमारतें खराब हैं इन संस्थाओं की, उनको कल्याण भवन के रूप में बनवाया जाये । एक काम हमने यह भी किया है कि गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया है जो समय-समय पर देखरेख का काम करेंगे और तिमाही रिपोर्ट सरकार को दिया करेंगे ।

मेरठ जिले के मवाना कस्बे में हरिजन छात्रावास के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

*4--श्री रियासत हुसैन--

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि सन् 1972 में मेरठ जिले के मवाना कस्बे में हरिजन छात्रावास के निर्माण हेतु 62,000 रुपया स्वीकृत किया गया था परन्तु कोई छात्रावास नहीं बना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

वर्ष 1970-71, 1971-72 व 1972-73 में मेरठ जिले के मवाना कस्बे में एक स्वैच्छिक संस्था को हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु कुल 30,200 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसमें से 19,200 रु0 का भुगतान किया गया ।

उक्त धनराशि से 8 कमरों का निर्माण हुआ था केवल तीन कमरों पर छत नहीं पड़ी । इसी बीच विद्युत् परिषद् ने उक्त भवन तथा भूमि को अधिग्रहित कर लिया इसी कारणवश शेष स्वीकृत धन नहीं दिया गया और छात्रावास का निर्माण न हो सका ।

किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि 19 हजार रुपया इसके लिए दिया गया और छात्रावास बना जो अधूरा है और उसे बिजली वालों ने ले लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब उस छात्रावास के स्थान पर कहीं दूसरी जगह छात्रावास बनाया जायेगा, उसकी कोई योजना है ?

श्री गुलाब सेहरा--

भवन जो यह बनते हैं उनमें 90 प्रतिशत रुपया अनुदान के रूप में होता है और 10 प्रतिशत व्यक्ति या संस्था खुद लगाती है। इस छात्रावास के 5 कमरे बन चुके थे, 3 कमरों की छतें भी पड़ गयी थीं। इसे बिजली वालों ने अधिग्रहण कर लिया, हम उसके लिये मुआवजा की बात कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

विभाग ने मवाना में हरिजन छात्रावास की आवश्यकता को समझ कर ही वहां इसे बनने की स्वीकृति दी होगी और अनुदान दिया होगा, तो जब यह छात्रावास बिजली विभाग को चला गया, तो क्या उसकी जगह दूसरा छात्रावास बनाने की कोई योजना है या उस स्कीम को ड्राप कर दिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मेरठ में दो छात्रावास बन रहे हैं और अब हमने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनपद में एक-एक छात्रावास बनेगा जिसमें मेरठ भी है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं मेरठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मवाना की बात कर रहा हूं, वहां बनेगा या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मवाना की कोई संस्था हमारे यहां आवेदन तो करे, आवेदन आने पर ही विचार होगा।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, जब 19 हजार का पेमेंट हुआ और एक छात्रावास वहां पर बनना शुरू हुआ और कुछ बनने के बाद बिजली विभाग ने उसे ले लिया, तो उसके लिये बिजली विभाग ने कितना मुआवजा दिया और वह किस ने लिया ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मुआवजे के कागजात विद्युत् परिषद् में गये हैं। जिनकी भूमि है, भूमि का मुआवजा उनको मिलेगा और भवन का मुआवजा हमें मिलेगा।

श्री मित्रसेन--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आवेदन आने पर विचार किया जायेगा, तो आवेदन तो पहले आया ही होगा जिसके आधार पर वह छात्रावास बनना शुरू हुआ था, तो क्या वे उसी पुराने आवेदन पर विचार कर कहीं और उसे बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

छात्रावास बनाने के लिये जब कोई संस्था मांग करती है अनुदान के लिये तभी अनुदान दिया जाता है । एक-एक हर जिले में बनवाने का तो हमने निर्णय ले ही लिया है । अगर मवाने की शिक्षण संस्था हरिजन छात्रावास के लिए कोई आवेदन करेगी तो उस पर विचार कर लिया जायगा ।

शारदा सहायक नहर की शाखा के अधूरे निर्माण से खलिहानों को क्षति

*5--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मोहम्मदाबाद-गोहना तहसील के भूपतिपुर गांव से होकर शारदा सहायक नहर की शाखा आजमगढ़ डि0 वाई0 जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त नहर आराजी संख्या 107 के दोनों तरफ बनी है और इस अधूरी बनी नहर में जून, 1981 में पानी छोड़ दिया गया जिससे एक प्राइवेट ट्यूबवेल धंस गया तथा खलिहान में रखा गेहूं सड़ गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, पहले पैराग्राफ में मंत्री जी ने स्वीकार किया और दूसरे को भी स्वीकार किया । मान्यवर, आराजी संख्या 107 जो है, उसके एक तरफ तो अधूरी नहर बनी और दूसरी तरफ भी बनी, इसमें मन्त्री जी ने खुद स्वीकार कर लिया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पानी एक तरफ से आया, अगर वह किसी खेत को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वह पानी गया कहां ? दूसरा मान्यवर, मैंने स्वयं देखा कि नहर का पानी छोड़ने से गांव का पूरा खलिहान डूब गया और एक प्राइवेट ट्यूबवेल धंस गया । तो मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय मन्त्री जी दूसरी जांच करायेंगे ? मान्यवर, पानी छोड़ दिया गया नहर का । मान्यवर, देख लें, तो वह पानी गया कहां ? इस सूचना को क्या माननीय मन्त्री जी सही मानकर क्या पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह रजबहा 102 कि0 मीटर का है । इसमें 80 किलो मीटर तक सिंचाई कार्य पहले से ही होता रहा है । काश्तकार ने जाकर कोर्ट से स्टे ले लिया, इसलिए 79 मीटर केवल नहीं बन पायी, बाकी बन गयी । काश्तकार ने देखा कि उनका सिंचाई का नुकसान हो रहा था, तो

काश्तकारों ने खुद नहर के करीब से बाग में रास्ता बनाकर सिंचाई किया। उससे हो सकता है नुकसान हुआ हो, लेकिन उसमें विभाग का दोष नहीं है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मंत्री जी ने यह बात तो बता दी कि बगीचे में से पानी किसान ले गये, लेकिन मान्यवर, यह नहीं बताया कि बगीचे में पूरा खलिहान था, जब कि टेक्निकली यह पासिबिल नहीं है, वास्तव में यह तो नहर का पानी छोड़ दिया गया और पूरे गाँव के उस बगीचे में खलिहान थे, वह डूब गया और एक प्राइवेट ट्यूबवेल डूब कर धंस गया जून के महीने में, वहां का पूरा का पूरा खलिहान डूब गया। तो क्या माननीय मंत्री जी किसी दूसरे बड़े अधिकारी से इसकी छानबीन करा लेंगे कि वास्तव में यह घटना घटी कि नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, आराजी संख्या 107 के दोनों तरफ नहर बनी है, केवल 79 मीटर की दूरी तक नहीं बन पाई है, चूंकि काश्तकार द्वारा कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। किसानों ने पानी ले जाकर खेत की सिंचाई किया। किसी अधिकारी का इसमें दोष नहीं है।

*6--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

[20-1-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित।]

*7--श्री जयदीप सिंह--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित।]

गोरखपुर जनपद के रिग्स प्रखंड के अधिशासी अभियन्ता श्री डी० एस० सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र

*8--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के रिग्स प्रखंड के अधिशासी अभियन्ता श्री डी० एस० सिंह के विरुद्ध वर्ष 1981 के माह मार्च, अप्रैल व मई में प्रश्नकर्ता द्वारा तथा कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उनमें मुख्य शिकायतें क्या थीं ? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

श्री दयाशंकर सिंह, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार, फर्जी वर्क आर्डर मस्टर रोल तथा कार्य दिखाकर सरकारी धन को हड़पना, अपने परिचित एवं झूठी फर्मों से ऊंची दरों पर सामान खरीदना तथा मरम्मत कराना मुख्य शिकायतें हैं।

उक्त शिकायतों की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई सचिव शाखा, लखनऊ से कराई गयी। जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर श्री डी० एस०

सिंह, अधिशासी अभियन्ता को आदेश दिनांक 1-1-1982 द्वारा अनुशासनिक जांच पर्यन्त निलम्बित कर दिया गया है ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जांच के दौरान कुछ अन्य अधिकारियों का हाथ इस मामले में होने का तथ्य प्रकाश में आया है और झूठी फर्मों से माननीय मन्त्री जी का सम्बन्ध है ? यदि सच है तो इन अधिकारियों और झूठी फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे और सम्पूर्ण मामले की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैं इसको सख्ती से लेता हूं । अगर शिकायती तथ्यहीन हैं तो मैं बुरा मानता हूं । आपने आरोप लगाया किसी अधिकारी का हाथ उसमें हो तो कार्यवाही की जाय लेकिन झूठा आरोप लगाना, वे बुनियाद आरोप····

श्री राम आसरे वर्मा--

आरोप विनम्रता के साथ लगाया गया और जवाब आप नाराज हो कर दे रहे हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैं झूठी बात नहीं सुनना चाहता । जो शिकायत माननीय सदस्या ने की है इसके पहले मैंने जांच के आदेश दे दिये थे । मुझे इसकी जानकारी हुई कि वहां पर गड़बड़ी हुई, मैंने जांच के आदेश दिये, इनकी शिकायत बाद में आई है । दूसरी बात प्राविधिक परीक्षक के द्वारा जांच कराई गई, जांच में जो अधिकारी आये उनको निलम्बित किया गया, एस० ई०, अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता इसमें निलम्बित किये गये । जब सारी चीज आ जायेगी तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

*9--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[8वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गोरखपुर के इटौवा बांध का निर्माण

*10--श्री केदार नाथ सिंह तथा श्री सूबेदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के इटौवा बांध का निर्माण पूर्ण न कराये जाने के फलस्वरूप राप्ती व गोर्रा नदी के बीच में 45 गांव इस वर्ष डूब गये और उसके प्रभाव से बेलवा बांध टूटने से और भी 50 गांव डूब कर तबाह हो गये ? यदि हां, तो इस बांध का पूर्णतया निर्माण न कराने का जिम्मेदार कौन अधिकारी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्नगत इटौवा बांध पूर्ण न होने से राप्ती-गोर्रा दोआब का कुछ क्षेत्र अवश्य प्रभावित हुआ परन्तु कोई ग्राम नहीं डूबा है। बेलवा बांध के पानी को निकालने के अभिप्राय से कुछ काश्तकारों द्वारा काट दिया गया था इससे दोआब का कुछ क्षेत्र अवश्य प्रभावित हुआ परन्तु इससे कोई ग्राम नहीं डूबा। इटौवा बांध का निर्माण कुछ स्थानों पर प्रशासनिक एवं न्यायिक कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं किया जा सका। इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस इटौवा बांध को बनाने का निर्णय कब लिया गया और कितना बजट रखा गया था और कितना खर्च हुआ और प्रशासनिक और न्यायिक कारण क्या हैं जिसके कारण यह नहीं हो पा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस बांध को बनाने का निर्णय 1979-80 में लिया गया था और अनुबन्ध किया गया। यह बांध गोरखपुर जिले में है। इसमें गोरखपुर और देवरिया का हिस्सा दोआब का पड़ता है। यह जमींदारी बन्धा था बाद में बांध बनाने की बात की गई। मान्यवर, इसमें बड़े अवरोध पैदा किये गये। वहां पर लोगों को कार्य नहीं करने दिया गया, कर्मचारियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, उनको धमकाया गया और कोर्ट से स्टे भी ले लिया गया। इस काम करने में यह तमाम अवरोध उत्पन्न किये गये जिसके कारण समय से यह काम नहीं हो पाया।

श्री सूबेदार सिंह--

चूंकि जनहित का विशेष कार्य है। बांध न बनने से सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुये इस बांध को पूरा करने हेतु कोई विशेष प्रयास मंत्री जी करायेंगे ताकि यह बांध पूरा हो सके ? चूंकि व्यय हो चुका है क्या मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि बांध का निर्माण जल्द हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि विभाग चाहता था कि पहले पूरा कर लें लेकिन कोर्ट से स्टे ले लिया गया और तरह-तरह के अवरोध पैदा किये गये हैं और इंजीनियर तथा ठेकेदारों को जब वह काम करने गये तो भगा दिया गया, लेकिन फिर भी विभाग चाहता है कि जल्दी से जल्दी बनाया जाय। कोर्ट से अब स्टे समाप्त हो गया है इसलिए अधिकारियों से कहा गया है कि जल्दी से बांध बनाने की कार्यवाही की जाय।

नलकूप संख्या 39, करहल ग्रुप, जिला मैनपुरी द्वारा हरिजनों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा

*11--श्री मुंशीलाल, श्री रघुवीर सिंह यादव तथा श्री शिव मंगल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि गत 14 महीने से गूल न बनने के कारण कूप नं0 39, करहल ग्रुप नलकूप खंड, मैनपुरी, जिला मैनपुरी में हरिजनों

की कोई सिंचाई नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सिंचाई न होने के कारण जो राजस्व की हानि हुई है जिससे सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । नलकूप संख्या 39, करहल ग्रुप जिला मैनपुरी पर पहले ही 3.2 किलोमीटर पक्की गूल व पाइप लाइन बनी हुई है जो सामान्य नलकूपों पर बनी पक्की गूलों से अधिक है । विद्युत की उपलब्धि के अनुसार समस्त क्षेत्र में, जिसमें हरिजनों का क्षेत्र भी सम्मिलित है, समुचित सिंचाई की गई है । अतएव किसी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मुन्शी लाल--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नलकूप किस सन् में लगा था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, नलकूप के बारे में यह नहीं बता सकता हूं चूंकि पुराना है । लेकिन यह बता सकता हूं कि सिंचाई कितनी हुई । उसकी रिपोर्ट बता दूं जिससे क्लियर हो जायेगा । मान्यवर, रबी में कुल 51.1 हेक्टेयर सिंचाई हुई, इसमें से हरिजनों के 17.4 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई । यह नलकूप रबी में दिनांक 10/80 से 31-3-81 तक 785 घंटे चला जिसमें 315 घंटे हरिजनों के खेतों में चला । इसी प्रकार खरीफ में दिनांक 1-4-81 से 30-9-81 तक कुल 19.2 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई जिसमें 2.4 हेक्टेयर हरिजनों की भूमि सींची गई । कुल खरीफ में 346 घंटे ट्यूबवेल चला जिसमें 37 घंटे हरिजनों के खेत सींचे गये । इस वर्ष रबी में 1-10-81 से 31-1-82 तक 39.3 हेक्टेयर सिंचाई हो चुकी है जिसमें 11.4 हेक्टेयर हरिजनों के खेतों की सिंचाई हुई और कुल ट्यूबवेल 680 घंटे चला जिसमें से 238 घंटे हरिजनों के खेतों में सिंचाई की गई ।

श्री मुन्शी लाल--

मान्यवर, यह नलकूप 1970 में लगा है । लेकिन सवाल था कि गूल 14 महीने से टूटी है तो उसके न बनाने के क्या कारण हैं ? गूल न बनने से 80 फीसदी हरिजनों के खेतों की सिंचाई नहीं हो सकी जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई, इसलिए क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों को दण्ड देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, हो सकता है कि माननीय सदस्य की बात सही हो लेकिन 1972 में इस ट्यूबवेल को कनेक्शन दिया गया था और उसके बाद से सिंचाई हो रही है । माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि 2.6 कि० मी० पक्की नाली बनी हुई है और 0.6 कि० मी० पाइप लाइन से जोड़ी गई है । कभी-कभी नाली कच्ची बना दी जाती है जिससे पानी लेते हैं । इसलिए शिकायत है कि पक्की नहीं है, गलत रिपोर्ट है तो यदि माननीय सदस्य हमको बता देंगे तो इसकी मैं जांच करा दूंगा ।

श्री मुंशी लाल--

मान्यवर, पक्की नाली बनाने का सवाल नहीं उठता है। सवाल है कि 1970 की नाली बनी हुई है और वह 14 महीने से टूटी पड़ी है, इसलिए उसको न बनाने का क्या कारण है, इस सम्बन्ध में हमने और ट्यूबवेल आपरेटर ने कई पत्र लिखे हैं लेकिन फिर भी नहीं बनाई गई है। इसलिए दोषी कर्मचारियों को क्या मंत्री जी दंडित करेंगे और इसकी पुनः जांच करवायेंगे और सदन के पटल पर उसको रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी तक रिपोर्ट है कि नाली ठीक है, यदि माननीय सदस्य की बात ठीक है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तथा संस्तुतियां

*12--श्री बंशीधर (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री छेदी लाल साथी कमीशन की रिपोर्ट जो सदन की मेज पर रखी गई है, उस पर अब तक विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गई, बल्कि इसका वितरण माननीय सदस्यों को उनके सूचनार्थ कर दिया गया था। इस रिपोर्ट के शासन को प्राप्त होने के बाद जनवरी, 1979, में भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था जिससे यह संस्तुति मांगी गई थी कि भारत वर्ष में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये जायं और इन वर्गों के उत्थान के लिए क्या उपाय किये जायें। उपरोक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी है जिस पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पूरे देश में समान रूप से लागू होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

*13--श्री गौरी शंकर भैया--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*14--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[22वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य सड़क परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्रीय कर्मशाला में अल्युमिनियम की नीलामी तथा डिलीवरी का घोटाला

*15--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्रीय कर्मशाला में अल्युमीनियम के नीलामी तथा डिलीवरी के घोटाले में निगम के सहायक परिवहन अभियन्ता तथा तत्कालीन स्टोर अधीक्षक को दिसम्बर,

1981 को जेल में भेजा गया था ? यदि हां, तो उनके ऊपर आरोप क्या थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*16--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

*17--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

श्री मधु मेहता द्वारा जिला कारागार, कानपुर का निरीक्षण तथा की गई शिकायतों की जांच

*18--श्री हुकम सिंह--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय कारागार, कानपुर में लगभग 150 किशोर अपराधी बन्दियों को अमानवीय परिस्थिति में रक्खा जा रहा है तथा जेल कर्मचारियों की साजिश से इन बालकों को गुदा मैथुन के लिये विवश किया जाता है ? इस सम्बन्ध में माह नवम्बर, 1981 में हिन्दुस्तान आन्दोलन के नेता श्री मधु मेहता ने कारागार का निरीक्षण करके सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भी भेजा था ? क्या सरकार ने कारागार में किये जा रहे अपराधों की कोई जांच कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

श्री मधु मेहता द्वारा नवम्बर, 1981 में जिला कारागार, कानपुर का निरीक्षण किये जाने की बात जेल अभिलेखों से सिद्ध नहीं होती । श्री मेहता का एक पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1981 का शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें कानपुर जिला कारागार में कैद बालक बन्दियों की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच तथा बालक बन्दी मुन्ना जी अब कारागार से रिहा कर दिया गया है, उसकी तथा उसके पिता की सुरक्षा के प्रबन्ध की मांग की है । इस सम्बन्ध में कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश तथा गृह (पुलिस) विभाग को लिखा गया है ।

श्री मेहता के निरीक्षण के सम्बन्ध में "इन्डियन एक्सप्रेस" दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 में प्रकाशित समाचार में वर्णित शिकायतों की जांच कराई गई थी ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, पहले भाग का जो मंत्री जी ने उत्तर दिया उसका आशय मैं नहीं समझ सका । क्या उनका आशय है कि कानपुर केन्द्रीय कारागार में 150 किशोर अपराधी बन्दी नहीं हैं ? इसलिये पहले बता दें कि वहां 150 बालकों की संख्या है कि नहीं ? यदि है, तो क्या कारण है कि बाल गृह में न रखकर सेन्ट्रल जेल में क्यों रखा गया है ? दूसरे आपने लिखा है कि जांच करायी गयी

थी, तो यह किस अधिकारी से जांच करायी गयी और उसकी रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर आपने क्या कार्यवाही किया ह ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, 16 साल से कम के बच्चे वहां नहीं हैं। 16 से 21 वर्ष के बच्चे 84 हैं जो 20 नं0 बैरक में रहते हैं।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जो प्रश्न में शासन को पत्र लिखा है उसमें कहा है कि उन्होंने बेड़ियां लगाकर उन बच्चों को जेल में रखा गया है और जो प्रौढ़ बन्दी हैं उनको उपलब्ध कराया है, यह भी आरोप था। इसलिये जांच किस अधिकारी से कराया है और रिपोर्ट क्या है, उसको बतायें ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसके बारे में और उप कारागार महानिरीक्षक और ए0 डी0 एम0 द्वारा जांच की गयी और उसमें बताया गया है कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी, न की जाती है और न की जायेगी।

जिला जेल, वाराणसी में वार्डरों की गिरफ्तारी तथा पुनर्नियुक्ति

*19--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या कारागार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला जेल, वाराणसी, चौकघाट के कितने जेल वार्डर दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 से 26 नवम्बर, 1981 तक गिरफ्तार हुए थे ? क्या सभी को सेवा कार्य में ले लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जिला जेल वाराणसी के 69 वार्डर दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 से 26 नवम्बर, 1981 तक की अवधि में गिरफ्तार किये गये थे। इनमें से 50 वार्डर सेवा में ले लिए गये हैं। शेष 19 वाडर जिनकी सेवायें समाप्त की जा चुकी थी, सेवा में नहीं लिए गय क्योंकि उनके स्थान पर कारागार प्रशासन के संचालन हेतु होमगार्ड्स की वार्डर के पदों पर नियुक्ति कर ली गयी थी।

अब इस समय स्थिति यह है कि 19 वार्डरों में से 15 लिये जा चुके ह और शेष 4 को लेने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जब एक ही तरह के आरोप थे और एसेंशियल सर्विसेज ऐक्ट और 188 दफा में यह वार्डर्स जेल गये थे, तो जो शेष 4 रह गये हैं जो कमजोर वर्ग के थे उनको भी क्या सेवा में ले लेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उनको भी सेवा में लेंगें इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह तो दिया कि सबको ले लेगें ।

नार्दन इंडिया ड्रेनेज ऐक्ट में संशोधन करने पर विचार

*20--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार नार्दन इंडिया ड्रेनेज ऐक्ट में ऐसा संशोधन करने जा रही है कि जिस ट्यूबवेल से किसानों को सिंचाई के लिए समय से पानी न मिलने के कारण सूख जाय, उन्हें उक्त फसल का मुआवजा पाने का हक है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह प्रशासकीय तथा अन्य कारणों से सम्भव नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी कृपया यह स्पष्ट करेंगे कि जब आप ट्यूबवेल लगाते हैं, तो किसान को एक गारंटी देते हैं कि आप पानी देंगे । जब आप पानी नहीं दे पाते हैं तो किसान का हक पैदा होता है कि वह मुआवजा ले, क्योंकि उस एरिया में किसान दूसरा ट्यूबवेल लगा नहीं सकता है । तो यह आपका कर्तव्य हो जाता है कि उनको सिंचाई की सुविधा दें, अगर नहीं दे पाते हैं तो उनको मुआवजा पाने का हक है । इस ऐक्ट में संशोधन करने में परेशानी क्या है, मानवीय काम क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सरकार के पास जो साधन हैं उसी से हम लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहे हैं । एक नया काम और ले लिया जाय मुआवजा देने का तो यह सरकार कभी नहीं कर पायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मेरा प्रश्न है कि जहां आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं वहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल लगा नहीं सकता है और आप अपने ट्यूबवेल से सिंचाई कर नहीं पाते हैं, तो आप उस इलाके के किसान को मजबूर कर देते हैं कि उसकी फसल सूखती रहे । तो इसको दूर करने के लिये ट्यूबवेल आपरेटर पर जिम्मेदारी डालते क्यों नहीं हैं कि अगर किसान की फसल सूख जाती है तो मुआवजा दिया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अगर उसकी जिम्मेदारी किसी चीज में होती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है । ट्यूबवेल 24 घंटे के लिये लगाया जाता है लेकिन बिजली 5 घंटे के लिए मिल पाती है । दूसरी बात जो वहां के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं पहले

वह लोग सोचते हैं छोटे लोग जल्दी नहीं सोच पाते हैं । तो जब ऐसी बात पैदा हो जाती है तो जो हम चाहते हैं उसमें अवरोध पैदा हो जाता है ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, अभी इस तरह का नियम बना है कि जो इनका कमांड एरिया है, उसमें प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं है । बिजली केवल 5 घंटे के लिये आती है जिससे सिंचाई नहीं हो पाती है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि किसान कमांड एरिया के अन्दर अपना ट्यूबवेल लगाना चाहता है, तो उसको कमांड एरिया से निकाल दिया जाय और उसको प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने की अनुमति दी जाय ? इस तरह का आदेश प्रदेश भर के लिये देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी जो हम ट्यूबवेल लगाते हैं तो पहले से जो ट्यूबवेल किसानों ने लगा रखे हैं उसको हम अलग कर देते हैं । सरकार अगर पैसा लगाती है तो वह भी पब्लिक का है, तो अगर हम भी पैसा लगायें और प्राइवेट वाला भी लगाये तो जो इन्वेस्टमेन्ट हो रहा है, यह व्यर्थ हो जायगा । प्रदेश में बहुत जमीन सूखी पड़ी है । हम कोशिश यही करते हैं, कि जहां गरीब लोग हैं और जहां प्राइवेट ट्यूबवेल कम हैं वहां पर ट्यूबवेल लगाया जाय । जैसा आपने कहा तो यह विचार का सवाल है इस पर गवर्नमेन्ट विचार करेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, ट्यूबवेल का कमांड एरिया 250 एकड़ है । यह 24 घंटे बिजली सप्लाई के आधार पर एश्योर्ड इरीगेशन की शक्ल में बनाया गया है । इस एरिया में प्राइवेट ट्यूबवेल लगाया नहीं जा सकता, तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि बिजली की सप्लाई के रेशियो को सामने रखते हुये आप अपने ट्यूबवेल के कमांड एरियें को सिंचाई के लिए कम करने पर विचार करेंगे ? जो 250 एकड़ कमांड एरिया है, उससे घटाकर कुछ कम कर सकेंगे ताकि पूरी रबी की फसल अच्छी तरह से हो सके और सूखने न पाये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

250 एकड़ से हम खुद घटाकर सिंचाई कर रहे हैं, फिर भी हम इसे दिखवा लेंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सन् 1967 से पहले वर्ल्ड बैंक ने यह सिफारिश की थी, जिसके पैसे से आप ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं कि 200 से ज्यादा कमांड एरिया सिंचाई का न हो जबकि बिजली पूरी तरह से मिले और यहां पर तो बिजली 6 घंटे से ज्यादा मिलती नहीं है, तो इस बात को देखते हुए और फसल के सूखने का मुआवजा आप दे नहीं सकते तो निजी ट्यूबवेल लगाने की अनुमति क्यों नहीं दे देते, ताकि लोगों का काम आसानी से चलता रहे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

100 हेक्टेयर पर वर्ल्ड बैंक द्वारा ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं। इसलिए इस ओर हम लोगों का प्रयास यह है कि 24 घंटा अगर बिजली मिले तो डायरेक्ट लाईन करने जा रहे हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार की कटौती न की जाए और वर्ल्ड बैंक के पैसे का भी सही तौर से इस्तेमाल हो सके, इसके प्रयास में हम लोग लगे हुये हैं। और यही नहीं अगर 12 घंटे भी बिजली हमको मिल जाए तब भी 100 हेक्टेयर की आसानी से सिंचाई हो सकती है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसे कुछ किसानों के यहां ऐसा होता है कि जब तक उनको बिजली मिलती है, तब तक तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और जब नहीं मिलती है, तो आयल इंजन से अपना काम चलाते हैं, तो क्या सरकार यह कर सकती है कि जब बिजली छः घंटा से अधिक न दे सकने की स्थिति में हो तो आयल इंजिन की व्यवस्था करा दे ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका अलग का प्रश्न है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, 24 घंटा बिजली देने के बाद भी 250 कमांड एरिया रबी की फसल और गन्ने की फसल की सिंचाई का कार्य पूरा नहीं हो सकता है, तो फिर यह जो 250 कमांड एरिया निश्चित किया गया है, उसे घटाकर 100 एकड़ तक करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा है कि यदि 12 घंटा बिजली भी मिल जाए तब भी हम 100 हेक्टेयर तक काबू पा सकते हैं और सभी फसलें एक प्रकार की नहीं होती हैं डिफरेंट टाइप की होती हैं, किसी में कम पानी की जरूरत है और किसी में अधिक। इसलिए 100 हेक्टेयर इतने समय में आसानी से हो जाता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आप अपनी पुरानी उपलब्धियों को दृष्टि में रखते हुए कि 250 कमांड एरिये को सिंचित नहीं कर पाये, इसलिए आपका राजनीतिक दायित्व बनता है कि इसे स्वयं घटाकर 250 से क्षमता के अनुसार ले आइए, जितना आप सिंचित कर सकें आसानी से तो इस विषय में माननीय सदस्यों को कुछ आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं भी कह चुका हूं कि इस पर विचार किया जायेगा।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हो गया।]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कारबेट नेशनल पार्क में शिकार करते हुए मुरादाबाद मण्डल के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

**1—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री मोहन सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में कारबेट नेशनल पार्क में अवैध रूप से (पोचिंग) शिकार करते हुए मुरादाबाद मण्डल के अनेक उच्च अधिकारी पकड़े गये ? यदि हां, तो वे कौन-कौन उच्चाधिकारी थे और उन्होंने कितने रक्षित जानवर मारे तथा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या किसी संसद सदस्य ने जो उस समय इस पार्क के पर्यटन केन्द्र में थे, इस घटना से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की संस्तुति शासन से की है ?

वन उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)—

यह सही है कि 2 जनवरी, 1982 की शाम को लगभग साढ़े चार बजे कार्बेट नेशनल पार्क में मुरादाबाद मण्डल के कुछ उच्च अधिकारी अवैध रूप से शिकार करते हुए पाये गये । इनमें मुरादाबाद मण्डल के आयुक्त, बिजनौर के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, नगीना के सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट तथा कालागढ़ के पुलिस दरोगा सम्मिलित थे । इन अधिकारियों द्वारा कोई रक्षित जानवर नहीं मारा गया । इनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना के समय संसद सदस्य, श्री अरुण नेहरू पार्क में ठहरे थे उन्हें भी इस घटना की सूचना दी गई । उनकी कोई संस्तुति अभी शासन के वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घटना की रिपोर्ट किस व्यक्ति ने की और जो सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

(वन राज्य मंत्री) श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, घटना की रिपोर्ट और केस दर्ज करने में वहां के जो डायरेक्टर हैं, सी0 वी0 सिंह, उन्होंने किया । उनकी रिपोर्ट भी आ गयी है, केस भी दर्ज है उनके केस दर्ज करने के बाद यहां से जब जानकारी हुई तो तार, टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित किया गया, सम्पर्क 24 घण्टे तक नहीं हो पाया, शासन को उत्सुकता थी, स्पेशल मैसेन्जर भेजा गया तब तक रिपोर्ट आ गयी थी । वे स्वयं भी यहां आ गये, उनके आने के बाद साथ-साथ अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी आया था । अधिकारियों ने कनफेस किया है बड़ी शालीनता से और चूंकि उच्च अधिकारी हैं "आल इण्डिया सर्विसेज" के हैं, अतः ला डिपार्टमेंट को मामला भेजा गया है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, कानून के समक्ष तो सबको समता का अधिकार मिला हुआ है । किसी कानून में कोई आई0 ए0 एस0 हो, मन्त्री हो या साधारण नागरिक हो, ऐसा कोई भेद नहीं है । यदि यह मान भी लिया जाय कि वे उच्च अधिकारी थे, तो भी मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने

जानवरों को किस आदमी के फायर आर्म्स से गोली लगी, जैसा आपने बताया कि 4–5 आदमी थे, तो सभी ने तो मारा नहीं होगा ? कन्फेशन में किसने स्वीकार किया है कि उसने फायर किया और कितने जानवर मरे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट नहीं आयी है, खुली रिपोर्ट आयी है....

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं 'कन्फेशन' कह रहा हूं, "कान्फीडेन्शियल" नहीं । बलिया में शायद "कन्फेशन" को "कान्फीडेन्शियल" कहा जाता है ।

(हंसी)

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, देवरिया के पड़ोस का प्रभाव हो सकता है । वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 27, 31, 35 तथा और भी धारायें हैं उसके अनुसार मुकदमा दर्ज किया जा चुका है । इसमें एस० ओ० से लेकर कमिश्नर तक हैं । माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप मैं बताना चाहता हूं कि शासन सतर्क है और इसको गम्भीरता से ले रहा है । इसके लिये सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट से भी, जो एग्रो–कल्चर मिनिस्टर हैं, उनका पत्र आ चुका है और कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने यह आग्रह किया था कि यह जो 7 नाम आप बता रहे हैं, तो जो प्रागदर्शन में मामला दर्ज हुआ है, उसमें क्या यह बात प्रकाश में आयी है कि उन 7 में से सातों ने फायर किया, विभिन्न फायर आर्म्स से फायर किया और किस अधिकारी ने फायर किया और उसके फायर से कौन सा जानवर मरा ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि मौके पर ये लोग साढ़े चार बजे गये । तो साढ़े चार बजे के बाद 6 बजे तक वहां पर जांच शुरू हो गयी और वहां पर खून के निशान पाये गये । फिर दूसरे दिन जांच पार्टी मौके पर गयी और वहां पर उसने खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया तो आगे वहां पर चीतल के दो पैर के खुर पड़े मिले । तो ऐसा मालूम हुआ कि घायल जानवर को शेर ने खा लिया । फिर पार्टी के और आगे बढ़ने पर उसने देखा कि दो चीतल बैठे हुए थे जो कि घायल प्रतीत हो रहे थे । तो जो चीतल बैठे हुए थे उन्होंने लोगों को देखा तो चौकन्ने हो गये और भागे । उनमें से एक तो भाग गया परन्तु उनमें से एक लंगड़ाता हुआ भगा इससे स्पष्ट था कि उसे भी छर्रे लगे हुए थे । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि दो–तीन जानवर को घाव लगा था । अब जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कौन अधिकारी ने फायर किया तो इसके लिये जांच रिपोर्ट में स्पष्ट है कि किसी आफिसर ने फायर नहीं किया ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, ये अधिकारियों को साफ बचा रहे हैं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, सवाल दीगर, जवाब दीगर यह क्या तमाशा बना रखा है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, जिसने फायर किया है और जिसने कनफेस किया है, मैं बता रहा हूं कि एस0 पी0 के लड़के ने 12 बोर की बन्दूक से फायर किया है ।

श्री मोहन सिंह—

यही बात ये छिपाना चाह रहे थे ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है । वह बन्दूक एस0 पी0 की वाइफ के नाम उसका लाइसेन्स है । हम जो कार्यवाही करने जा रहे हैं, उस पर आपको हमें प्रोत्साहित करना चाहिये न कि ऐसा कहना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

एक ओर तो मंत्री जी अपने उत्तर में स्पष्ट करते हैं कि कुछ उच्च अधिकारी अवैध रूप से शिकार करते हुए पाये गये । दूसरी ओर अपने ही उत्तर में यह भी कहते हैं कि इन अधिकारियों द्वारा कोई रक्षित जानवर नहीं मारा गया । यह बड़ी भ्रामक बात है । मंत्री जी कृपया यही बता दें कि कौन सा रक्षित जानवर है और कौन सा जानवर आरक्षित की श्रेणी में आता है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, यह साधारण सी बात माननीय सदस्य को बतानी पड़ रही है । मैंने पहले ही बताया कि जांच रिपोर्ट में चीतल का जिक्र है कि वह घायल हुआ और उसी अवस्था में वह भी भाग गया । चीतल आरक्षित नहीं है पर वह भूमि और वह एरिया आरक्षित है ।

श्री मुख्तार अनीस—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपके दो राष्ट्रीय उद्यान हैं । एक दुधवा पार्क और दूसरा कारबेट नेशनल पार्क । तो वहां हथियार ले जाने के लिये नियम सरकार ने बनाये हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, इन राष्ट्रीय उद्यानों में हथियार ले जाने के लिये डाइरेक्टर से परमीशन ली जाती है और उसके परमीशन के बाद हथियार पर सील कर दी जाती है और फिर लौटते समय देखा जाता है कि सील है या नहीं ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस दिन जो लोग हथियार ले करके वहां गये तो उन्होंने वहां पर हथियार ले जाने के लिये डाइरेक्टर से परमीशन ली थी और उनके हथियार को सील किया गया था या नहीं । इन सब बातों की कार्यवाही क्या वहां के रजिस्टर में दर्ज है ? और उन्हें डाइरेक्टर ने उद्यान में हथियार ले जाने का अधिकार दिया था ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, मुकदमा दर्ज है, कार्यवाही हो रही है, मैं निवेदन कर दूं, स्पष्ट प्रश्न करें ताकि मैं स्पष्ट उत्तर दे सकूं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मैंने तीन बातें पूछी हैं, एक यह कि हथियार ले जाने का क्या नियम है, दूसरा हथियार पर सील लगवायी गयी, गेट पर पास लिया गया, रजिस्टर में हथियारों को दर्ज करवाया गया और कारतूस या पिस्टल की गोलियां रजिस्टर की गयीं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मामला इन्वेस्टीगेशन में है । चूंकि यह पार्टी नदी के रास्ते से आयी थी और नदी झील में मिल जाती है और सारी फार्मेलिटी तब पूरी होती है जब लोग हमारे स्थल के रास्ते से जाते हैं । वहां कोई डिमार्केशन है नहीं इसके बावजूद यह सही है कि वारदात हुई और हमारे कार्बेटपार्क के अन्दर हुई । उनका कहना है कि उन्हें यह मालूम ही नहीं पड़ा कि वे पार्क के अन्दर आ गये हैं ....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि 1975 से श्री सी0 बी0 सिंह उसी जगह पर डाइरेक्टर प्रोजेक्ट की हैसियत पर हैं और उन्होंने स्वयं दूस अधिकारियों का एक पिकनिक सर्किल बना रखा है और उसी पिकनिक के प्रोग्राम के मातहत कमिश्नर, मुरादाबाद डिवीजन और कालागढ़, जो बिजनौर में पड़ता है, के अधिकारी पिकनिक पर तशरीफ लाये थे और यह उनकी बदकिस्मती थी कि श्री अरुण नेहरू वहां ठहरे थे और उस चीज को छिपा नहीं सके, तो क्या श्री सी0 बी0 सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसे पहले लिख कर दे चुके हैं, जानकारी के लिये आख्या मांगी गयी है, मैं उनको अलग से व्यक्तिगत रूप से अवगत करा दूंगा । वैसे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह प्रोजेक्ट सेन्ट्रल का है और केन्द्रीय सरकार ही सारा खर्चा वहन करती है तथा उसके ट्रेन्ड व्यक्तियों को रखा जाता है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कमिश्नर, मुरादाबाद, डी0 एम0, बिजनौर, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर अपने क्षेत्र से बाहर, मण्डल जिले से बाहर, कार्बेट पार्क में गये जो गढ़वाल में आता है तो उन अधिकारियों ने कोई पूर्व अनुमति ली थी, कमिश्नरी या जिले से बाहर जाने की, क्या मन्त्री जी के पास ऐसी कोई सूचना है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री पंचानन राय--

इतने बड़े-बड़े अधिकारी थे उन्होंने अपने हथियारों का दुरुपयोग किया तो क्या उनके हथियारों का लाइसेंस रद्द किये गये ? दूसरा प्रश्न यह है कि सब अधिकारी सेन्टर के नहीं थे, कुछ यहां के भी थे तो उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही हुई है, वह मन्त्री जी बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

आज तक क्या कार्यवाही हुई है, वह आप बता दें ।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि हथियार का प्रयोग अवैध रूप से करने पर क्या कार्यवाही की गई तो जो फायर हुआ है वह एस० पी० के लड़के ने किया और हथियार जो है वह उसकी मां के नाम का है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मां के नाम है तब तो तुरन्त उसका लाइसेंस सस्पेंड करवाइये । क्या मां बन्दूक चलाती है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री निर्भय नारायण सिंह--

लड़के को जब उसके पास लाइसेंस नहीं था, आर्म्स ऐक्ट 25 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है ।

(श्री श्याम लाल बाजपेयी तथा अन्य कई सदस्यों के बार-बार कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय वाजपेयी जी, शान्त रहें । पहले पूरा उत्तर सुन लें और उस उत्तर के बाद फिर खड़े हों और प्रश्न करें ।

श्री मुख्तार अनीस--

वह पूरा उत्तर नहीं दे रहे हैं और न ही सही उत्तर दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सही और गलत उत्तर नहीं बता सकता हूं । जो उत्तर वह दे रहे हैं उसको कृपया सुन लें । यदि उत्तर नहीं दे रहे हैं तो इस प्रश्न को छोड़िये और दूसरा प्रश्न देखिये ।

श्री भीखालाल--

इनसे कह दीजिये कि घायल चीतल की तरह लड़खड़ाकर न उत्तर दें ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मुझे दो शब्द कह लेने द। मान्यवर, मेरा अपराध क्षमा करें ।

श्री अध्यक्ष--

यदि अपराध करने से पहले ही पता चल जाय कि यह अपराध है तो उसे नहीं करना चाहिये ।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, जिस लड़के ने कन्फेस किया है उस लड़के पर अवैध हथियार रखने के कारण आर्म्स ऐक्ट 25 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है और मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जो बन्दूक है वह उसी समय जब्त कर ली गई है और अगली कार्यवाही उसके जब्त करने के बाद चालू है ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि आपने जो अपने उत्तर में यह कहा कि एस0 पी0 के लड़के ने फायर किया और जिस हथियार से फायर किया उसका लाइसेंस उसकी मां के नाम से है । आपने खुद यह कहा कि फायर करते वक्त देखा गया तथा यह आफिशियल वर्जन है और इस जानकारी के आधार पर उन्होंने उत्तर दिया है । माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उस क्षेत्र में शिकार खेलना अपराध है, तो जब वहां शिकार कर लिया गया तो वह अपराध हो गया, इसके बावजूद भी उनके विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही न करने या गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

शिकार एक बड़ा व्यापक शब्द है । मछली का भी शिकार किया जाता है लेकिन बंसी से मछली मारना अपराध नहीं है जब कि जानवर को मारना अपराध है । जब फायर किया गया तो हमारे विभाग के ही एक अवैतनिक अधिकारी ने उसे पकड़ा, जो वहीं पर मौजूद थे । भले ही वे बाहर के थे लेकिन हमें उन्होंने इस काम में सहयोग दिया । इस तरह के काम में तो जो भी हमें सहयोग देगा उसका सहयोग हम लेंगे । प्रश्न यह है कि वहां से 400-500 गज की दूरी पर जो लोग थे उन्होंने देखा कि एस0 पी0 के लड़के ने फायर किया । वहां जाकर उनका बयान लिया गया, लड़के का भी बयान लिया गया और घास पर खून के निशान भी देखे गये । इससे मालूम हुआ कि फायर हुआ है और वहां पर मौजूद सब लोगों ने कहा कि लड़के ने फायर किया । हमारे विभाग के जो मोटर बोट चालक ने भी कहा कि लड़के ने फायर किया । फायर होते समय उन्होंने भी दूर से देखा, फायर होने पर वहां के अफिसर भी अचम्भित हो गये कि यह क्या हुआ, अवैधानिक कार्यवाही कैसे हो गयी और उन्होंने जाकर लड़के को डांटा । मौके पर और लोगों का स्टेटमेंट लिया गया, उस लड़के का भी स्टेटमेंट लिया गया ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह सरकारी जी0 ओ0 है कि जिले का पुलिस कप्तान जब कहीं जाय तो उसके साथ एक कारबाइन जरूर रहना चाहिये । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह रिपोर्ट दर्ज हुई तो उस समय जो अधिकारी वहां गये थे, उनमें से किन-किन ने अपने पास कौन-कौन से हथियार होने की बात बतलायी ?

दूसरी बात यह कि जब वे पीछे के रास्ते से गये तो जाहिर है कि वे झील के रास्ते से गये होंगे और गहरे पानी होने की वजह से मोटर बोट से गये होंगे या किसी दूसरी चीज से गये होंगे। तो माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करें कि उनके विभाग के किस-किस अधिकारी ने उनको देखा ?

तीसरी बात यह कि श्री बृजेन्द्र सिंह, वाइल्ड वार्डेन, अवैतनिक जो हमारे यहां के न होकर बाहरी प्रदेश के हैं जिनका वहां के वन्य अधिकारियों से किसी शिकार के प्रश्न को लेकर ही पहले झगड़ा हो चुका था और इसलिये उन्होंने जाकर उन लोगों को पकड़वाया। जब अपने प्रदेश के वन जन्तु प्रतिपालक वहां मौजूद थे तो फिर दूसरे प्रदेश के वन जन्तु प्रतिपालक जो किसी नेता के दबाव से वहां पड़े हुये थे, क्यों बुलाया गया ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

माननीय सदस्य देवरिया ने दो-तीन प्रश्नों को एक साथ कर दिया। एक प्रश्न यह कर दिया कि कितने बन्दूक वहां गये थे और क्या हथियार लेकर गये थे, तो इसका उत्तर मैं क्या दूं। एक ही तो बन्दूक वहां थी जिससे फायर किया गया। एस० पी० के साथ एस० ओ० भी था जिसके पास एक रिवाल्वर था। जो कि वहां पर लिखा हुआ है कि ड्यूटी पर थे, एस० पी० के साथ थे। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने यह किया कि बृजेन्द्र सिंह कहां....

श्री मोहन सिंह--

किस-किस के पास असलहा थे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

लड़के से बरामद हुआ और उनके जो एस० ओ० आन ड्यूटी थे उनके पास था और किसी के पास नहीं था। जो बरामद हुये, जो अवैधानिक हथियार लड़के से बरामद हुआ उसे सील कर लिया गया और मुकदमें में विटनस के लिये उसे रख दिया गया है। तीसरा प्रश्न..

श्री अध्यक्ष--

उसका इससे सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर ब्रांच में माइनर बनवाने का विचार

1--श्री सत्य पाल सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर ब्रांच के मील 37-6 पर एक माइनर बनवाने की सिफारिश अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर के यहां से माह फरवरी, 1981 में मुख्य अभियन्ता, शारदा कैनाल, लखनऊ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति अब तक क्यों नहीं की गई है ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

3—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला चमोली में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने पर विचार

4—श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1981-82 में जिला चमोली में कितने आश्रम पद्धति के नए विद्यालय खोले जाने शासन के विचाराधीन हैं और कब तक उन पर निर्णय हो जायगा तथा किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

वर्तमान में जिला चमोली में नए आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । शेषांश का प्रश्न नहीं उठता ।

5—श्री राम आसरे वर्मा—

[20-1-82 के तारांकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित ।]

गढ़वाल मंडल से कांग्रेस (ई) की किसान रैली हेतु गयी बसें

6—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल से कांग्रेस (ई) की किसान रैली के लिए दिनांक 15 व 16 फरवरी, 1981 को जी0 एम0 ओ0 यू0 लि0, कोटद्वार की कितनी बसें दिल्ली गईं ? उनके यात्री-कर एवं सड़क कर के रूप में कितना रुपया जमा हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गढ़वाल मंडल से कांग्रेस (ई) की किसान रैली के लिए दिनांक 15 एवं 16 फरवरी, 1981 को जी0 एम0 ओ0 यू0 लि0, कोटद्वार की कोई बस दिल्ली नहीं गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश पर कृत कार्यवाही

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1975-76) (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित की सिफारिश क्रमांक 74, 75, 77 तथा 78 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदनों का सेट (पांच खंडों में) दिनांक 22 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ है। सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण

8--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए कब तक छात्रावासों का निर्माण करवा दिया जायेगा।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण उपयुक्त भूखंड उपलब्ध होने पर कराया जाना सम्भव होगा।

उत्तराखंड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट कोर्स में विद्यार्थियों की भर्ती करने पर जिला चमोली के छात्रों को विशेष सुविधा दिए जाने पर विचार

9--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में उत्तराखंड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट कोर्स में विद्यार्थियों की भर्ती करने में जिला चमोली के अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले में 10 अंक अधिक दिए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या यह सुविधा गत वर्ष प्रवेश के समय चमोली जिले के छात्रों को दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सुविधा भविष्य में दी जायेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं। शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

10--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित।]

सुल्तानपुर नहर से जल भराव एवं रिसने के कारण कृषि योग्य प्रभावित क्षेत्र तथा ड्रेन्स का निर्माण

11--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक शाखा से सुल्तानपुर नहर के जल भराव एवं रिसने के कारण वर्ष 1980 व वर्ष 1981 में कितनी कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है और रिसने से जलभराव के कारण हुई क्षतिपूर्ति हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या कृषकों के लगान व सिंचाई माफ किए गए ? इस जल भराव से निपटने के लिए कौन-सी योजना प्रस्तावित है और उस सन्दर्भ में क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सुल्तानपुर नहर से जल भराव एवं रिसने के कारण वर्ष 1980 में 1439 हेक्टेयर एवं वर्ष 1981 में 1060 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र प्रभावित हुए ।

विभागीय नियमानुसार फसल में 50 प्रतिशत से अधिक हानि पर सिंचाई कर से छूट दी जा रही है ।

इस जल भराव से निपटने के लिए सीपेज ड्रेन्स का निर्माण किया जा रहा है । 303 कि0 मी0 लम्बाई की प्रस्तावित ड्रेन्स में से दिसम्बर 1981 तक 192 कि0 मी0 लम्बाई की ड्रेन्स का निर्माण हो चुका है और शेष ड्रेन्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

ग्राम भारीडीहा में थिरुआ नाले में पुल निर्माण हेतु आमंत्रित किए गए टेन्डर

12--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की टांडा तहसील के ग्राम भारीडीहा के उत्तर थिरुआ नाला पर पुल बनाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कई बार टेंडर स्वीकार किए गए लेकिन निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ ? यदि हां, तो उसके लिए दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

थिरुआ नाले के 28·0 कि0 मी0 पर एक ग्रामीण पुल के निर्माण हेतु तीन बार टेन्डर आमंत्रित किए गए परन्तु निविदायें नियमानुसार न होने के कारण उन्हें निरस्त करना पड़ा । अतः किसी अधिकारी का दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता। कार्य के निर्माण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है और आशा है कि कार्य दिसम्बर, 1982 तक पूरा हो जायेगा ।

वर्क चार्ज कर्मचारियों की समस्याओं पर विचारार्थ समिति का गठन

13--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि वर्क चार्ज कर्मचारियों (उ0 प्र0) की समस्याओं पर विचारार्थ सन् 1981 में कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उन्हें किस आधार पर मनोनीत किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । गठित समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं---

अध्यक्ष--विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

सदस्यगण --

(क) शासन स्तर के अधिकारी 1--विशेष सचिव, सिंचाई ।
2--संयुक्त सचिव, सिंचाई ।

(ख) प्रमुख अभियंता कार्यालय के अधिकारी सदस्य/संयोजक

1—प्रमुख अभियंता, सिंचाई ।

2—मुख्य अभियंता (नलकूप पूर्व) सिंचाई ।

(ग) विभिन्न कार्य-प्रभारित कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि

1—महामंत्री, इर्रीगेशन डिपार्टमेण्ट इम्प्लाइज यूनियन, देहरादून ।

2—मंत्री, सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद्, लखनऊ ।

3—महामंत्री, सिंचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4—अध्यक्ष, रामगंगा परियोजना मजदूर संघ, कालागढ़ ।

5—संयुक्त मन्त्री प्रान्तीय सिंचाई एवं बांध परियोजना श्रमिक महापरिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6—महामंत्री, राजकीय सिंचाई उद्योगशाला कर्मचारी महापरिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7—महामंत्री, सिंचाई कर्मचारी संघ, लखनऊ । सदस्यों को मनोनीत इस आधार पर किया गया है कि समस्याओं पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, विभागाध्यक्ष तथा शासन तीनों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर समिति सम्यक् रूप से विचार करे ।

जनपद उन्नाव, विकास खंड सुमेरपुर, ताजकपुर तथा कीरतपुर में नलकूपों के संबंध में शिकायतें

14—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 17-11-81 को भेजे गये ऐसे पत्र उन्हें प्राप्त हुये हैं जिनमें उन्नाव जनपद के विकास खंड, बीघापुर तथा सुमेरपुर में लगे नलकूपों के संबंध में शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उन शिकायतों को दूर करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत विकास खंड, सुमेरपुर के ताजकपुर तथा कीरतपुर में नलकूप संख्या 14 व 15 पुरवा समूह का छिद्रण वर्ष 1979 में हुआ था । इन नलकूपों का पानी खारी तथा सिंचाई के लिए अनुपयुक्त पाया गया, जिसके कारण इन नलकूपों पर अग्रिम निर्माण कार्य नहीं कराये गये ।

प्रश्नकर्ता ने इन दोनों नलकूपों को अन्यत्र स्थानों पर लगाने के लिए अनुरोध किया था । इस संबंध में इंगित करना है कि तहसील पुरवा के विकास खंड बीघापुर के अंतर्गत ग्राम राजपुर गदेवा में केन्द्रीय भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से अन्वेषणात्मक छिद्रण कराया जा रहा है । इन अन्वेषणात्मक छिद्रणों के परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त इन के प्रकाश में इस क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण के संबंध में निर्णय लेना सम्भव हो पायेगा।

श्री उदयराज सिंह, ठेकेदार, शारदा नहर ग्राम गौरा, जिला उन्नाव को काम का पैसा न मिलने संबंधी शिकायती-पत्र

15--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि उन्हें श्री उदयराज सिंह, ठेकेदार, पुरवा बांच, शारदा नहर ग्राम गौरा, जिला उन्नाव द्वारा दिनांक 17 या 18 अथवा 19 नवम्बर, 1981 का भेजा हुआ कोई ऐसा शिकायती-पत्र मिला है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि उक्त क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर तथा श्री पी० डी० सिंह, असिस्टेन्ट इंजीनियर ने उनसे नहरों में काम कराया है, लेकिन काम की मजदूरी या पैसा उन्हें अब तक नहीं दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत अवधि में उदय राज सिंह नाम के ठेकेदार का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

16--श्री राम असरे वर्मा तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

17--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

18--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

19--श्री कन्हैयालाल--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

भिक्षुक गृह, इलाहाबाद में कम्बल, स्वेटर, चादर तथा कपड़े आदि पर खर्च की गई धनराशि

20--श्री ऊदल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में बेगर होम खुले 6 वर्ष हो गया ? यदि हां, तो सहवासिनियों के लिए कम्बल, स्वेटर, चादरें, कपड़े आदि के लिए प्रत्येक वर्षों में कितना धन दिया गया और किन फर्मों से कोटेशन मांग कर खरीदा गया ? क्या यह भी सत्य है कि सिर्फ एक-एक सेट वर्षों पुराना रखा हुआ है ? इसकी जांच की जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां । राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) इलाहाबाद की स्थापना वर्ष 1976-77 (मार्च, 1976) में हुई । वर्ष 1976-77 से 1981-82 तक संवासियों के भरण-पोषण के मद से कम्बल, स्वेटर, चादर तथा कपड़े आदि पर खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	रु0
1976-77	98,000·00
1977-78	84,980·00
1978-79	1,68,000·00
1979-80	1,14,000·00
1980-81	1,91,500·00
1981-82	1,45,200·00

कोटेशन के आधार पर जिन फर्मों से उक्त वस्तुएं क्रय की गयीं, उनके नाम निम्नवत् है :

1--रामजी रतन प्रकाश, 58 कटरा, इलाहाबाद ।

2--मेसर्स विजय संस, कटरा इलाहाबाद ।

3--मेसर्स नेशनल टेडर्स, नखास कोना, इलाहाबाद ।

4--मेसर्स नवरंग टेक्सटाइल, थोक विक्रेता, 1/4, खोवा मन्डी, मीरगंज, इलाहाबाद ।

5--मेसर्स रामा एन्ड कम्पनी, चौक, इलाहाबाद ।

6--नियंत्रण कपड़े की दुकान ।

7--जनता बाजार, इलाहाबाद ।

8--मेसर्स पुरुषोत्तम दास विजय कुमार, थोक वस्त्र विक्रेता, खोवा मन्डी, इलाहाबाद ।

9--गुलाटी क्लाथ हाउस, कोठापार्चा, इलाहाबाद ।

10--मेसर्स राम जी लाल राम प्रकाश, 58, कटरा, इलाहाबाद ।

जी नहीं । जो सेट प्रयोग योग्य होते हैं वह संवासियों के इस्तेमाल में लाये जाते हैं अथवा संवासियों के उपयोग हेतु धुलवा कर भन्डार गृह में सुरक्षित रखे जाते हैं । अतः जांच के लिए आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता ।

21--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[65 मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में बच्चों को शुल्क मुक्ति की सुविधा, कक्षा 6 तक शिक्षा शुल्क मुक्ति एवं ट्रेनिंग कालेज में लेक्चरर्स ग्रेड

22-24--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि क्या मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ, जो एक मान्यता प्राप्त तथा पूर्ण रूप से अनुदान प्राप्त संस्था है, में निर्धन व्यक्तियों के बच्चों को पूर्ण शुल्क मुक्ति, अर्द्ध शुल्क मुक्ति, भाई एवं बहन शुल्क मुक्ति तथा कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को शुल्क मुक्ति की सुविधा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि क्या मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में शासन की नीति के अनुसार कक्षा 6 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क मुक्ति की सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में ट्रेनिंग कालेज में लेक्चरर्स ग्रेड दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के बेलीपार और नौसड़ नामक स्थान पर बुकिंग स्टेशन खोलने पर विचार

25--श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के बेलीपार और नौसड़ नामक स्थान पर बुकिंग स्टेशन खोलने के लिए वर्ष 1981 में परिवहन मन्त्री द्वारा आदेश किए गए थे ? यदि हाँ, तो अब तक बुकिंग स्टेशन न बनाने का क्या कारण है और कब तक खोले जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज में बस-स्टेशन निर्माण

26--श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज में बस-स्टेशन निर्माण के लिए साढ़े छः लाख (6.50 लाख) रुपये की स्वीकृति भवन निर्माण के लिए सन् 1980 में प्रदान की गई थी और बुढ़नपुरा ग्राम, तहसील बासगांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हाँ, तो बड़हलगंज बस-स्टेशन के भवन के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । बड़हलगंज में बस-स्टेशन निर्माण के लिए साढ़ छः लाख रुपये की कोई स्वीकृति वर्ष 1980 में प्रदान नहीं हुयी । गयी इस हेतु बुढ़नपुरा ग्राम

(तहसील बांसगांव) में किसी जमीन का अधिग्रहण भी अभी तक नहीं किया गया है ।

कारागार महानिरीक्षक कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार

27--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या ए-2/3-190/दस-दस(54)/71, दिनांक 5 जनवरी, 1973 के अन्तर्गत कार्यालय, कारागार महानिरीक्षक, उ0 प्र0 के कितने कार्य प्रभारित (दैनिक वेतन भोगी) कर्मचारियों को 20 नवम्बर, 1981 तक नियमित किया गया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के कार्य प्रभारित (दैनिक वेतन भोगी) कर्मचारी शासनादेश संख्या ए-2/3190/दस-10(54)/71, दिनांक 5 जनवरी, 1973 से शासित नहीं होते हैं ।

28-29--श्री सूबेदार सिंह--

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 67-68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद तथा भयां इल्तिफातगंज, टांडा, हसबर तक बस चलाये जाने का विचार

30--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद तथा भयां: इल्तिफातगंज-केदारनगर रोड, जो राष्ट्रीय मार्ग है, पर फैजाबाद डिपो द्वारा राजकीय बस चलाई जा रही है ? यदि हां, तो फैजाबाद तथा भयां, इल्तिफातगंज, टांडा, हसबर तक बस चलाए जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नदाव, रेहाव तथा बलिया नालों पर पुल निर्माण की प्रस्तावित योजना

31--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में मधुबनी शाखा के अन्तर्गत नदाव नाले के ग्राम बेलवा काजी, बड़हरा राजा, खुटहवा, विजयपुर, महेशपुर व रेहाव नाला के स्थान पर कटहरा, बांगापार टीला, बरगदवा, रेहावखास, झनझनपुर तथा बलिया नाला के स्थान पिपरा कल्याण के पूरब बउलियाराजा, मुडेरा कलां, जी0एस0बी0एस0 कालेज, महाराजगंज के पास रुधौली भावचक, राजो (दुबौली) राहोली के सटे पूरब नेता सुरहुरबा के पास पुल या पुलिया वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष में बनवाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नदाव नाले के ग्राम बेलवा काजी, बड़हरा राजा, खुड़हवा विजयपुर, महेशपुर व रेहाव नाले के ग्राम कटहरा, बागापार टोला, बरगदवा रेहाव खास, झनझनपुर ग्राम में पुल निर्माण की योजना नदाव नाला एवं रेहाव नालों के अन्तर्गत प्रस्तावित है। उक्त दोनों नालों का सर्वेक्षण कार्य हो चुका है। लंबधिन्वक अनुमोदन करते समय उपर्युक्त स्थानों पर पुलों के औचित्य पर निर्णय लिया जायेगा।

बलिया नाला पर एक पुल का निर्माण 10·20 कि0 मी0 पर स्वीकृत हो चुका है, जिससे ग्राम दुबोली राजा से रुघौली भाववक आदि ग्राम लाभान्वित होंगे। पिपरा कल्याण के पूरब बउलिया राजा मुन्डेरा कला, जो0 एस0 बी0 एस0 कालेज, महराजगंज के पास कोई पुल स्वीकृत नहीं है क्योंकि महाराजगंज टाउन में एक पुल उक्त नाले पर बना हुआ है, जो कि उक्त ग्रामों से लगभग 1 कि0मी0 की दूरी पर है।

32-33--श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 81-82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

34-35--श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 78-79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

36--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित।]

37--श्री राम आसरे वर्मा--

[बुधवार के लिए स्थगित।]

38--श्री दीप नारायण--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ट्रेक्टरों को दिया गया रोड परमिट तथा किराये पर सवारियां ढोने से सरकारी आय में क्षति

39--श्री रामचरण सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेकरों को किराए पर सवारी ढोने के लिए रोड परमिट दिया जाता है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 68-घ (3) के अधीन अधिसूचित मार्ग से भिन्न अन्य मार्गों पर ट्रेकरों को ठेकागाड़ी परमिट या मंजिली गाड़ी परमिट निर्माताओं द्वारा विनिर्दिष्ट बैठने की क्षमता के अनुसार दिए जाने की व्यवस्था है।

40.--श्री रा म चरण सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री को मालूम है कि ट्रेकरों से किराए पर सवारियां ढोई जाती हैं, जिससे प्रदेश में सरकार को आय की बहुत बड़ी क्षति होती है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

यदि किसी ट्रेकर द्वारा अनधिकृत रूप से किराये पर सवारियां ले जायी जाती हैं तो उनकी चेकिंग होती है और नियमानुसार चालान करके उन्हें दण्डित कराया जाता है ।

शुकुल बाजार से जिला लखनऊ-सुल्तानपुर की सायंकाल की बस सेवा चालू करने पर विचार

41.--श्री दीप नारायण--

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि जिला सुल्तानपुर में बाजार शुकुल से सुल्तानपुर-लखनऊ को प्रातः की परिवहन निगम की बस सेवा चल रही है परन्तु सायंकाल कोई बस सेवा शुकुल बाजार से जिला लखनऊ-सुल्तानपुर को नहीं है, जिससे जनता को बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सायंकाल की बस सेवा चालू करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ शहर के सुरक्षा बांध में बने फीडर में प्रयुक्त घटिया सामान की जांच

42.--श्री दीप नारायण--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर के सुरक्षा बांध में बने फीडर में कम तथा घटिया सामान प्रयुक्त हुआ है ? क्या इसकी जांच चल रही है ? जांच में कौन-कौन अधिकारी तथा कर्मचारी प्रभावित हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत विषय पर जांच चल रही है । जांचोपरान्त ही दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

43.--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[वे बुधवार के लिए स्थगित ।]

चारबाग बस स्टेशन की शिकायत की किताब में विधायक द्वारा अंकित शिकायत पर कार्यवाही

44--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जून, 1981 के पहले पखवारे में उन्हें प्रश्नकर्ता को बस नं0 यू0 टी0 एफ0 7106 द्वारा गाड़ी न रोकने आदि की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी । इसी प्रकार प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 को चारबाग बस स्टेशन की शिकायत की किताब में जो शिकायत लिखी उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला आजमगढ़, ग्राम हाजीपुर के घुसवा टोले के कटाव से सम्बन्धित पत्र

45--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम हाजीपुर के घुसवा टोले के कटाव से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-11-81 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र में घाघरा नदी के कटाव को रोकने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

सुन्दर गांव के कृषकों द्वारा एक पैदल पुल की मांग

46--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के सुन्दरपुर गांव में शारदा सहायक नहर पर पुल बनाये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-11-81 अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । किन्तु दोहरीघाट लिंक नहर के कि0 मी0 37·925 पर सुन्दरपुर गांव के कृषकों द्वारा एक पैदल पुल की मांग की गई थी । जिस स्थान पर इस पुल की मांग की गई थी, उससे लगभग 0·625 कि0 मी0 नीचे एक पुल स्थित है, जिसका प्रयोग ग्राम सुन्दरपुर के निवासी कर सकते हैं ।

जिला आजमगढ़ में निर्माणाधीन शारदा सहायक खंड में पुल का निर्माण कार्य

47--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में निर्माणाधीन शारदा सहायक खंड 32 के कि0 मी0 42 तथा 43 के बीच पुलिया के निर्माण से सम्बन्धित नागरिकों का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28 मार्च, 1981 के साथ मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

कि0 मी0 42·8 पर ग्रामीण सड़क पुल की स्वीकृति दी जा चुकी है निर्माण कार्य प्रगति में है ।

48--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

49--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया डिपो के वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच

50--श्री कुबेर भंडारी, श्री राम गोविन्द, श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो के वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध विधान सभा का चुनाव लड़ने, अनियमित कार्य करने तथा भ्रष्टाचार में लीन होने से सम्बन्धित शिकायती पत्रों की जांच वर्ष 1974 से चल रही है ? यदि हां, तो जांच की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

51-52--श्री कुबेर भंडारी--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

जनपद गोरखपुर के विकास खंड नौतनवां के थारू जनजाति को कृषि उत्थान हेतु अनुदान

53--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा --

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में नौतनवां वि0 क्षे0 में थारू जनजाति को कृषि कार्यों के लिए 50 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत माह (नवम्बर,

1981) इस सम्बन्ध में भारी घोटाले की सूचना जिलाधिकारी को दी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गुलाब सेहरा--

जनपद गोरखपुर के विकास खंड नौतनवां के थारू जनजाति के व्यक्तियों के लिए कृषि उत्थान हेतु 50,000 रुपये की धनराशि दी गयी थी । यह धनराशि जनजाति के व्यक्तियों को कृषि उत्थान हेतु उर्वरक तथा बीज के लिए थी । माह नवम्बर, 81 में किसी भी धनराशि के घोटाले की सूचना नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

चौकिया एवं नुआब ग्रामों में सिंचाई बढ़ोत्तरी हेतु सर्वेक्षण

54--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौकिया, नुआब, जनपद मिर्जापुर में माइनर निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र 20 फरवरी, 1981 को उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

चौकिया एवं नुआब ग्रामों में सिंचाई बढ़ोत्तरी हेतु सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है ।

स्वर्गीय श्री सै0 शाह इनामुल हक की विधवा को सामूहिक जीवन बीमा तथा ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान

55--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यालय, सुल्तानपुर में नियुक्त श्री सै0 शाह इनामुल हक (लिपिक) की मृत्यु कार्यालय में ही दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 को हो गयी थी ? और क्या यह सही है कि उनकी विधवा को ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी एवं फैमिली पेंशन आदि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

स्व0 श्री सै0 शाह इनामुल हक की विधवा को सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रपत्र भरवा कर मन्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, 30 हजरतगंज, लखनऊ को क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम, फैजाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 30-1-81 के साथ भेजा गया था किन्तु अभी तक क्लेम का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त नहीं हुआ है ।

ग्रेच्युटी की धनराशि अंकन 5,069·65 रु0 का भुगतान स्व0 श्री हक की धर्मपत्नी को क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद के कार्यालय आदेश दिनांक 27-3-80 द्वारा किया जा चुका है ।

चूंकि श्री हक की नियुक्ति नान-पेंशनेबिल पद पर हुई थी और इसी पद से यह स्वर्गवासी हुये अतः पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

56--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

57--श्री छत्तर सिंह--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर जिले में निराश्रित विधवाओं को पेंशन

58--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में वित्तीय वर्ष 1980-81 में माह दिसम्बर तक कितनी निराश्रित विधवाओं को पेंशन दी गई तथा इस अवधि में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां । वित्तीय वर्ष 1980-81 में माह दिसम्बर तक 52 निराश्रित विधवाओं को पेंशन दी गई तथा इस अवधि में 22 नवीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ।

श्री हर प्रसाद सिंह, अवर अभियन्ता (सिविल), बेतवा नहर, प्रखण्ड-2 द्वारा अवैध रूप से बेची गई सीमेन्ट की शिकायतें

59--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ0 शा0 प0 सं0 7480/81-23--सि0-7 (गोपनीय), दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 का जिसमें श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, विधायकों द्वारा श्री हर प्रसाद सिंह, अवर अभियन्ता (सिविल), बेतवा नहर, प्रखण्ड-2 द्वारा अवैध रूप से बेची गई सीमेंट की सरकारी बोरी के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शिकायतों पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को निर्देशित कर दिया गया है ।

60--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

61--श्री राम गोविन्द तथा श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद झांसी में सिंचाई साधनों से रबी तथा खरीफ का कुल सिंचित क्षेत्र

62--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में सन् 1978-79 में कितनी हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र का और वर्ष 1980-81 तक बढ़कर कितना हो गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

झांसी जनपद में सन् 1978-79 में राजकीय सिंचाई साधनों से रबी की कुल सिंचित क्षेत्र 79,424 हेक्टेयर तथा खरीफ का कुल सिंचित क्षेत्र 4,784 हेक्टेयर था। वर्ष 1980-81 में इस जनपद का कुल रबी का सिंचित क्षेत्र 90,592 हेक्टेयर तथा खरीफ का 5,828 हेक्टेयर हो गया है।

63--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

64--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

शारदा नहर के मड़ियाहूं-केराकत रजबहा में ली गई भूमि से प्रभावित कृषकों को प्रतिकर का भुगतान

65--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा नहर के मड़ियाहूं-केराकत (जौनपुर) रजबहा में ली गई भूमि का मुआवजा अधिकांश गांवों के किसानों को अभी तक नहीं दिया गया ? क्या सरकार उन किसानों को तत्काल मुआवजा दिलायेगी जिनकी भूमि इस नहर में ली गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रभावित कृषकों को रुपये 2,95,411.52 के प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष को मुआवजा देने की कार्यवाही प्रगति पर है।

शारदा नहर की मड़ियाहं-केराकत रजबहे का पुर्ननिर्माण

66--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर की मड़ियाहूं-केराकत (जौनपुर) रजबहा का पुर्ननिर्माण (रिमाडलिंग) का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ? क्या यह सत्य है कि उक्त निर्माण कार्य अधूरा रहने से इस नहर के कटान से वर्ष 1980 और 1981 में लहंगपुर, मरही, बिन्दु, सोहनी आदि गांव की हजारों एकड़ जमीन जलप्लावित हो गई और कृषकों को भारी क्षति उठानी पड़ी ? क्या सरकार इस नहर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करायेगी और किसनों को क्षतिपूर्ति देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत रजबहे का पुनर्निर्माण (रिमाडलिंग) का कार्य वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ हुआ था।

निर्माण के अधूरा रहने से वर्ष 1980 में कोई कटान नहीं हुई। वर्ष 1981 में नहर की पटरी में शोरी हुई थी जिसका सारा पानी लहंगपुर नाले से निकल गया। उक्त गांवों की जमीन जलप्लावित नहीं हुई तथा कृषकों को क्षति नहीं उठानी पड़ी।

नहर का निर्माण जून, 1983 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है तथा कार्य प्रगति पर है। क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक में उन्नाव खण्ड शारदा नहर के अधिकारियों द्वारा भाग न लिए जाने पर उनको सावधानी बरतने के निर्देश

67--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की सिंचाई सलाहकार समिति की दिनांक 1-12-81 की बैठक में उन्नाव डिवीजन शारदा कैनाल के अधिकारियों द्वारा भाग न लिए जाने के कारण सर्वसम्मति से उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव पास हुआ जिसकी कापी शासन को भी भेजी गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। जनपद हरदोई की सिंचाई सलाहकार समिति की दिनांक 19-12-81 की बैठक की नोटिस जो पोस्टल डाक द्वारा भेजी गई थी, समय से प्राप्त न होने के कारण उन्नाव खण्ड शारदा नहर, उन्नाव के अधिकारी बैठक में भाग न ले सके। कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी भविष्य में अधिक सावधानी बरतने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद हरदोई में उन्नाव खंड शासन कैनाल का उपखंड खोलने का आदेश

68--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्रों पर दिसम्बर, 1980 व मार्च, 1981 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन्नाव खंड शारदा कैनाल के अन्तर्गत आने वाले हरदोई जनपद के क्षेत्र के लिए जनपद हरदोई में उन्नाव खंड का एक आफिस खोलने का आदेश दिया था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता के माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिसम्बर 1980 व अप्रैल, 1981 में प्राप्त हुए थे। हरदोई जिले की नहरों की देखरेख एवं सिंचाई व्यवस्था देखने के लिए सहायक अभियन्ता को आदेश दे दिये गये हैं कि प्रतिमाह निश्चित तिथियों में वह हरदोई जनपद में कृषकों की कठिनाई दूर करने हेतु उपलब्ध रहे।

ड्रेनों के निर्माण के लिए उन्नाव खंड, जो हरदोई जनपद में स्थापित है उसे हरदोई खंड के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया है ।

उन्नाव खन्ड शारदा नहर के प्रथम उप खंड में हरदोई एवं उन्नाव का पड़ता है । अतएव नहरों के रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए उस उप खंड का मुख्यालय हरदोई में करना सम्भव नहीं है ।

अवर अभियन्ता, नलकूप खंड, शाहजहांपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

69—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड शाहजहांपुर के अवर अभियन्ता, भंडार के विरुद्ध कमी के मामले में विभागीय जांच की जा रही है और अवर अभियन्ता का आरोप-पत्र दिया जा चुका है ? इसी मामले की जांच पुलिस विभाग द्वारा भी की जा रही है और पुलिस ने अवर अभियन्ता के विरुद्ध लिखायी गयी कमी का बहुत सा सामान स्टोर और अधिशासी अभियन्ता के निवास से पाया है ? यदि हां, तो बिना पूर्ण जांच कराये अवर अभियन्ता से वसूली किस आधार पर की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मामले में विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है । पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और उनकी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । अवर अभियन्ता से वसूली के आदेश विभागीय जांच के आधार पर जारी हुये हैं ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नलकूपों का आवंटन

70—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किस-किस जनपद को कितने-कितने नलकूप (ट्यूबवेल) वर्ष 1980-81 के लिए आवंटित किये गये ? और क्या यह सत्य है कि जनपद हरदोई को सबसे कम नलकूप (ट्यूबवेल) आवंटित किये गये ? यदि हां, तो इस आवंटन का आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश के विभिन्न जनपदों को वर्ष 1980-81 में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1135 नलकूपों का आवंटन किया गया, जिनका जनपदवार विवरण* संलग्न है ।

जो नहीं, जनपद हरदोई को सब से कम नलकूप नहीं आवंटित किये गये हैं, बल्कि इस जनपद के लिये 14 नलकूपों का आवंटन हुआ है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

71—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

(पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया)

72—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

(पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया)

*(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 337 पर)

फैजाबाद की रोडवेज की बस से दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को आर्थिक सहायता

73—श्री मित्र सेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 7-11-81 बस नं0 9751 रोडवेज, फैजाबाद द्वारा दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या क्राइम नं0 287 धारा 304-ए के अन्तर्गत थाना इनायत नगर, फैजाबाद, में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता विभाग द्वारा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कनहर सिंचाई परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों को अनिवार्य रूप से नौकरी देने का प्राविधान

74—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में निर्माणाधीन 'कनहर सिंचाई परियोजना' में कितने परिवार विस्थापित हुए हैं और विस्थापित परिवारों में से कितनों को उक्त परियोजना में नौकरी दी गयी है ? तथा इनमें कितने अनुसूचित जाति के सदस्य हैं ? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना में विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से नौकरी देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कनहर सिंचाई परियोजना के निर्माण से अभी तक केवल दो परिवार विस्थापित हुए हैं उनमें से एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी गयी है । यह दोनों परिवार पिछड़ी जाति के हैं । वर्तमान शासनादेश के अनुसार परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार बिना किसी वेतनमान के प्रतिबन्ध के अनिवार्य रूप से नौकरी देने का प्राविधान किया गया है ।

मिर्जापुर जनपद के दुद्धी तहसील में झारोखास बन्धी की नहर की मरम्मत

75—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे मिर्जापुर जनपद के दुद्धी तहसील के झारोखास बन्धी की नहर कब टूटी है और अब तक क्यों नहीं बनी ? क्या मंत्री महोदय किसानों की क्षति को देखते हुए टूटी नहर को तत्काल बनवाने का आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत बंधी की नहर जुलाई 1981 में टूटी थी जिसकी मरम्मत करा दी गयी है ।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के लकड़ा बन्धी की दोनों नहरों के संगम के समीप क्षतिग्रस्त फाटक की मरम्मत का कार्य

76—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के लकड़ा बन्धी की दूसरी नहर जिससे मलदेवा, बराईडाड, जाबर, पिपराडीह चार गांवों की भूमि की सिंचाई होती है, उसमें पिछले कई वर्षों से पानी न आने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी दोनों नहरों को अलग-अलग फाटक से पानी वितरित कराने के लिए संबंधित अभियन्ता को आदेश प्रदान करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कृषकों द्वारा लकड़ा बन्धी की दोनों नहरों के संगम के समीप बने फाटक को क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण बांयी नहर से सिंचाई पर प्रभाव पड़ा है। फाटक की मरम्मत का कार्य वर्तमान कार्यसत्र में प्रस्तावित है जिससे समस्या का समाधान हो जायेगा।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के कटौली बंधी से निकाली गयी नहर का विस्तार

77—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के कटौली बांध जलाशय द्वारा क्षमता से बहुत कम भूमि सिंचाई होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उस बन्धी द्वारा निकाली गई नहर की लम्बाई एक कि0मी0 से भी कम है ? अगर नहर 1-2 कि0मी0 और बढ़ा दी जाय तो 200-250 एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई आसानी से हो सकेगी ? उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर क्या मंत्री महोदय उक्त नहर को और आगे तक बढ़ाने का आदेश प्रदान करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कटौली बंधी से प्रस्तावित वार्षिक सिंचन की लगभग 90 प्रतिशत सिंचाई की जा चुकी है। बंधी से निकाली गई नहर की लम्बाई लगभग 0·9 कि0मी0 है। नहर प्रणाली के विस्तार का सर्वेक्षण प्रगति में है।

जनपद मिर्जापुर के कन्हर सिंचाई परियोजना की डिजाइन व निर्माण हेतु तथा अधिकारियों/कर्मचारियों पर वेतन तथा यात्रा भत्ता पर हुए व्यय का विवरण

78—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री सदन को बतायेंगे कि अभी तक जनपद मिर्जापुर के कन्हर सिंचाई परियोजना की डिजाइन तैयार नहीं है ? यदि हां, तो अब तक डिजाइन और निर्माण हेतु पिछले कई वर्षों से आठ प्रखंड कार्यरत हैं, तो क्यों ? क्या सरकार अब तक उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर वेतन तथा यात्रा भत्ता पर हुए व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की डिजाइन आवश्यकतानुसार तैयार होती रही है।

प्रश्न नहीं उठता। आठ खंडों में चार खंड बांध व सम्बन्धित कार्यों पर तथा तीन खंड वितरण प्रणाली पर और एक यांत्रिक खंड मेजा बांध ऊंचा करने के कार्य में कार्यरत हैं।

जी हां। आठ खंडों के वेतन व यात्रा भत्ता पर दिसम्बर, 1981 तक क्रमशः 1,29,49,242.65 रु0 व 19,17,622.68 पैसे व्यय हुए हैं।

जनपद नैनीताल में ट्रैलीट्रेनिक्स भीमताल में प्रशिक्षित नवयुवकों की शैक्षिक योग्यता तथा अवकाश नियमावली में समानता

79--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैलीट्रेनिक्स, भीमताल, जनपद नैनीताल में अप्रैल, 1981 से अब तक कितने शिक्षित नवयुवक प्रशिक्षण हेतु लिए गए हैं? उनकी योग्यतायें क्या थीं, उनकी अवकाश सेवा नियमावली बनी है और उसमें समानता बरती गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

अप्रैल 1981 से अब तक (20-12-81 तक) कुल 24 प्रशिक्षणार्थी इस संस्थान में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु लिए गए हैं। प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण रखी गयी है। अप्रैल 1981 से जिन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हेतु लिया गया है उनमें से 19 हाई स्कूल, 3 इन्टर (आई0 टी0 आई0) एम0 एस0 सी0 तथा बी0 ई0 है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए अवकाश/सेवा नियमावली बनाई गई है तथा उनमें समानता बरती जा रही है।

प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर के विरुद्ध जांच व कार्यवाही

80--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री एस0 के0 सिंह, चन्देल, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयन न किये जाने के बावजूद भी अब तक अपने पद पर कार्यरत हैं? क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर प्रधानाचार्य पद से प्रत्यावर्तित करने के आदेश अविलम्ब देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, द्वारा केन्द्र के अन्दर खाली पड़ी हुई भूमि पर सब्जी आदि की खेती से आय

81--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, श्री एस0 के0 सिंह चन्देल, केन्द्र पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारियों से केन्द्र के अन्दर खाली पड़ी हुई भूमि पर सब्जी आदि की खेती करवाते हैं ? यदि हां, तो केन्द्र की भूमि पर वर्ष 1980-81 में उगाई गयी फसल से कितनी आय हुयी तथा उक्त आय को किस मद में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोकदल सरकार द्वारा पर्वतीय जिलों के ग्रामीण अंचलों में राजकीय महाविद्यालय

32--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1978-79 में तत्कालीन लोकदल सरकार ने प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण अंचलों में कितने राजकीय महाविद्यालय खोले हैं ? क्या यह सत्य है कि भवन, छात्रावास, आवासीय भवन न होने से उक्त महाविद्यालयों में छात्र संख्या नहीं बढ़ रही है ? यदि हां, तो शासन भवन निर्माण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

वर्ष 1978-79 में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता

83--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति के तत्वाधान में संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव होता है ? यदि हां तो शिक्षा सत्र 1980-81 तक उक्त कालेज की प्रबन्ध समितियां कब तक चुनी गयीं और क्या उक्त प्रबन्ध समितियों को जिला विद्यालय निरीक्षक की मान्यता प्राप्त थी ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

शिक्षा सत्र 1980-81 तक अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, जिसके तत्वाधान में प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, संचालित है, की प्रबन्ध समिति 1958 से शिक्षा सत्र 1980-81 तक प्रतिवर्ष चुनी गई । इस प्रबन्ध समिति को जिला विद्यालय निरीक्षक की मान्यता प्राप्त नहीं थी । चयनित सदस्यों की सूचना भारत सरकार तथा राज्य सरकार को दी जाती रही है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में कार्यरत अध्यापकों को स्वीकृत वेतनमान

84--श्री धरमपाल तथा श्री जमुना प्रसाद--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कार्यरत कितने अध्यापकगण निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त हैं और उन्हें स्वीकृत वेतन क्रम दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार स्वीकृत वेतन-क्रम दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कार्यरत 17 अध्यापक/अध्यापिकाएं निर्धारित योग्यता प्राप्त हैं और सभी को स्वीकृत वेतनमान दिया जा रहा है ।

आपातकाल में स्थायी व अस्थायी सेवानिवृत्त परिचालकों को पुनः नौकरी पर लिये जाने पर कार्यवाही

85--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति में दिनांक 30-9-75 को 76 स्थायी एवं अस्थायी परिचालक विभिन्न आरोपों में सेवा निवृत्त कर दिए गए थे ? क्या भारत सरकार ने 1976 में ऐसे आदेश दिए थे कि भारत सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के समस्त कर्मचारी जो आपात काल में निकाले गये थे पुनः सेवारत कर दिए जायें ? क्या इन निकाले हुए रोडवेज कर्मचारियों में से अधिकांश को वापस नौकरी में लिया गया है ? जिन परिचालकों को अब तक सेवारत नहीं किया गया उनके नाम क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । दिनांक 30-9-75 को किसी भी अस्थायी/स्थायी परिचालक को सेवानिवृत्त (रिटायर) नहीं किया गया ।

संदर्भित विषय पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में दिये गये किसी आदेश की जानकारी नहीं है ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में किसी परिचालक को सेवा में वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला आजमगढ़ परिवहन विभाग में परिचालकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच व कार्यवाही

86--श्री लालसा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ परिवहन विभाग में भ्रष्ट तरीकों से कुछ परिचालकों को नियुक्त करने हेतु बनी चुनाव की सूची वर्ष 1980 शासन द्वारा रद्द कर दी गयी थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से उक्त सूची से कुछ परिचालकों को ड्यूटी पर कार्य करने हेतु रखा गया जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच कराकर ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तरकाशी व टिहरी-गढ़वाल के कतिपय नवनिर्मित मोटर मार्गों पर बस सेवा का संचालन

87--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी व टिहरी-गढ़वाल की नवनिर्मित उत्तरकाशी लम्बगांव (2) बड़ेक बलचौरा, (3) उत्तरकाशी धनारो, (4) पिलक्यारा-बड़गांव तथा टिहरी-गढ़वाल में (1) कछूखाल-कुमाल्डा-रामपुर, (2) नैनबाग--घोड़ा-खीकी, (3) अगलाड-थत्यूड, सुआखोली थत्यूड-भवाना मोटर मार्गों पर कब से बस सेवा शुरू की गयी हैं और नहीं की गयी हैं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विभिन्न मार्गों पर बस सेवा संचालन की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) उत्तरकाशी-लम्बगांव---इस मार्ग पर अस्थायी बस परमिट पहले से जारी हैं और उस पर बस सेवा चल रही है । यह अवश्य है कि बहुधा हिमपात व वर्षा आदि के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ।

(2) व (3) बडेथी-वनचौरी-उत्तरकाशी धनौरी--इन दोनों मार्गों को मिलाकर एक अस्थायी सवारी गाड़ी का परमिट 2-11-81 व एक अस्थायी परमिट 5-1-82 को जारी किया गया । इसके अतिरिक्त अन्य 20 बसों के परमिटों में भी इन मार्गों को 11-1-82 से पृष्ठांकित कर दिया गया है ।

(4) सिलक्यारा-बड़गांव---इसका केवल 15 कि0मी0 भाग मोटर चलाने के योग्य है और उसे शीघ्र ही निकटवर्ती मार्गों पर चलने वाली बसों के परमिटों पर पृष्ठांकित कर दिया जायगा ।

(5) कछदखाल-कमाल्डा-रामपुर---इसका केवल 23 कि0मी0 भाग ही मोटर चलाने के योग्य है जिसका अस्थायी पृष्ठांकन 20 परमिटों में 11-1-82 को कर दिया गया है ।

(6) नैनबाग-घोड़ाखुरी---इस मार्ग का केवल 21 कि0मी0 भाग ही मोटर चलाने के योग्य है जिसे 20 परमिटों में 11-1-82 को पृष्ठांकित कर दिया गया है ।

(7) अगलाड-थत्यूड़---इसका केवल 14 कि0मी0 भाग ही मोटर चलाने के योग्य है जिसे 20 बसों के परमिटों में 11-1-82 को पृष्ठांकित कर दिया गया है ।

(8) सुआखोली-थत्यूड-भवाना---सुआखोली-थत्यूड़ मार्ग पर बसें पहले से चल रही हैं । इस मार्ग पर पड़ने वाले स्थान अलमस से भवान तक 15 कि0 मी0 वाले मार्ग को 20 बसों के परमिटों में अस्थायी रूप से पृष्ठांकित कर दिया गया है ।

शाहजहांपुर बस स्टेशन के कैन्टीन भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में कार्यवाही

87—श्री मोहन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन काफी जर्जर अवस्था में है और वर्षा के समय उसमें बैठे यात्रियों को जलपान करने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो कैन्टीन भवन की मरम्मत के लिए अविलम्ब कार्यवाही किए जाने के आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एलेन फारेस्ट वर्कशाप, कानपुर में परीक्षा के दौरान चुने गए मैकेनिक

88—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1981 में एलेन फारेस्ट वर्कशाप, कानपुर में मैकेनिक की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने विभागीय और कितने बाहर के परीक्षार्थियों ने भाग लिया था ? क्या उस परीक्षा में बैठने के लिए सूचना विज्ञापनों के माध्यम से की गई थी ? कितने व्यक्तियों को मैकेनिक रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, इस परीक्षा में 8 विभागीय एवं एक बाहरी परीक्षार्थियों ने भाग लिया था । परीक्षा में बैठने की सूचना विज्ञापनों के माध्यम से नहीं दी गई थी । चार व्यक्तियों को मैकेनिक के पदों पर रखा गया ।

जनपद गोरखपुर के महाराजगंज व मुन्डेरा बाजार क्षेत्र में नहरों व बांधों के निर्माण हेतु अधिकृत जमीन व किसानों को मुआवजा दिए जाने पर कार्यवाही

89—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज व मुन्डेरा बाजार क्षेत्र में बनी नहरों एवं बांधों के निर्माण में कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और इसमें किन-किन नहरों व बंधों में पड़ी किसानों की भूमि का मुआवजा दिनांक 20-2-81 तक भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक दिला दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज व मुन्डेरा बाजार क्षेत्र में बनी नहरों व बांधों के निर्माण हेतु निम्न भूमि अधिग्रहीत की गई है :—

महाराजगंज		मुन्डेरा बाजार	
नहरों के लिए (एकड़)	बांध के लिए (एकड़)	नहरों के लिए (एकड़)	बांध के लिए (एकड़)
185·817	28·12	169·235	23·38

उपरोक्त में से निम्नलिखित नहरों व बांधों में पड़ी भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है :—

बांध/नहर का नाम	ग्राम का नाम	भूमि एकड़ में महाराजगंज	भूमि एकड़ में मुन्डेरा
1—जगपुर माइनर	जगपुर आराजी	2·06	..
2—टेगरहना माइनर	टेगरहना	1·99	..
3—धरमपुर माइनर	धरमपुर	2·06	..
4—बेलवा माइनर	बामपुर	1·94	..
5—परसा माइनर	हरपुर खुर्द	1·19	..
6—परसा माइनर	बहहरा बरईपार	7·64	..
		16·88	
7—चेहरी बांध		28·12	..
8—इटौवा बांध		..	23·38

उपरोक्त में क्रमांक 1 से 6 तक कुल 16·88 एकड़ भूमि में से 7·64 एकड़ भूमि का प्रकाशन धारा 6(1) में हो चुका है। मुआवजे के सम्बन्ध में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहां काश्तकारों की आपत्ति पर सुनवाई हो रही है। शेष 9·24 एकड़ भूमि का प्रकाशन धारा 4(1) के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहां विचाराधीन है।

चेहरी बांध में पड़ी भूमि का भी अध्याप्ति प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहां भेजा का चुका है। इटौवा बांध का अधियाचन हुआ है।

अधिग्रहण का केस भेजा जा रहा है । मुआवजे के वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा धारा 4(1) व धारा 6(1) के प्रकाशन के बाद हो सकेगी ।

जनपद कानपुर अन्तर्गत बिल्हौर बस स्टेशन पर जी0 टी0 रोड पर चलने वाली समस्त बसों को रुकने के आदेश

90--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने जनवरी, 1981 व फरवरी, 1981 में जनपद कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर बस स्टेशन पर जी0 टी0 रोड पर चलने वाली समस्त बसों को रुकने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो अभी तक उस आदेश का पालन न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रधान प्रबन्धक को बिल्हौर में सभी गाड़ियां जो वहां से गुजरती हैं, के रोके जाने के आदेश जनवरी 1981 व मार्च 1981 में दिए गए थे ।

आदेशों का अनुपालन हो रहा है ।

श्री दया राम दुबे, बुकिंग क्लर्क, बस स्टेशन, जनपद बस्ती की वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कार्यवाही

91--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उप प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को श्री दया राम दुबे, बुकिंग क्लर्क, बस स्टेशन, जनपद बस्ती के वरिष्ठता सूची, प्रोन्नति तथा वार्षिक बढ़ोतरी के सम्बन्ध में दिनांक 19-2-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-2-81 नहीं बल्कि दिनांक 20-2-81 उप प्रधान प्रबन्धक को प्राप्त हुआ था । जिसमें श्री दुबे की वार्षिक बढ़ोत्तरी का उल्लेख नहीं है । श्री दया राम दुबे, बुकिंग क्लर्क को यातायात निरीक्षक ग्रेड-2 के पद पर दिनांक 22-7-81 से तैनात कर दिया गया है तथा श्री सहदेव प्रसाद के नाम के नीचे वरिष्ठता सूची में श्री दुबे की ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित कर दी गयी है । श्री दुबे से कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं दी गयी अपितु पद-परिवर्तन किया गया क्योंकि बुकिंग क्लर्क व यातायात निरीक्षक ग्रेड-2 का वेतनमान एक ही है ।

जौनपुर डिपो से संचालित बसें व अयोग्य बसों की मरम्मत हेतु कार्यवाही

92--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर डिपो से इस समय कितनी बस संचालित होती हैं ? क्या यह सच है कि इस डिपो की लगभग आधी बसें रख-रखाव के अभाव में मार्गों पर चलने के अयोग्य हैं ? यदि हां, तो इन बसों को विधिवत् ठीक कराकर चलने के योग्य बना दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जौनपुर डिपो में इस समय 102 बसें संचालित होती हैं। यह सत्य नहीं है कि डिपो की लगभग आधी बसें रख-रखाव के अभाव में मार्गों पर चलने के अयोग्य हैं। कुल 102 बसों में से केवल 6 बसें ही मरम्मत में हैं। शेष सभी बसें संचालित हैं।

सीनियर स्टेशन इंचार्ज, देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

93--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीनियर स्टेशन इंचार्ज, देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-1-81 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

परिवाद पत्र में यह शिकायत की गयी थी कि श्री चैतन्य देव, सीनियर स्टेशन इंचार्ज ने कार्यभार ग्रहण के बाद कोई कार्य नहीं किया, फलतः 1 लाख 80 हजार का घाटा हुआ, स्थिति तनावपूर्ण है, श्री चैतन्य देव के स्थानान्तरण की मांग की गयी। 2 मामले की जांच की गयी। श्री चैतन्य देव को दोषी नहीं पाया गया।

स्टेशन प्रबन्धक, देवरिया के विरुद्ध शिकायतों की जांच व कार्यवाही

94--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टेशन प्रबन्धक, देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25-10-80 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया वर्कशाप में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

95--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया वर्कशाप में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के दो पत्र दिनांक 10-2-81 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर कौनसी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय विधायक का केवल एक शिकायती-पत्र दिनांक 10-2-81 देवरिया वर्कशाप के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था जिस पर कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् :--

1--गैरेज को ढकने के लिये दीवाल बनाये जाने का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। पाखाना निर्माणाधीन है, टैंक की मरम्मत करा दी गयी है।

2—देवरिया डिपो की पुरानी गाड़ियों को उपलब्धता के आधार पर नयी गाड़ियों में बदलने, किलोमीटरेज के कर्टेलमेंट को दूर करने तथा आफ रोड बसों को कम करने की दिशा में समुचित प्रयास किये जा रहे हैं ।

96—श्री हरिवंश सहाय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

कुमायूं मंडल में संचालित परिवहन निगम की बसों को रोड परमिट

97—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मंडल में परिवहन निगम की कितने बसें चल रही हैं ? उनमें कितनी बसों को रोड परमिट मिला है और कितनी बसें बगैर परमिट की चल रही हैं ? बगैर परमिट की बसें कब से चल रही हैं और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुमायूं मंडल में परिवहन निगम में विभिन्न मार्गों पर 223 बसों का अनुसूचित संचालन है ।

समस्त 223 बसों के लिये परमिट प्राप्त है बिना परिमिट बस सेवा संचालित नहीं है । अतः बगैर परमिट बसें संचालित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवहन निगम, जौनपुर में परिचालक पद हेतु श्री नन्द लाल सिंह की चयन समिति द्वारा नियुक्ति तथा क्रमबद्ध नियुक्ति न किये जाने हेतु कार्यवाही

98—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्द लाल सिंह, गांव छतरीपुर, पो0 शिवपुर, वाराणसी को परिवहन निगम, जौनपुर में परिचालक के पद के लिए चयन समिति ने चुन लिया था और परिवहन निगम, जौनपुर के कार्यालय पत्र-संख्या स0 क्षे0 प्र0/जी0/स्थापना/4592-80 के द्वारा परिचालक पद की परीक्षा दिया और चयन समिति की सूची में 35 नवम्बर पर इसका नाम है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

99—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उक्त अभ्यर्थी को परिचालक पद का प्रशिक्षण भी इसको दिया गया और 1,000 रु0 सिक्योरिटी का जमा कराया गया है ? यदि हां, क्या यह सत्य है कि इसको कार्य नहीं दिया गया और क्रम संख्या 36 से 44 तक के लोगों को कार्य दे दिया गया है ? इसका क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र अपने पत्र के साथ उप प्रधान प्रबन्धक, पूर्वी जोन, वाराणसी को अक्तूबर, 2-3-81 को भेजा है ? यदि हां, तो क्रमबद्ध नियुक्तियां न करने का कारण क्या है, इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़ व रानीखेत में हुयी बस दुर्घटना

100--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, 1981 के अन्तिम सप्ताह में पिथौरागढ़ तथा रानीखेत में दो बस दुर्घटना हुईं जिसमें ड्राइवर तथा कंडक्टर सहित लगभग 15 व्यक्ति मर गये ? पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री एस० एन० बर्नवाल, बुकिंग क्लर्क, देवरिया डिपो, गोरखपुर क्षेत्र द्वारा विभागीय पदोन्नति पाने वाले के विरुद्ध दिया गया प्रत्यावेदन

101--श्री मोहन सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस० एन० बर्नवाल, बुकिंग क्लर्क, देवरिया डिपो, गोरखपुर क्षेत्र ने विभागीय पदोन्नति पाने वाले के विरुद्ध प्रत्यावेदन 28-10-72 में किया था ? क्या यह सच है कि भूत पूर्व परिवहन मन्त्री श्री राजमंगल पान्डेय द्वारा उन लोगों को रिवर्ट किया गया था और वे सेवा में पुनः आ गये ? क्या यह सच है कि उससे रुष्ट होकर उक्त अधिकारीगण ने 25-3-74 को श्री बर्नवाल को निलम्बित कराया था ? तथा पुनः किसी सरकारी गवाह प्रस्तुत कराये बिना उन्हें चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करा दी ? क्या इस सम्बन्ध में बिना छान-बीन किये ही बर्नवाल की पदोन्नति में बाधा पहुंचाई गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सुधार के आदेश प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम रसूलपुर, विकास खन्ड जगदीशपुर में बस स्टाप की स्थापना हेतु कार्यवाही

102--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खन्ड जगदीशपुर से तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर होकर लखनऊ से बाजार शुकुल एवं सुल्तानपुर से शुकुल बाजार तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चलती हैं परन्तु उक्त ग्राम में कोई बस नहीं रुकती है ? इस ग्राम से बस स्टाप काफी दूर है जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में काफी परेशानी होती है ? क्या इस ग्राम में बस स्टाप स्थापित करने हेतु शासन को दिनांक 30-9-81 तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। प्रश्नगत मार्ग पर निगम की बसें चलती हैं। ग्राम रसूलपुर में बस स्टाप स्थापित करने के संबंध में उक्त ग्राम के श्री अब्दुल वहीद खां एवं अन्य का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 27/28-7-79 का उद्धरण आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश से दिनांक 4-1-80 को प्राप्त हुआ था। जनता की मांग एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम रसूलपुर को दिनांक 22-9-81 से फेयर स्टाप घोषित कर दिया गया है।

सिंचाई विभाग में तकनीकी पदों में कार्यरत कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को प्रोमोशन की सुविधा

103--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1975 में तकनीकी पदों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को प्रोमोशन चैनल की सुविधायें देने का निर्णय लिया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, केवल उच्चतर वेतन के तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए निम्न वेतन के पदों पर न्यूनतम सेवा काल निर्धारित किया गया है।

104--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खन्डीय तथा मन्डलीय स्तर पर क्या आधार तथा प्राविधान निर्धारित हैं तथा अब तक उसमें क्या प्रगति हुई तथा एकादशम मन्डल, सिंचाई कार्य, फैजाबाद में कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए तथा क्या सरकार जांच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद के ग्राम नगला-परमसुख के निकट गवन्स नाले पर पुल बनाने का कार्य

105--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम-नगला परमसुख (भाजा दयोरैठा) के निकट गवन्स नाले पर सन् 1979 में प्रारम्भ किया हुआ एक पुल आधा बना छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इस पुल को पूरा कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में गवन्स नाले पर पुल बनाने का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा।

श्री बसन्त कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, गन्डक नहर निर्माण मण्डल, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

106--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने श्री बसन्त कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, गन्डक नहर निर्माण मण्डल, गोरखपुर के विरुद्ध उनकी सेवायें शिकायती-पत्र दिनांक 5 व 26 व 29 सितम्बर, 1980 तथा मुख्य अभियन्ता (बाढ़) को दिनांक 18-2-81 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के प्रश्नगत पत्र दिनांक 5-9-80, 26-9-80 एवं 18-2-81 प्राप्त हुए जो श्री बसंत कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, गन्डक नहर निर्माण मन्डल, प्रथम, गोरखपुर द्वारा श्री श्रीपति सिंह, आशुलिपिक के नारायणी शाखा निर्माण खंड, गोरखपुर से गन्डक नहर निर्माण खंड-14, देवरिया को किये गये स्थानान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में हैं ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा श्री श्रीपति सिंह, आशुलिपिक का स्थानान्तरण नारायणी शाखा निर्माण खंड, गोरखपुर में कर दिया गया है जहां उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

गाजीपुर जनपद में प्राइवेट बसों के अनधिकृत संचालन की शिकायतें

107--श्री राम नारायण सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री को पता है कि गाजीपुर जनपद में लगभग 50 प्राइवेट बसें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बिना रोड परमिट एवं बिना यात्री कर दिए चलाई जा रही हैं और फलस्वरूप प्रति वर्ष सरकार को कई लाख रुपए का घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो बिना परमिट के बसों को चलाए जाने से रोकने के सम्बन्ध में अब तक कौन से कदम उठाए गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गाजीपुर जनपद में प्राइवेट बसों के अनधिकृत संचालन की शिकायतें शासन को मिली हैं । उसे रोकने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई :--

(1) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) का पद स्वीकृत किया गया जिस पर अधिकारी ने मार्च, 1980 में कार्यभार ग्रहण किया । उन्होंने कड़ी चेकिंग करके दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि में 23 बसों के बिना परमिट चलने के अभियोग में 41 चालान किए और 32 बसों के परमिट शर्तों के विरुद्ध चलने के अभियोग में 44 चालान किये ।

(2) 46 चालानों पर 97,349·90 रु० मार्ग कर एवं यात्री कर के रूप में निर्धारित हुआ, जिसमें से 61,143·25 रु० वसूल हुआ और शेष वसूली के अन्तर्गत है । 39 चालानों के प्रति करों के निर्धारण की कार्यवाही हो रही है ।

उन्नाव बस-स्टेशन पर नियुक्त चौकीदार, सफाई कर्मचारी तथा पानी पिलाने वाले का सेवाकाल व वेतन

108--श्री भीखा लाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव बस-स्टेशन पर कितने चौकीदार, सफाई कर्मचारी तथा पानी पिलाने वाले नियुक्त हैं और उनका सेवाकाल कितना है तथा प्रत्येक को क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उन्नाव बस स्टेशन पर 7 चौकीदार (6 नियमित तथा 1 पार्टटाइम), 6 सफाई कर्मचारी (2 नियमित तथा 4 पार्ट टाइम), 4 पानी पिलाने वाले (2 नियमित तथा 2 पार्टटाइम) कार्यरत हैं। प्रत्येक कर्मचारी का सेवाकाल तथा उन्हें प्रति माह देय वेतन का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 340 पर।)

शारदा कैनाल डिवीजन, उन्नाव में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही

109--श्री भीखा लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खन्ड, उन्नाव तथा शारदा खन्ड, उन्नाव तथा शारदा कैनाल डिवीजन, उन्नाव में कितने ऐसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, जिनकी सेवाएं 15 वर्ष से अधिक हो गई हैं लेकिन उनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और उनमें कितने हरिजन हैं ? स्थायी न करने के कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई निर्माण खन्ड, उन्नाव तथा शारदा नहर खण्ड, उन्नाव में तृतीय श्रेणी के 7 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं 15 वर्ष से अधिक हो चुकी हैं किन्तु वह स्थायी नहीं किये गये हैं, उनमें हरिजन कर्मचारी कोई नहीं है। उक्त 7 (सात) कर्मचारियों में से 6 लिपिकों का स्थायीकरण स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका है, तार बाबू के मामले में नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

एलेन फारेस्ट, कानपुर में प्रशासनिक व वित्त कार्य करने हेतु अधिकारी की नियुक्ति

110--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एलेन फारेस्ट, कानपुर में दिसम्बर, 1980 में इस सत्र तक प्रशासनिक एवं वित्त का कार्य-भार किस अधिकारी से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिसम्बर, 1980 से 28 मार्च, 1981 तक एलेन फारेस्ट कार्यशाला में प्रभारी अधिकारी नियुक्त थे जिन्हें प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं

थे । अतएव नियमानुसार वित्तीय कार्य सेव प्रबन्धक तथा लेखाधिकारी द्वारा निपटाये गये । इस अवधि में कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया गया ।

2--28 मार्च, 1981 के पश्चात् एलेन फारेस्ट कार्यशाला के प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारी उपप्रधान प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर को सौंप दिये गये और कार्य उनके द्वारा निपटाया जाता रहा ।

3--दिनांक 6 अगस्त, 1981 को एलेन फारेस्ट कार्यशाला में उप प्रधान प्रबन्धक की नियमित नियुक्ति कर दी गई है । प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य उनके द्वारा निपटाये जा रहे हैं ।

श्री बृजेन्द्र सिंह एवं श्री राघव प्रसाद शुक्ल, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आरोपों की जांच व कृत कार्यवाही

111--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 6ठे बुध (दिनांक 1 अप्रैल, 1981) के अता० प्र० सं० 18 के लिखित उत्तर में बृजेन्द्र सिंह एवं राघव प्रसाद शुक्ल, सहायक अभियन्ताओं के विषय में लगाए गये आरोपों की जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो अब तक इन लोगों के विरुद्ध की गई जांच से क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं और इन पर क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जांच प्रगति में है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही प्रकाश में आने वाले तथ्यों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सोनपुर माइनर के अधूरे कार्य को पूरा कराने की व्यवस्था

112--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनपुर माइनर, जो पटिहटा माइनर से मूसाखाड़ बांध खण्ड, वाराणसी में निर्माणाधीन है, का कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या मन्त्री जी इस अधूरे कार्य को अविलम्ब पूरा कराने की व्यवस्था करेंगे ? यह कितनी लागत की योजना है तथा इस योजना पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस अल्पिका का पुनः विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके उपरान्त शेष कार्य को पूर्ण करने के विषय में निर्णय लिया जायेगा । प्राक्कलन तैयार होने पर अनुमानित लागत ज्ञात होगी । मार्च, 1981 तक लगभग रु० 1.25 लाख व्यय हो चुका है ।

जनपद मिर्जापुर में सक्तेशगढ़ नहर की माइनर नं0 2 का विस्तार

113--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 29 जनवरी, 1981 को सक्तेशगढ़ नहर की शाखा नं0 2 जनपद मिर्जापुर की शाखा को आगे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता का दिनांक 29-1-81 नहीं वरन् 21-1-81 का पत्र प्राप्त हुआ था। सक्तेशगढ़ पम्प नहर की माइनर नम्बर 2 आठ सौ मीटर बनी है। इस माइनर के तुरन्त बाद ही नाला पड़ता है जिसके दूसरे तरफ की जमीन पहाड़ी एवं ऊंची-नीची है। अतः माइनर नम्बर 2 को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

रेहाव एवं नदाव नाले का सर्वेक्षण तथा रुदौली भावचक ग्राम के पास बलिया नाले पर पुलिया निर्माण हेतु अनुबंध

114--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

प्रथम सत्र 80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 दिनांक 28-1-81 के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर पुल-पुलिया बनाने हेतु नाम दिया गया है शासन अपनी ओर से सर्वेक्षण करा कर इसके महत्व को स्वीकार करते हुए पुल-पुलिया बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रथम सत्र 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 में उल्लिखित ग्रामों में रेहाव एवं नदाव नाले का सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है तथा लंब छिन्नक की स्वीकृति के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त रुदौली भावचक ग्राम के पास बलिया नाले के कि0 मी0 10.2 पर पुलिया निर्माण हेतु अनुबंध कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व बुकिंग क्लर्क के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

115--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25/27-4-81 श्री राजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व बुकिंग क्लर्क के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा में नहर खारिजा के दोनों ओर दिये गय पट्टों का निरस्तीकरण

116--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आगरा में नहर खारिजा के दोनों ओर पड़ी हुई कीमती भूमि के पट्टे गत वर्ष से किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त भूमि के पट्टे करने का आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1980-81 में कुछ व्यक्तियों को पट्टे दे दिये गये थे । उक्त पट्टे नियमानुसार नहीं किये गये अतः इनको निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

परिवहन निगम की बसों के अतिरिक्त प्राइवेट बसों को अनुबंधित ढंग से चलवाने हेतु विचार

117--श्री राज कुमार राय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिन पर दिन परिवहन निगम की बसों की बिगड़ती दशा एवं जनता द्वारा यातायात सुविधा की मांग को देखते हुए सरकार पुनः प्राइवेट बसों को अनुबंधित ढंग से चलवाने हेतु विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिलान्तर्गत गन्डक-3 के अधीन मायापुर ड्रेन की खुदाई व सफाई के भुगतान हेतु जारी चेक

118--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गन्डक-3 के अधीन मायापुर ड्रेन के खुदाई व सफाई से सम्बन्धित फर्जी भुगतान के चेक नं0 31/160168 रु0 4232, 41/160178 रु0 9592, 33/160182 रु0 3466 तथा 05/162320 रु0 4840 के बारे में अमरनाथ सिंह ठेकेदार ने दिनांक 4-3-81 को अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर तथा दिनांक 26-2-81 को अधिशासी अभियन्ता देवरिया को शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि इसका भुगतान दूसरे को देकर उसके खाते में जमा करा कर ले लिया गया ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री अमरनाथ सिंह ठेकेदार के प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 4-3-81 अधीक्षण अभियन्ता को तथा पत्र दिनांक 26-2-81 अधिशासी अभियन्ता, देवरिया को प्राप्त हुए जिनमें प्रश्नगत चेकों का कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री अमरनाथ सिंह, ठेकेदार के उक्त शिकायती पत्रों में निम्न शिकायतें हैं :--

(1) श्री विजय शंकर लाल, अवर अभियन्ता द्वारा 23,000 रुपये का भुगतान, उनके जाली हस्ताक्षर बनाकर चेक खंडीय कार्यालय से प्राप्त करके श्री अच्युतानन्द सिंह, ठेकेदार के खाते में जमा करके ले लिया गया ।

(2) श्री विजय शंकर लाल, अवर अभियन्ता एवं श्री आनन्द विक्रम सिंह, सहायक अभियन्ता फर्जी वर्क आर्डर तथा माप करने में निपुण हैं ।

मामले की जांच अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि श्री अमर नाथ सिंह, ठेकेदार अपने चेक श्री अच्युतानन्द सिंह, ठेकेदार के बैंक के खाते में जमा कराते थे । विभाग द्वारा चेक श्री अमर नाथ सिंह, ठेकेदार के नाम ही काटे गये । यह विवाद सर्वश्री अमरनाथ सिंह तथा अच्युतानन्द सिंह ठेकेदारों के मध्य है जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

इस प्रकार जांच से शिकायतें निराधार पाई गयीं ।

जनपद एटा के ग्राम महमूदपुर तथा इस्माइलपुर परगना के पास गंगा के कटान से सुरक्षा हेतु बांध बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

119--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद एटा में ग्राम महमूदपुर तथा इस्माइलपुर परगना के फैजपुर बदरिया के पास गंगा के कटान रोकने तथा गंगा की धारा के बूढ़ी गंगा में जाने से उत्पन्न खतरे को देखते हुए वहां पर बांध बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 जुलाई, 1981 को कोई पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत ग्रामों को गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक परियोजना प्राक्कलन तैयार किया गया है जिस पर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

जनपद एटा के ब्लाक सोरों में प्रस्तावित राजकीय नलकूप योजना

120--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा के ब्लाक सोरों में विश्व बैंक की सहायता से साढ़े सात तथा दस हार्स पावर के राजकीय नलकूप लगाने हेतु उनको दिनांक 2-9-81 को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करके राजकीय नलकूप की वृहत् योजना प्रदेश में ली जानी प्रस्तावित है । इस परियोजना में प्रश्नगत क्षेत्र को सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा ।

कुमाऊं मंडल में टायरों के अभाव में खड़ी बसें तथा टायर एवं पार्ट्स की व्यवस्था हेतु प्रभावी कदम

121—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मन्डल की बसों के लिए टायर किस कम्पनी से लिए जाते हैं ? अक्तूबर, 1981 तक टायरों के लिए कितना धन कम्पनी को दिया गया है, कितनी बसें टायरों के अभाव में डिपो में खड़ी हैं ? क्या यह सही है कि जिस कम्पनी को धन दिया गया उस कम्पनी के पास टायर नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दूसरी कम्पनियों से टायर खरीदने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टायरों की खरीद कई कम्पनियों से की जाती है । किसी भी कम्पनी को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता । लगभग 35 बसें मुख्यतः टायरों के अभाव में खड़ी थीं जो अब टायर मिल जाने से इस आधार पर खड़ी नहीं हैं । अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता अतएव किसी कम्पनी के पास धन देने के बाद भी टायर न देने का प्रश्न नहीं उठता । अनेक कम्पनियों से टायर खरीदे जाने के कारण किसी एक कम्पनी के बदले दूसरी कम्पनी से टायर की खरीद का प्रश्न नहीं उठता ।

122—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मन्डल में माह सितम्बर, अक्तूबर, 1981 में परिवहन की कितनी बसें कितने दिनों से वर्कशाप में पड़ी हैं ? क्या कुमाऊं मण्डल के परिवहन कर्मचारियों ने बसों की मरम्मत न होने से हड़ताल अक्तूबर, 1981 में की है ? यदि हां, तो सरकार बसों के टायर व अन्य पार्टों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न समय तक माह सितम्बर व अक्तूबर, 1981 में क्रमशः 75 व 92 बसें वर्कशाप में आफरोड थी ।

माह अक्तूबर, 1981 में हुई हड़ताल की अन्य मांगों में बसों की मरम्मत भी एक मांग थी ।

टायर एवं पार्ट्स की व्यवस्था हेतु प्रभावी कदम निगम द्वारा उठाये गये हैं जिससे बस बेड़े में वर्तमान में काफी सुधार आया है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 342 पर ।)

123—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[27-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 61 द्वारा उत्तरित ।]

जिला देवरिया में सामूहिक कृषि समस्या समाधान हेतु नहर पर पुलिया, छलका व साइफन बनाने की व्यवस्था

124—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुनिया रजबाहा, पडरौना, जिला देवरिया के टेल ग्राम श्रीपति खाण्ड पर नहर विभाग के समय उक्त ग्राम के प्रश्न पर पुलिया, छलका एवं साइफन न बनाए जाने से कृषि कार्य में व्यापक व्यवधान होने के प्रति शासन को कोई पत्र दिनांक 11-8-81 और किसी क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति सहित दिनांक 21-8-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी गांव की सामूहिक कृषि समस्या के आवश्यक समाधान हेतु गांव की कथित नहर पर पुलिया, छलका एवं साइफन बनाने की घोषणा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र नहर की टेल कि0 मी0 15·124 पर पड़ते हैं, जहां छलका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

नहर के कि0 मी0 14·511 पर पुल है । कि0 मी0 15·67 पर बेल टाइप फाल है जो पुल का कार्य भी करता है । इस तरह इन दोनों स्थानों के बीच कुल 1·16 किलोमीटर का फासला है । अतः उक्त दोनों स्थानों के बीच कि0 मी0 15·124 पर पुल बनाना उचित नहीं है ।

जमुनिया राजबहा टूटने से जल भराव के कारण गेहूं की फसल की क्षति

125—श्री कुबेर भण्डारी—

विधान सभा के दिनांक 10-9-80 के ता0 प्र0 सं0 2 नत्थी (ख) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम बिहारी सिंह, ग्राम श्रीपति खांड के गेहूं की क्षति के जांच में की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए विधायक (कुबेर भण्डारी) के पत्र दिनांक 10-8-81 की न्यायोचित मांग हेतु जांच कराने के आदेश दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, श्री कुबेर भण्डारी, विधायक का 10-8-81 का पत्र प्राप्त हुआ था । इसमें जमुनिया राजबाहा टूटने से जलभराव के कारण गेहूं की फसल को हुई क्षति के कारण रु0 1200 की क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी ।

शिकायत की जांच कराई गई तथा जांच से यह मालूम हुआ कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है । श्री श्याम बिहारी सिंह ग्राम श्रीपति खांड के गेहूं के खेतों में जमुनिया राजवाहा के टेल भाग के कथित टूटने के कारण किसी क्षति का होना सिद्ध नहीं हुआ । इस कारण रु0 1,200 की क्षतिपूर्ति की मांग पूरी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बुकिंग क्लर्क, हाटा जिला देवरिया के श्री राम दास यादव का निलम्बन

126—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि बस यात्री किराया में निर्धारित किराया से अधिक धन प्राप्त कर यात्रियों को शोषित, त्रस्त करने के सम्बन्ध में हाटा बुकिंग क्लर्क, जिला देवरिया के विरुद्ध संस्थापक एवं महा सचेतक आजाद हिन्द क्रांतिकारी मोर्चा का शिकायती-पत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0, गोरखपुर को सम्बोधित है ? यदि हां, तो सन्दर्भित पत्र एवं कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

बुकिंग क्लर्क, हाटा, जिला देवरिया श्री राम दास यादव को प्रारम्भिक जांच में दोषी पाया गया है और उन्हें निलम्बित कर दिया गया है । यह मामला जांच के अन्तर्गत है ।

शाहजहांपुर डिपो की बसों की प्रतिदिन आय में कमी

127—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 21, 22 और 23 अक्तूबर, 1981 में शाहजहांपुर डिपो की बसों की प्रति बस आय क्या रही ? अन्य दिनों की आय तुलना में उक्त दिनों में कम आय के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर क्षेत्र में परिचालक के पद पर चयन का आधार

128—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1980 में बनाई गयी परिचालकों की प्रतीक्षा सूची के सभी परिचालकों को, जिन्होंने जमानत की धनराशि जमा कर दी थी, उन्हें ड्यूटी पर ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और गोरखपुर क्षेत्र में परिचालकों की भर्ती वर्ष जून, 1981 में की गयी है ? यदि हां, तो पूर्व से कितनी जगहें रिक्त थीं कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार में आये, कितने लोगों का चयन हुआ तथा इस चयन का आधार क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के परिवहन निगम में अहिंसात्मक सत्याग्रह में गिरफ्तार परिचालकों को पुनः सेवा में लिये जाने पर कार्यवाही

129--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि परिवहन निगम के प्रदेश के जिन 56 परिचालकों को 8 सितम्बर, 1978 को अहिंसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था, जिनके मामले में पुनः सेवा का अवसर देने का आदेश था ? उन सभी परिचालकों को सेवा में लिया जा चुका है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

कथित 56 की जगह 58 परिचालकों ने दिनांक 8 सितम्बर, 1978 के सत्याग्रह में भाग लिया था । सभी को सेवा का पुनः अवसर देने का आदेश नहीं दिया गया था । 25 मामलों में अलग-अलग विचार कर पुनः सेवा का अवसर प्रदान करने के आदेश किये गये थे ।

जनपद जालौन, ग्राम चर्खी के लिये रोडवेज के कानपुर तथा झांसी रीजन में स्वीकृत परमिट

130--श्री शंकर सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि जनपद जालौन के ग्राम चर्खी के लिये रोडवेज के कानपुर तथा झांसी रीजन से कितने परमिट स्वीकृत हैं, जो परमिट स्वीकृत हैं, उस मार्ग पर पक्की सड़क होते हुए भी बसें न चलाये जाने का क्या कारण है ? यदि रोडवेज की बसें चलाने में विभाग को कठिनाई है तो उक्त मार्ग पर निजी वाहनों को परमिट देने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वर्गीय श्री राधे की विधवा पत्नी को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की पेंशन दिये जाने पर कार्यवाही

131--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राधे पुत्र लक्ष्मी ग्राम सकरापार, थाना भटनी, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया को 15 अगस्त, 1972 को स्वतन्त्रता सेनानी का ताम्रपत्र दिया गया था ? यदि हां, इनकी विधवा पत्नी को पेंशन नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

पेंशन नहीं मिलती है ।

8 जनवरी, 1982 को स्वर्गीय श्री राधे की विधवा का निर्धारित प्रपत्र पर जो आवेदन-पत्र एवं श्री राधे की सजा की पुष्टि में जो प्रमाण-पत्र प्राप्त

हुआ था उनमें उल्लिखित कुछ तथ्यों का स्पष्टीकरण आवश्यक था। इसके लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी को लिखा गया है। वांछित सूचना प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

फैजाबाद रोड, लखनऊ स्थित एच0 ए0 एल0 कारखाने द्वारा ग्राम सूखूपुर कसैला की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बज कर 20 मिनट)

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, ग्राम सूखूपुर कसैला के 120 परिवारों की 22 एकड़ उपजाऊ भूमि फैजाबाद रोड लखनऊ स्थित एच0 ए0 एल0 कारखाने के लिये 10 वर्ष पूर्व अधिगृहीत की गयी थी परन्तु अभी तक किसी भू स्वामी को न तो मुआवजा दिया गया है और न ही उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दिलाया गया है। उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण हो जाने के कारण ग्रामीणों के समक्ष खेती तथा पेट पालने की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। ग्रामीणों ने कई बार शासन एवं मन्त्रियों को इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिये परन्तु अभी तक मुआवजे की अदायगी के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। मुआवजा न मिलने के कारण इन सभी 120 परिवार की स्थिति अत्यन्त दयनीय एवं गम्भीर हो गयी है।

आप के माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाते हुये आग्रह करता हूं कि प्रभावित परिवारों को तुरन्त मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाय।

इण्डस्ट्रियल गैस फैक्ट्री, कानपुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन और खास तौर से माननीय श्रम मन्त्री का ध्यान कानपुर स्थित इंडस्ट्रियल गैस फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा विगत 11 दिसम्बर, 1981 को चल रही हड़ताल की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। शासन ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि जहां कहीं भी श्रमिकों और मिल मालिकों में संघर्ष होगा शासन मजदूरों का साथ देगा किन्तु 'दि इंडस्ट्रियल गैसेज लि0,' फजलगंज, कानपुर के मजदूरों ने 28 जुलाई, 1981 को ही उस फैक्ट्री के प्रबन्धक को अपना 5 सूत्रीय ज्ञापन समर्पित किया जिस में कारखाने से निष्कासित श्रमिकों को तत्काल काम पर वापस लेने, श्रमिकों पर चल रहे झूठे मुकदमें वापस लेने, श्रमिकों को वेतन के ही साथ सभी भत्ते दिये जाने और सरकार द्वारा बढ़ाया हुआ वेतन भी दिये जाने की मांगे भी सम्मिलित थी। लेकिन सेवायोजकों ने मिल मजदूरों की बातें सुनने के बजाय उनके विरुद्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पीड़न कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी और फैक्ट्री के मजदूर 11 दिसम्बर, 1981 से सम्पूर्ण हड़ताल पर हैं। इन कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उलटे उनके विरुद्ध डकैती जैसे भीषण मामले दर्ज कराकर सेवायोजकों द्वारा उनका दमन किया जा रहा है।

सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये हम माँग करते हैं कि 'दि इंडिस्ट्रियल गैसेज लि0,' कानपुर के कर्मचारियों की मांगे स्वीकार की जायें। दो महीने से चल रही हड़ताल को बातचीत के जरिये समाप्त कराया जाय और मजदूरों के विरुद्ध समस्त उत्पीड़न की कार्यवाहियों को वापस लिया जाय।

खादी बोर्ड मुख्यालय कानपुर में गबन तथा कम्बलों की चोरी तथा निर्दोष कर्मचारियों को फंसाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्तबक्स रावत--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

'दि सन्डे पायनियर' 3-1-82 में यू0 पी0 खादी बोर्ड को सफेद हाथी की संज्ञा देते हुये इसकी अनियमितताओं का उल्लेख है एवं प्राप्त सूचना के अनुसार खादी बोर्ड मुख्यालय दिनांक 6-1-1981 को कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरित हुआ। उस दिन श्री आर0 डी0 शर्मा सचिव एवं आहरण अधिकारी द्वारा 11,348·09 रु0 कैश तथा 14 गांठ कम्बल मूल्य 27,500 रुपये के कानपुर कार्यालय में सील कराया गया। दिनांक 6-5-1981 को कानपुर कार्यालय खुलने पर कम्बल तथा कैश नहीं पाये गये। दिनांक 3-6-1981 को श्री शर्मा द्वारा सहायक सचिव की सीलों के टेम्पर होने की रिपोर्ट को छिपाते हुये कैश की कमी की रिपोर्ट स्वरूपनगर थाने में लिखाई गयी किन्तु कम्बलों की चोरी की रिपोर्ट आज तक नहीं लिखाई गई। चोरी को गबन दिखा कर निरपराध कर्मचारियों श्री आर0 डी0 मिश्रा, कैशियर तथा श्री रामानन्द सिंह, मुख्य लेखा निरीक्षक को फांसने की साजिश की गयी है जबकि 6-1-81 से 6-5-81 की अवधि में बोर्ड के कुछ कर्मचारी कानपुर कार्यालय पर अवैध कब्जा किये हुये थे जिसकी रिपोर्ट तत्कालीन प्रशासक द्वारा 17-1-81 को जिला अधिकारी, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी की गयी थी, उस समय श्री सिंह तथा श्री मिश्र लखनऊ मुख्यालय में कार्यरत थे। नियमानुसार आहरण अधिकारी कैश के लिये जिम्मेदार हैं। अतः अनुरोध है कि इस मामले की गोपनीय जांच करा कर कार्यवाही की जाय तथा निरपराध कर्मचारियों के पदावनत, निलम्बन आदेशों को शासन स्तर से निरस्त किया जाय तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अजमतगढ़ जिला आजमगढ़ के किसानों का गन्ना चीनी मिलों द्वारा क्रय न किये जाने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी, अजमतगढ़ के विकास खंड हैरया में तथा अजमतगढ़ के दक्षिणी भाग में कोई गन्ना ग्राम सेवक न होने के कारण किसानों को गन्ने की पर्ची नहीं मिल पा रही है । अजमतगढ़ ब्लाक में ग्राम खालिसपुर में दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियांव आजमगढ़ का एक क्रय केन्द्र स्थापित होता था, वह भी समाप्त कर दिया गया है ।

किसानों का गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है । मिल में गन्ना देने के उद्देश्य से किसानों द्वारा इसकी पेराई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है । जहां एक तरफ सठियांव चीनी मिल की आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की आपूर्ति गत वर्ष नहीं होती रही है वहां दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों की व्यवस्था के कारण इस वर्ष किसानों का गन्ना खेतों में ही पड़ा रह जाना चाहता है । इस दुर्व्यवस्था के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों में भारी क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है ।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि अजमतगढ़ विकास खंड के खालिसपुर, जमालुद्दीन पट्टी तथा लटघाट एवं हरैया विकास खंड के चांदपट्टी में दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव का गन्ना क्रय केन्द्र तत्काल स्थापित किया जाय इसके साथ ही हरैया एवं अजमतगढ़ ब्लाक में गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्ति की जाय जिससे किसानों को पर्ची मिल सके तथा इस व्यवस्था के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

(वित्त मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बलवीर सिंह--

श्रीमन्, एक सूचना मेरी है ।

श्री अध्यक्ष--

कार्यस्थगन की सूचनायें बाद में लेंगे ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982†

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री निर्मल खत्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 5 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री निर्मल खत्री--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कतिपय विषय

श्री अध्यक्ष--

श्री बलवीर सिंह जी, आपकी तो कोई सूचना नहीं है ?

श्री बलवीर सिंह--

मैंने 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो अस्वीकृत हो गई ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

जो आपने प्रश्नों के सम्बन्ध में दिया है वह यहां विचारणीय विषय तो लगता नहीं । आप कक्ष में आ जायं क्या हो सकता है बात कर लेंगे ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्य स्थगन के दो प्रस्ताव आये थे, एक श्री गोपी नाथ वर्मा का जनपद फैजाबाद में स्थित टांडा में डा० भीमराव अम्बेदकर के नाम से किये गये तापीय विद्युत परियोजना का नाम बदल कर संजय गांधी के नाम पर रखने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में ।

दूसरा श्री बलवीर सिंह का शिशु विकास समिति, स्थार (रामपुर) द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय के भवन को नगरपालिका द्वारा खाली कराये जाने के सम्बन्ध में । यह दोनों सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा जो श्री गोपीनाथ बोल रहे हैं ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

(12 बजकर 31 मिनट)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि अपने वार्षिक बजट 1982-83 के ऊपर मुझको अपनी राय रखने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बजट किसान विरोधी, युवक विरोधी, मजदूर विरोधी और मोटे तौर पर जनता विरोधी है। इस बजट से कोई नया उत्साह प्रदेश की जनता में नहीं पैदा होता है और जैसा हम लोगों की शुरू से यह राय थी कि यह सरकार क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाने वाली है, कुछ खास क्षेत्रों की जिसमें वरिष्ट नेता रहते हैं, उनकी बहबूदी के लिए कार्य करती रहती है। इस बार इस बजट में वित्त मन्त्री जी ने इस आरोप की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही साथ एक नया रिवाज चल रहा है सरलीकरण, नवीनीकरण, समीक्षीकरण और आज पहली बार वित्त मन्त्री जी ने बजट में समीचीनीकरण शब्द का प्रयोग किया है और एक नया शब्द अर्थशास्त्र के इतिहास में जोड़ दिया है। इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया हूं, बजट के अन्दर सारे कर भारों का प्राविधान न करके समीचीनीकरण के नाम पर उसके लिए दरवाजे खुले रहेंगे, यह एक विडम्बना की बात है। विधान मन्डल के सामने साल भर में कौन-कौन से कर प्रस्तावित कर रहे हैं इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये, जिससे कि हम उसकी आलोचना कर सके। पिछले साल भी कर लगाने का प्राविधान छोड़ रखा था और बाद में अलग से राजाज्ञा के जरिये बसों का भाड़ा बढ़ाया, आबपासी की दरें बढ़ायीं, विद्युत की दरों में वृद्धि की गयी। फिर इसमें कह रहे हैं कि हम भू-राजस्व का समीचीनीकरण करेंगे। यानी समीचीनीकरण करके यह किसानों का दोहन करेंगे। लेकिन इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं और सदन के उठने के बाद अलग से किसान की कमर तोड़ने के लिए अतिरिक्त कर भार लाद देंगे जिसकी चर्चा हम इस आदरणीय सदन में नहीं कर पायेंगे। तो इस तरह से यह सदन की उपेक्षा करके जनता पर कर भार लादेंगे इसकी निन्दा की जानी चाहिये। फिजूल खर्ची को कम करने की दिशा में सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। बार-बार हमारे मित्रों ने शिकायत की कि विद्युत का कई लाख बकाया मंत्रिमंडल के सदस्यों के उपर है जिसकी वसूली नहीं हो रही है।

आज जो सबसे ज्यादा संसाधन जुटाने वाले विभाग हैं उनके ऊपर कम से कम खर्चा करने की कोशिश की गयी है। आप स्वयं देखें जो पत्रकारों का विभाग है, जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से सरकार के कार्यालयों की पब्लिसिटी होती है, सूचना विभाग उसके ऊपर केवल 65 लाख रु0 खर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय बचत संगठन है, जो बिक्री कर के बाद सबसे ज्यादा पैसा लोक लेखा में जुटा कर देता है करीब-करीब अब एक अरब रुपया जुटा कर देता है। जितना रुपया राष्ट्रीय बचत संगठन के जरिये जुटाया जाता है।

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

---

†दिनांक 2 फरवरी 1982 की कार्यवाही से।

उसका दो तिहाई केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में आपको मिलता है। उसके प्रचार कार्यों के लिए केवल 60 लाख रुपया आप खर्च करने जा रहे हैं। जबकि लाट्री जैसे जुए के व्यवसाय पर, जिससे मुश्किल से एक-डेढ़ लाख रुपये की आमदनी होती है, उसके प्रचार के ऊपर सवा चार करोड़ रुपये खर्च करने का आपने प्राविधान कर रखा है। इसलिए किस पर क्या खर्चा होना चाहिए, इसकी सम्यक् दृष्टि सरकार के पास नहीं रही है। जो पुलिस कर्मचारी डाकुओं आदि से एन्काउन्टर में मारे जाएंगे, उनके आश्रित परिवारों के लिए इसमें 5 करोड़ रुपये की निधि का प्राविधान कर दिया गया है। दूसरी तरफ जबकि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि निरपराध लोगों की फर्जी मुठभेड़ों में मृत्यु हो रही है, तो उनके परिवार वालों को संरक्षण देने के लिए भी इसमें कोई प्राविधान होना चाहिए, जिसके लिए कोई कल्पना आपने अपने बजट में नहीं की है। जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, वर्ष 67-68 में जहां इस पर केवल 16 करोड़ रुपया खर्च होता था, इस वर्ष 147 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया है। इस प्रदेश के गरीब किसानों और मजदूरों की गाढ़ी कमाई का इतना धन इस प्रकार से कानून व्यवस्था के नाम पर खर्च होता है, फिर भी हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है, यह बात हमारे समझ से परे है। इसका कारण यह है कि सत्ता पक्ष में बहुत से अपराधी तत्व आ गये हैं जिन्होंने वहां अपना प्रमुख स्थान भी बना लिया है और अपराधी तत्व उन्हीं की शह पर फल फूल रहे हैं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं इस सदन की जानकारी में एक फोटोस्टेट कापी से तमाम बातें लाना चाहता, हूं, जिसको मैं आपकी सेवा में भी प्रस्तुत कर दूंगा। पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी ने अपने पत्र दिनांक 4-1-79 में पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा को लिखा है जो मैं इस सदन में पढ़कर प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वह कहते हैं--"अभियुक्त शिवराजसिंह पुत्र श्यामलाल अहीर, निवासी नगला नरेला थाना सिरसागंज, जिला मैनपुरी एवं अनार सिंह पुत्र रामसिंह अहीर निवासी गढ़ी दान सहाय, थाना नगला सेंगर, जिला मैनपुरी जो अतिराज गैंग के कुख्यात सक्रिय सदस्य हैं जो दिनांक 3/4-1-79 को पुलिस मुठभेड़ में बन्दी बनाए गए हैं की इन्टरोगेशन रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है।" अनार सिंह, दस्यु, जिसकी यह विरोधी पक्ष के विरोध के लिए चर्चा करते हैं और कहते हैं साढ़ूपुर कांड में किसका कितने हाथ है और किसका उसे सहयोग है। उसकी यह रिपोर्ट है-दस्यु सरगना, दस्युराज कहता है, जिसका इन्टोलीजेन्स के आई0 जी0 को पता है, उसके 11वें पृष्ठ पर वह कहता है--"एक एस0 बी0 बी0 एल0 ओरिएन्टल बीर थाना कोतवाली एटा से लाए थे। कारतूस चन्द्रा आर्म्स स्टोर से हमारे गांव का जालिम वल्द नेकराम ले जाया करता था। कई बार रामबाबू गुप्ता से मैं भी कारतूस खरीद कर लाया था। एक 303 बोर की रायफल गया प्रसाद उर्फ नेता नगला अकोला थाना एका जिला मैनपुरी के पास है। 303 बोर रायफल के कारतूस हमको गया प्रसाद उर्फ नेता दिया करता था। मूड़ नगरिया के राजेन्द्र सिंह भी हमको कारतूस देते थे।"

यह गया प्रसाद उर्फ नेता कांग्रेस पार्टी का नेता है और श्री राजेन्द्र सिंह कांग्रेस पार्टी के विधान सभा सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के संगठन के महामंत्री भी हैं, जिसके बारे में डकैत अपने इन्टरोगेशन में कहता है कि यह हमें सहयोग और संरक्षण दिया करते थे। फिर आगे वह कहता है कि हमें संरक्षण कौन लोग देते थे, इसमें लिखा है कि हमें कौन-कौन लोग किस-किस तरह हथियार

[श्री मोहन सिंह—]

दिया करते थे और उनको वह कहां रख देते थे । इसमें कांग्रेस पार्टी के कई लोगों के नाम हैं । इसी के 12वें पृष्ठ पर 12वां नाम है—रघुवीर, निवासी हीरे का नगला, यह भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत कर आये हैं । इसके साथ-साथ वह महराजसिंह का भी नाम लेता है, जो कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिष्ठित नेता हैं । अपने इन्टरोगेशन के बाद उसने जो-जो बातें कहीं हैं, उसके बारे में एक फोटोस्टेट कापी में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । जो पार्टी इस तरह के कुख्यात अपराधियों को संरक्षण देने को एक सुरक्षित स्थली बनी हुई है और केवल विरोधी पक्ष के लोगों को दस्यु संरक्षण अधिनियम के नाम पर गिरफ्तार करने जा रही है ।

ये सब मामले माननीय मुख्य मंत्री की जानकारी के लिए दिए जा चुके हैं और राजेन्द्र सिंह के खिलाफ यहां के लोक आयुक्त के सामने गये जिसने इस सम्बन्ध में अपनी एक रिपोर्ट भी दे दी है और उसकी एक प्रति भी सरकार के पास भेजी जा चुकी है लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुयी । जिन लोगों ने लोक आयुक्त कार्यालय में 1 हजार रुपया अपनी शिकायतों के लिए फीस की एवज में जमा किया था, वह उसको भी वापस कर दिया गया हैं । लोक आयुक्त के यहां से यह फीस तभी वापस होती है जब कि शिकायतकर्ता का आरोप सिद्ध होता है । लेकिन फीस वापस होने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं हुयी है । तो ऐसे नालायकों के हाथ में 147 करोड़ रुपया इस प्रदेश के गरीब किसानों का देकर, हम इस बात की कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये लोग कानून और व्यवस्था की हालत में सुधार करेंगे ।

मितव्ययिता का बड़ा ही ढोंग रचा जाता है । जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपने लड़के की शादी में जाते हैं तो बस में जाते हैं लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के लड़के की शादी में जाते हैं तो प्रदेश के 2-2 हैलीकाप्टर जाते हैं । इस प्रकार का पाखंड करने से क्या लाभ । जिस प्रदेश का एक-एक मंत्री अपनी अइयाशी और फिजूल खर्ची में लिप्त हो, जो अपने बंगले के रख रखाव पर करोड़ों रुपये का खर्च करते हों वे इस प्रदेश में मितव्ययिता का बहाना ले रहे हैं ? इसलिए यदि आपको प्रदेश के विकास के लिए संसाधन जुटाना है तो आपको मितव्ययिता करनी होगी । आप जनता के ऊपर लगातार टैक्स बढ़ाने के काम करते जा रहे हैं । अगर उनको टैक्स देने की ताकत को बढ़ाना है तो विकास की योजनाओं को बढ़ाना होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस जन विरोधी, विद्यार्थी विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी बजट की मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं ।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं । माननीय मोहन सिंह जी से यह आग्रह करूंगा कि अगर यह बजट किसान विरोधी, या युवक विरोधी होता तो इसके अन्दर युवा कल्याण कोष जो खोला गया है, जो कि युवकों के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, क्यों होता । इतना ही नहीं प्रदेश के जो 70-80 हजार अध्यापक हैं, उनके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस

बजट में अध्यापक कल्याण कोष के लिए प्राविधान किया है । आज जो अपने को किसान के हमदर्द बनते हैं वे इस बजट को किसान विरोधी बजट बता रहे हैं । हमारी सरकार ने इस प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बनाई है जिसका आशय यह है कि 15 लाख परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाया जाय । हमारी सरकार ने सल्फर प्लान्ट्स पर जो लेवी लगती थी, उसको हटाया है । सल्फर प्लान्ट्स से किसानों और आस–पास के हजारों मजदूर जो इस काम में लगे रहते हैं, को लाभ पहुंचा है । इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । जो मुख्य मुद्दा इस सम्बन्ध में मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि यह 128 करोड़ रुपये का घाटे का बजट है । पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि जो 'काम के बदले अनाज' योजना है उसके अन्तर्गत जो हमारी कच्ची सड़कें हैं, उनको पक्का कराया जायेगा । अतः मुझे आशा है कि जो कच्ची सड़कें बनी हैं, उनको पक्की बनाने का प्राविधान वे अवश्य ही इस वर्ष करेंगे । और इतना ही नहीं, माननीय मोहनसिंह जी ने फिजूल खर्ची और अय्याशी आदि के भी आरोप लगा डाले जो बिलकुल गलत हैं । उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है, अगर किसान विरोधी होती तो मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भयंकर सूखा पड़ा था, इस समय के वित्त मंत्री, जो उस समय विद्युत मंत्री थे, किसानों को 12 घंटे बिजली उपलब्ध न कराते और 12 घंटे बिजली मिलने के कारण किसानों की फसल नष्ट होने से बच गयी । यह कदम क्या उनका किसान विरोधी था ?

(व्यवधान)

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी गये, जहां–जहां ट्यूबवेल खराब थे, उन्होंने वहीं सम्बन्धित कर्मचारी और अधिकारी को बुलाया, एक तो सस्पेंड भी किया, और उससे इतना भय लोगों में छाया कि वे अपना काम ठीक से करने लगे । यह माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री के ही प्रयासों का फल था कि किसान को अधिक से अधिक बिजली मिली । आलू की फसल को देखते हुये आलू की समस्या को भी हल करने का प्रयास किया और उसे हल किया जबकि आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाये ।

(व्यवधान)

इसलिये सरकार पर आरोप लगाना कि वह किसान विरोधी है, गलत है । किसानों के हित में इस सरकार ने कई काम किये हैं ।

भू–राजस्व की वसूली के लिये भी जहां किसानों को राहत मिलनी चाहिये थी, दी गयी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं सर्किट हाउस में बैठकर 3 माह के लिये राजस्व की वसूली रोकने के आदेश दिये । इस प्रदेश के लाखों युवकों और अध्यापकों के लिये भी इस बजट में प्राविधान किया गया है । मजदूरों के लिये भी हितकारी कदम उठाये गये हैं । ट्राइपार्टाइट कान्फ्रेंस में उनको शामिल किया गया । चीनी उद्योग में लगे हुये मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी गयी, उनका वेतन बढ़ाया गया । चाहे मोदीनगर का मसला हो, चाहे और कहीं का मसला हो, सरकार ने उसे हल किया है और यह सरकार निर्बल वर्ग तथा हरिजन वर्ग के लिये सभी कुछ सम्भव प्रयास कर रही है । यह सरकार किसान विरोधी या हरिजन विरोधी कतई नहीं है । आप विरोधी पक्ष वाले भ्रामक प्रचार करके जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं किन्तु जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है ।

[श्री दामोदर शर्मा--]

माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र सिसौली में एल आवास कालोनी निर्बल वर्ग के लिये बनने के लिये 5 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह रुपया देने की कृपा की जाये ताकि निर्बल वर्ग के लिये बनाने वाली कालोनी शीघ्र बन सके।

मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री पर एक आरोप लगाया गया कि हेलीकाप्टर से प्रदेश का उन्होंने दौरा किया है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना माननीय मुख्य मंत्री जी ने हेलीकाप्टर से दौरा किये हैं चाहे वह सिंचाई की समस्या हो या बिजली की सप्लाई की समस्या हो, वह सारे दौरे जोकि उन्होंने किये, उससे प्रदेश पर बहुत प्रभाव पड़ा। अन्त में मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करते हुए अपने साथी मोहन सिंह जी से कहता हूं कि यह जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है, यह न किसान विरोधी है और न विद्यार्थी विरोधी है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यह बजट जो माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है, यह यह बजट दिशाहीन तो है ही, सिद्धान्तहीन भी है। अगर इस बजट से प्रदेश के अन्दर कोई बड़ा मौलिक परिवर्तन भी नहीं होगा और न तो मुद्रा प्रसार में कमी होगी और मंहगाई जो इस वक्त पिछले साल के मुकाबिले में 16 प्रतिशत ज्यादा बढ़ी है, वह महंगाई दिन प्रति और बढ़ती जायगी। इसलिए मैं इस बजट को दिशाहीन और सिद्धान्तहीन कहता हूं और इसको पूंजीवादी बजट भी कहता हूं।

श्रीमन्, इस बजट भाषण के लम्बे भाषण को अगर आप देखेंगे, तो इसमें आर्थिक समीक्षा के बाद नया बीस सूत्री कार्यक्रम दे दिया गया है, आपको श्रीमन्, याद होगा कि 1975 में एक बीस सूत्री कार्यक्रम और बना था प्रधान मंत्री की तरफ से और काफी प्रचार भी हुआ था और जिसको अमल भी किया गया था। उसमें से कुछ खास-खास, मुद्दे इसमें गायब हैं, जैसे पहले जो था जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के भावों को बढ़ने से रोकना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना। आज जो है जीवनोपयोगी वस्तुओं के भावों को अगर आप देखें, तो वह चरम सीमा पर है और जो वितरण प्रणाली जो सहकारिता के माध्यम से लागू की गयी है, उसका अंदाजा हम, आप सदन के अन्दर तो लगा ही रहे हैं और बाहर जनता भी लगा रही है। इसी तरह के श्रीमन्, कोई ऐसी चीज नहीं है, चीनी के दो भाव हमेशा से हैं, एक कंट्रोल रेट, दूसरा बाजार रेट। अभी आपने दो-तीन दिन पहले पढ़ा होगा कि 200 रुपया टन चीनी का भाव बढ़ा दिया गया और जब यह भाव बढ़ा दिया गया खुले बाजार में इसका असर पड़ेगा, उपभोक्ता के ऊपर कितना पड़ेगा, इसको हमको आपको समझना होगा। चीनी, अनाज, दाल, कपड़ा, सभी वस्तुओं की कीमतों में 16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी इस वक्त हो गयी है।

दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले दिनों श्रीमन्, भूमि सुधार के बारे में था बीस सूत्री कार्यक्रम में, अब उसके ऊपर भी लीपा-पोती कर दी गयी, लगता है कि अब भूमि-सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय मंगल देव विशारद जी ने भूमि सुधार के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दी है, जो आज भी पुराने माननीय सदस्यों के पास सचिवालय में और हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, श्रीमन्, मैं एक बात बहुत ऐसी कहना चाहता हूं। जसमें गोपालपुर फार्म का जिक्र आया, वह लोकपति त्रिपाठी जी का है।

अभी मैंने सवाल किया था। अब उसे बचाने के लिये रेवेन्यू और सिंचाई कर खाद, बीज का बकाया एक लाख, 96 हजार पड़ा हुआ था, जवाब दिया बैजनाथ कुरील जी ने। अब उसकी नीलामी कराई गई और उन्हीं लोगों के परिवार वालों को की गई। इस तरह का जालबट्टा किया जा रहा है। भूमि सुधार की उतनी ही आवश्यकता आज भी है जितनी सन् 75 में थी लेकिन यह सरकार उससे मुंह मोड़ती है।

मैं चाहूंगा कि जितने भी मंत्री यहां हैं वह पहले वाले 20 सूत्रीय कार्यक्रम को देख लें और इस बार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पढ़ लें और देखें कि उसमें फर्क पड़ा है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट सब्जबाग को दिखाने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में विद्युत की क्या हालत है। कितनी उत्पादन क्षमता है और कितना उत्पादन हो रहा है। कितना लाइन लास हो रहा है कितनी बिजली की चोरी हो रही है। अब ओबरा को ले लें, रिहन्द को ले लें, पनकी को या हरदुआगंज को ले लें। जो उसकी उत्पादन क्षमता है उसका 50 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। हाइडिल की बात तो मैं मान सकता हूं क्योंकि वह बारिश पर निर्भर करता है बारिश ज्यादा हुई तो ज्यादा होगा, कम हो गई तो कम हो जायेगा। लेकिन हमारे जो थर्मल विद्युत प्लान्ट हैं उनकी उमता का पूरा उपयोग नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की अक्षमता का द्योतक है।

माननीय सिंचाई मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह आज कह रहे थे कि जब 4-5-6 घन्टे बिजली मिलती है तो हमारे ट्यूबवेल कैसे ढाई सौ एकड़ की सिंचाई करें। यह मंत्री का जवाब है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे जितने विद्युत संयंत्र हैं उनकी जांच होनी चाहिये और उनकी जो उत्पादन क्षमता है, कितना उत्पादन हो रहा है, और किन कारणों से कम हो रहा है, इन कारणों की जांच की अवश्यकता है। हमारे जितने उद्योग धन्धे हैं। बार-बार दुहाई दी जा रही है उद्योग की। हमारी सीमेन्ट फैक्ट्री है चुर्क की कजरहट की, डाला की फैक्ट्री है। मेरा स्पष्ट आरोप है और दावा है कि इन कारखानों में क्षमता का 50 प्रतिशत उत्पादन किया जा रहा है। चाहे वह सीमेंट फैक्ट्री हो या अन्य कारखाने हों।

कृषि के बारे में बड़ी चर्चा की गई है। इस साल दलहनी फसलों की बात की गई। मैं कहना चाहता हूं इस साल चना बोने के लिये मंगाया गया। यह चना उस समय मंगाया गया जब 90 प्रतिशत बुआई हो चुकी थी। लाखों टन चना मंगाया गया करोड़ों रुपया खर्च किया गया और ट्रान्सपोर्ट पर लाखों रुपया खर्च किया गया लेकिन एक भी चना बोया नहीं गया सारा चना गोदाम में पड़ा है तिलहन और दलहन की जो हालत है, उसको सभी जानते हैं। जब प्रकृति साथ देती है तो यह सरकार अपनी पीठ ठोंकती है कि पैदावार ज्यादा हो रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या प्रबन्ध किया इस संबंध में।

मान्यवर, दूसरी तरफ फर्टीलाइजर के दाम 100 फीसदी बढ़ा दिये गये यानी दूना हो गये हैं जिसको इसी सरकार ने बढ़ा दिया है। उसके बाद सरकार वायदा करती है कि दाम नहीं बढ़ायेंगे। मान्यवर, आज हमारे देश में लाखों लोग गंदे कपड़े पहनते हैं और रोटी के लिए तरसते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए जो यह कहा गया कि यह बजट प्रगतिशील है। मैं कहता हूं कि यह सिद्धान्तहीन बजट है, समाज-

[श्री ऊदल--]

वाद के विपरीत बजट है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार समाजवाद और प्लानिंग के सिद्धान्त से हट गयी है और इस बजट के रुपये को, जैसे सत्यनारायण की कथा में जो प्रसाद बांटा जाता है उसी तरह से जनता की गाढ़ी कमाई के रुपये का बांटा जा रहा है, जो सत्यनारायण के प्रसाद की तरह यह बजट है इसके सिवा कुछ नहीं है। पिछले साल का घाटे का बजट था, इस साल का भी घाटे का बजट है। मान्यवर, घाटे का बजट कभी भी हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए हितकर नहीं होता है। हम तो चाहते थे कि वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री की सरकार ऐसा बजट बनायेगी कि जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। लेकिन दुख है कि घाटे का बजट कुछ और है और इनके अन्तःकरण में कुछ और छिपा है। जैसे पिछले साल रोडवेज, बिजली लगाने और सिनेमा का टैक्स बढ़ाया जबकि बजट में यह नहीं था, तो उसी तरह इस साल घाटे को पूरा करने के लिए बाद में बढ़ायेंगे लेकिन अभी घाटे का बजट पेश किया है।

मान्यवर, बचत की बात बहुत करते हैं कि बचत करेंगे और खर्चे में कटौती करेंगे जिसको मान्यवर, आपने देख लिया कि श्री मोहन सिंह ने प्रश्न किया था कि बटलर पैलेस में, शानदार भवन, जिसको राजा महमूदाबाद ने बनवाया था, सेल्स टैक्स विभाग को 2 हजार रुपये में था उसको किसी संस्था को दे दिया गया चूंकि राज्यपाल की लड़की प्रतिभा सिंह उस संस्था की सदस्या थीं इसलिए उनको दे दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

राज्यपाल का नाम न लें।

श्री ऊदल--

मान्यवर, राज्यपाल के बारे में नहीं कहा, उनकी लड़की प्रतिभा सिंह हैं उनके बारे में कहा है कि उनको दे दिया गया और सहकारिता भवन में सेल्स टैक्स विभाग के लिए किराये पर 1,60,000 रुपये में लिया। मुझे दुख है कि शोहरत करते हैं राजा मांडा साहब की कि उन्होंने अपनी जमीन भूदान में दे दिया। इस प्रकार उसका प्रचार करते हैं लेकिन हमारे यहां वाराणसी के राजा साहब ने लाखों एकड़ जमीन दान में दे दिया लेकिन उनका नाम नहीं लिया और न प्रसार किया गया। मान्यवर, बाबू संपूर्णानन्द जी, गोविन्द बल्लभ पंत जी, सी0 बी0 गुप्ता जी और श्रीमती सुचेता कृपलानी आदि हमारे मुख्य मन्त्री कालीदास मार्ग पर बने निवासों में रहते थे लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्य मन्त्री जो माल एवेन्यू बंगला नं0 9 में 1,25,000 रुपये खर्च करके आधुनिकीकरण कराया है, तो जो जनता के धन का सरकार दुरुपयोग करती हो उसको आज नहीं तो कल जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई से जो दोनों दरवाजों पर दस-दस भेड़िया रखे, जो बिना परिपत्र के अन्दर जाने न दें, तो एक यह मुख्य मन्त्री हैं और एक बाबू संपूर्णानन्द, गोविन्द बल्लभ पंत, सी0 बी0 गुप्ता, और श्रीमती सुचेता कृपलानी मुख्य मन्त्री थे जिनको कोई डर नहीं था और आज संवेदनशील व्यक्ति जो हरिश्चन्द्र बनने का दावा करते हैं वह हैं कि 1,25,000 रुपये खर्च करके अपने बंगले का आधुनिकीकरण कराया है और पागल कुत्तों को दोनों दरवाजों पर खड़ा कर रखा है। क्या मैं इस संबंध में जान सकता हूं कि पंत जी, बाबू संपूर्णानन्द, श्री सी0 बी0 गुप्त और श्रीमती सुचेता कृपलानी सचिवालय में यहां बैठते थे तो क्या दोनों तरफ फाटक लगे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आज तानाशाही की तरफ जा रही है। इस सरकार की मंशा आज चाहे जो हो कहने के लिए लेकिन इसके दिल में सारी बातें छिपी हुई हैं कि तानाशाही के सिवा कुछ नहीं है।

मान्यवर, शांति व्यवस्था के संबंध में आंकड़े पढ़ने से कुछ काम नहीं चलेगा कि शांति व्यवस्था ठीक है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जब से विधान सभा का सत्र चल रहा है तबसे हमारे प्रदेश में 4 ट्रेनें लूटी गयी हैं, बसें लूटी जा रही हैं और डकैतियां पड़ रही हैं। मुख्य मन्त्री उस दिन कह रहे थे कि फर्जी आदमी नहीं मारे जा रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बड़ा गांव बनारस में 4 आदमी निरअपराध इंकाउन्टर में मारे गये हैं जिसके संबंध में उन्होंने कहा कि जांच कराई जा रही है। आप में दम है और मेरा चार्ज है कि आपकी बहादुर पुलिस निरंकुश होती जा रही है और 50 फीसदी लोगों को घर से पकड़ कर ले जाती है और इंकाउन्टर दिखाती है और बहादुर पुलिस कहती है कि फलां बाग में डकैती की योजना बनाते समय पुलिस ने डकैतों को ललकारा और मुठभेड़ हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल 10 फीसदी डकैतों से मुठभेड़ आपकी बहादुर पुलिस करती है और बाकी घर से पकड़ कर लोगों को मारती है और मुठभेड़ उसको दिखाती है। श्री त्रिवेणी राय के क्षेत्र में बहुत से लोग मारे गये हैं। इसलिए मान्यवर, शांति व्यवस्था पर पुनः सोचने की आवश्यकता है और इससे काम चलने वाला नहीं है।

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, 1977 में यह हमारे साथ जब थे तो यह नहीं कहते थे और आज पता नहीं क्यों इनको गुस्सा है। आप कामरेड से आशा करता हूं कि प्रगतिशील बजट का आप समर्थन करेंगे।

श्री ऊदल--

मान्यवर, आज जनतांत्रिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है जिनको कांग्रेस के महान नेताओं जैसे जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव ने स्थापित किया था और ग्राम पंचायतों का सपना देखा था, हमारे भी बुजुर्गवार थे जो महान नेता थे और इन्होंने भी जनतांत्रिक मल्यों की स्थापना की थी। लेकिन उन जनतांत्रिक मूल्यों की यह सरकार जिस तरह से मिटा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नामजद कर रही है ब्लाकों में, जिला परिषदों में, उससे लगता है कि इनका जनतांत्रिक मूल्यों पर से विश्वास हट गया है।

श्री त्रिवेनी--

जनता सरकार इसका पहले बीजारोपण कर चुकी है जिसमें आप शरीक थे और समर्थन में थे।

श्री ऊदल--

आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री त्रिवेनी--

जनता पार्टी ने जिला परिषदों में नामिनेशन किया था।

श्री राज मंगल पान्डेय--

मैं जानना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व क्या त्रिवेनी राय कर रहे हैं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, आपने अलीबाबा और 40 चोर की कहानी सुनी होगी। तो इस सरकार की एक अलीबाबा और 40 चोर वाली कमेटी बनी जिसमें धूर्त लोग थे।

श्री त्रिवेनी--

अलीबाबा आप हैं, 40 चोर कौन हैं वह आप बता दें।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, हो सकता है कि मैं होऊं कोई बात नहीं। लेकिन इनकी एक कमेटी बनी और जितने भ्रष्टाचारी लोग थे सबको नोट करके प्रधान मंत्री इंदिरा-गांधी को भेजा गया। उन्होंने उस कमेटी को खत्म कर दिया उन्होंने सबको नंगा कर दिया। श्रीमन्, प्रोफेसर साहब बैठे हैं। श्रीमन्, रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने एकला चलो रे, का नारा दिया था। अगर हम सत्य पर हैं और हम न्याय के लिए हैं तो श्रीमन्, हमें सत्ता की भूख नहीं होनी चाहिये। ईमानदारी और सच्चाई की राह पर हमें चलना चाहिये। आज नैतिकता कहां है, आज नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। आज किस तरह से मंत्री लोग जवाब देते हैं आप श्रीमन्, रोजाना इस सदन में देखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कृपा करके जो जनतांत्रिक मूल्य हैं जो नैतिक मूल्य हैं और जिनकी स्थापना महापुरुषों, पंडित जवाहर लाल नेहरु ने, मौलाना आजाद ने, आचार्य नरेन्द्र देव जी ने और ऐसी बड़ी-बड़ी विभूतियों ने की है तो कम से कम कृपा करके उनको देश के लिये और देश के हित के लिए उन मूल्यों को आप खत्म मत कीजिए नहीं तो होगा क्या कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसके लिए कुआ पहले तैयार होता है और वह अंधा होकर उसी कुयें में जाकर गिरता है।

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह सरकार प्रजातंत्र के ऊपर भी प्रहार कर रही है। जो हमारे मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा दिये गये हैं, आप जनता के और मजदूरों को हड़ताल करने, सभा करने का, प्रेस को लिखने की आजादी दी गयी है, कवियों को कविता पढ़ने की आजादी है, उन पर यह सरकार कुठाराघात कर रही है। प्रेस वालों को पीटा जा रहा है, सेंसर लगा रहे हैं। काशीनाथ मिश्र जी ने लिखा है एक अखबार के लिए कि सुरक्षा कानून के अंतर्गत मुकदमा क्यों न चलाया जाय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार निरंकुश हो गयी है। जनता पार्टी की जब सरकार थी तो कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन का फैसला किया था। उन्होंने इसी सचिवालय के सामने नारायण दत्त तिवारी, मोहसिना किदवाई, स्वरूप कुमारी बख्शी, राम रतन सिंह और गुलाब सेहरा और जितने लोग इनके साथ थे, सबने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अपना प्रदर्शन किया था, जिसका इन लोगों पर मुकदमा भी चला था तो मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से इन लोगों से कहना चाहता हूं कि जब यह लोग विरोध में थे, तब यह वह सारे कार्य कर सकते थे, धारा 144 तोड़ सकते थे, धरना दे सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे और जुलूस आदि सरकार के खिलाफ निकाल सकते थे तो आज जब यह स्वयं सत्ता में आ गए तो इन सारी चीजों को भूलकर और जनतांत्रिक मूल्यों को भूलकर आज उन पर कड़ाई से काम लेते हैं और उन्हीं चीजों को बुरा मानते हैं, जो वह खुद करते रहे हैं और आज फिर प्रेस की आजादी को चकनाचूर करना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा।

सन् 1975 की बात है, जब यह सत्ता में थे, तो उस वक्त भी प्रेस पर किस प्रकार का कड़ा सेन्सरशिप था और आज यहां पर बैठे हुए अधिक लोग तो उनमें से भुक्तभोगी भी होंगे, लेकिन आज यह फिर उसी प्रथा को लाना चाहते हैं और इस तरह जनतांत्रिक मूल्यों का हनन करना चाहते हैं, लोगों की आजादी छीनना चाहते हैं और जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, इसलिए मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं क्योंकि यह एक दिशाविहीन और तथ्यहीन बजट है ।

*श्री राम प्यारे पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं हार्दिक अनुमोदन करता हूं । कल मान्यवर, प्रतिपक्ष की ओर से इस बजट के सम्बन्ध में यहां कहा जा रहा था कि यह पूंजीवादी बजट है । किसी बात को बिना किसी तथ्य के कह देना तो सुलभ है, लेकिन उसको तर्क के साथ प्रमाणित करना एक अलग बात हुआ करती है । मान्यवर, इस बजट के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां पर इस प्रदेश में करोड़ों लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे की ओर रह रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए जहां करोड़ों रुपया का प्राविधान किया गया है, जहां कृषि के सम्बन्ध में, पशुपालन और यातायात के सम्बन्ध में और सिंचाई आदि के लिये करोड़ों रुपये का प्राविधान किया गया है, वहां यह कहना कि यह बजट पूंजीवादी बजट है, तब यह बात तथ्यहीन साबित हो जाती है ।

मान्यवर, अभी तक तो एक रूढ़िवादी परम्परा चली आ रही थी कि जो योजनायें जिला स्तर की योजना होती थी और उनको ऐसे बजट में सम्मिलित किया जाता था और उनका रूप-रेखा तैयार करने में जन-प्रतिनिधियों या जनपदों के रहने वालों या वहां के ग्रामीणों का उसमें कोई हाथ नहीं रहता था । इस व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इसी सदन में पिछली सत्ता के समय यह घोषणा की थी कि अभी इसमें एक लोकतांत्रिक प्रणाली के ढांचे पर नियोजन प्रक्रिया का और विकेन्द्रीकरण किया जायेगा और उसके फलस्वरूप योजना का सम्पूर्ण क्षेत्र दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक राज्य सेक्टर योजना और दूसरी जिला सेक्टर योजना ।

मान्यवर, जहां तक जिला सेक्टर की योजना है, इसमें लगभग 334 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है । यह एक साधारण धनराशि नहीं है एक बहुत बड़ी धनराशि है और इस धनराशि का किस प्रकार से उपयोग किया जायगा, यह भी उस जनपद के निवासी ही तय करेंगे । ऐसा नहीं है कि सरकारी अधिकारी जो उन जनपदों में केवल एक या दो वर्ष की अवधि में ही रहकर सारी योजनायें बनाते थे, उन चीजों को समाप्त करके यह जो प्रक्रिया अपनायी गयी है, यह सराहनीय है ।

इस प्रदेश की लगभग 80 फीसदी जनता गांवों में निवास करती है और मुख्य रूप से लोग खेती पर निर्भर रहते हैं । इस बजट के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि से सम्बन्धित चाहे वह पशुपालन हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे बिजली हो या सड़क या पुल हो, इनमें एक बहुत ही अच्छी धनराशि का समायोजन किया गया है और इससे इन तथ्यों को देखते हुए किसी भी प्रकार यह दोष नहीं लगाया जा सकता है कि यह बजट पूंजीवादी बजट है बल्कि मैं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्यारे पांडेय-ी]

यह कहुंगा कि यह बजट इस लोकतांत्रिक प्रणाली को लिए हुए समाजवादी समाज की रचना में गति देने वाला बजट है, इसलिए मैं पुनः इसका समर्थन करता हूं ।

जो बजट पुरानी रूढ़िवादी परम्पराओं को समाप्त करते हुये प्रदेश को सर्वांगीण विकास को ओर ले जाने वाला हो, उसे अगर क्रान्तिकारी बजट की संज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । प्रस्तुत बजट इस परिभाषा में खरा उतरता है इसलिए मैं पुनः इसका समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, मैं फतेहपुर जनपद के बिन्दकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूं । यह जनपद इलाहाबाद और कानपुर जैसी दो महानगरियों के बीच में है । यह एक विडम्बना रही कि इस जनपद की गणना इस प्रदेश के पूर्वी जिलों में होती है और न पश्चिमी जिलों में । जब कोई प्रदेश की बड़ी योजना बनती है....।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राम प्यारे पांडेय--

मान्यवर, एक मिनट और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री राम प्यारे पांडेय--

और जब यह कहा जाता है कि वह आर्थिक योजना केवल पूर्वी जिलों के लिए है तो पूर्वी जिलों की सीमा इलाहाबाद के आगे नहीं बढ़ पाती और जब पश्चिमी जिलों की गणना की जाती है तो उसका प्रारम्भ कानपुर जनपद से किया जाता है । नतीजा यह होता है कि फतेहपुर न पश्चिमी जिलों की गणना में आता है और न पूर्वी जिलों की गणना में आता है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए यह कहूंगा कि इस बात को तय कर दिया जाय, सुनिश्चित कर दिया जाय कि फतेहपुर जिले की शुमार पूर्वी जिलों में होगा या पश्चिमी जिलों में । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुख्तार अनीस--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1982-83 का जो बजट इस सदन में पेश किया है, वह बिल्कुल ही निराशावादी है । किसानों को इस बजट से कोई राहत नहीं मिली है । उत्तर प्रदेश, जिसकी 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे है, उसको इस बजट से लाभ ही नहीं हुआ है । हम लोग जब अपनी योजनायें बनाते हैं । और जो बजट बनाते हैं उसमें हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए हम कोई ठोस कार्यक्रम बनायें, लेकिन इस प्रस्तुत बजट में ऐसा कोई कार्यक्रम पिछड़े वर्ग के लिए नहीं रखा गया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया ।

इसमें कृषि के बारे में कोई बात नहीं की गई है जिससे की हम इस बजट का समर्थन कर सकें। हालत मान्यवर, यह हो रही है कि हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि यह वर्ष औद्योगिक उत्पादन का वर्ष है, ऐसा उन्होंने घोषित किया है कि इस वर्ष वह और नए उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं।

मान्यवर, हर जिलों में आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं परन्तु क्या आपका ध्यान इस ओर भी गया है कि आज विद्युत की स्थिति क्या है? आज विद्युत् की स्थिति जो है उसमें 2300 मेगावाट थर्मल से बिजली उत्पादित होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विद्युत की दशा को देखते हुए कहा था कि यदि बिजली की स्थिति में सुधार न हुआ तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। परन्तु वे इस्तीफा क्या देते, आज भी अपनी कुर्सी पर बरकरार हैं परन्तु बिजली की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है और थर्मल से केवल 300 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। यह अचरज की बात है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कल कारखानों की बिजली में 50 प्रतिशत की कटौती की जाती है और इस स्थिति में आप कह रहे हैं कि हम हर जिले में नए उद्योग लगायेंगे। आपने सीमेन्ट और खाद जैसे कारखानों की, जहां बिजली नहीं काटी जाती है कभी, उसमें भी आपने बिजली की कटौती कर दी है। कहां से आप नए उद्योगों को बिजली देंगे?

आपके जो उद्योग बन्धु हैं जो हर महीने यहां आकर आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं उनसे आप किस प्रकार कह सकते हैं कि आप उद्योग लगाइये। जब जनता पार्टी की सरकार थी तो बिजली पर सख्ती की गयी थी और तभी श्री सान्याल को इस्तीफा देना पड़ा था उसके बाद वे टाटा के यहां चले गए और वहां पर नौकरी कर ली और उसी सान्याल को फिर लाकर आपने यहां पर बिजली बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है और साथ में शर्तें भी स्वीकार की हैं कि जब उसे हटायेंगे तो उसे तीन साल की तनख्वाह भी देंगे। आप आज दब करके, लोगों से झुक करके सारी योजनायें बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है यहां पर और आज फिर कह रहा हूं कि जो लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हैं उनके लिए आप कोई ठोस कार्यक्रम बनाइये। आज देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है।

आज बिजली बोर्ड में 40 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष का घाटा है। निगमों के बारे में अखबारों में जो सूचनायें आयी हैं उनको देखिये कि आपके निगम 60 लाख रुपये के प्रति दिन के घाटे पर चल रहे हैं। आज आपके निगम और बोर्ड घाटे पर चल रहे हैं तो फिर आप उत्तर प्रदेश में उद्योग कैसे नये रूप से लगायेंगे और कैसे उनको चलायेंगे जब बिजली की ऐसी हालत है? यह बहुत ही गम्भीर सवाल है।

वित्त मंत्री जी ने इशारा किया है कि आप इस वर्ष टैक्स बढ़ाने की सोच रहे हैं। आप किसानों के ऊपर और गरीब मजदूरों के ऊपर टैक्स बढ़ायेंगे जिनको कि खाने के लिये भर पेट रोटी भी नहीं नसीब हो रही है। आप सेल्स टैक्स की ओर क्यों नहीं देखते हैं। मैं सेल्स टैक्स का राज्य मंत्री रह चुका हूं। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज सेल्स टैक्स के ऊपर कितना रुपया बकाया है। आज भी वहां 100 करोड़ रुपये का बकाया है। आप वहां से रुपये को क्यों नहीं वसूल करके अपने घाटे को पूरा करते। पर नहीं आप ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये बड़े-बड़े व्यापारी हैं, बड़े-बड़

[श्री मुख्तार अनीस--]

उद्योग करने वाले हैं और एक तो इनके मंत्री भी हैं जिन पर करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है। बिजली का कितना बकाया है, बिजली बोर्ड का 80 करोड़ का बकाया है। यह बड़े-बड़े मिल मालिकों, पूंजीपतियों पर है जो बिजली की चोरी करते हैं लेकिन आप उसको वसूल नहीं करते, सख्त कदम नहीं उठाते और कर लगा कर प्रदेश की जनता को मारने की कोशिश कर रहे हैं।

(1 बजकर 31 मिनट)

उत्तर प्रदेश का आर्थिक नियोजन किस प्रकार से किया जाय ताकि जो गरीब व पिछड़े लोग हैं, उनको राहत मिले। इसके लिए बुनियादी चीजों को छांटना पड़ेगा। मिसाल के लिए खेती-फर्रुखाबाद में बड़े पैमाने पर आलू पैदा होता है, कोई वहां बड़ा कारखाना लगाना चाहिये, चाहे शराब का हो या कोई और इससे आप वहां के लोगों को राहत, रोजगार दे सकेंगे। घाघरा और शारदा के बीच की पट्टी, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर में जूट पैदा होता है, वहां इसका कारखाना लगा कर राहत, रोजगार दिया जा सकता है वहां के लोगों को। हम लोगों ने निरन्तर सम्पर्क किया, पत्र भी लिखे, कई जिले के विधायकों ने लिखे, लेकिन जूट पर जो केन्द्र सरकार का कन्ट्रोल है, उसको आप हटवा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जे0 के0 का जो ग्रुप है, वह सारा जूट खरीद लेता है सस्ते दामों पर और कलकत्ता ले जाकर के महंगे दाम में बेंच कर मुनाफा कमाता है और हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है।

उद्योगों को बढ़ाने की बात नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को राहत देने की बात नहीं कर पा रहे हैं, जो कारखाने लगाये हैं, चाहे डेरी की शकल में हो चाहे कपड़े के रूप में, सब घाटा दे रहे हैं। उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। नतीजा क्या है, घाटा हो रहा है और उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने दो डेरियां लगायीं एक मेरठ में और एक बनारस में, एक-एक लाख लीटर की क्षमता थी और 30-30 हजार लीटर भी नहीं हो रहा है, बलराम सिंह यादव मंत्री थे, मैंने सवाल किया और उन्होंने स्वीकार किया कि दो करोड़ का घाटा हो चुका है। इन मंत्रियों की लम्बी लाइन में बस, राजीव गांधी कैसे खुश होंगे, अरुण नेहरू कैसे खुश होंगे, इनके नाती-पोते कैसे खुश होंगे, आप जो भी यहां पर उद्योग लगा रहे हैं, वह सब दिशा हीन हैं।

आप गन्ने के दो कारखाने लगा रहे हैं, कोआपरेटिव सेक्टर में, एक मिल औराई में लगा कर पं0 कमलापति त्रिपाठी को खुश करना चाहते हैं दूसरी गाजीपुर में। यहां गन्ना है ही नहीं और मिल लगे हैं। रायबरेली में, इन्दिरा गांधी को खुश करना है, सुल्तानपुर में भी लगा दिया है। इससे क्या फायदा होगा। गन्ना मिल नहीं रहा है और मिल लगा दी क्योंकि इंदिरा जी खुश हो जायें और आपकी नौकरी बरकरार रहे लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जनता आपकी नौकरी छीनने जा रही है, वह ले लेगी। आप अफसरों को बचाते हैं, यहां पर जो यूकलिप्टस लगाने की बात थी, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए 15 एकड़ जमीन छोड़ी गई और उसको ग्रीन लैंड कहा गया। इन्होंने अपने बाप से मिलकर एक मथुर हैं, कानपुर के कलेक्टर, इन सब लोगों ने मिलकर 15 एकड़ जमीन कौड़ियों के मूल्य में एक पब्लिक स्कूल को दे दिया और 30 लाख रु0 उन्होंने वसूल करके लोगों से, गाजियाबाद के कलेक्टर और मौजूदा लखनऊ के कलेक्टर ने उस ट्रस्ट को दिया है। यह मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं। इस तरह के दोषी अधिकारी आपके शासन में हैं। आप राजनैतिक लोगों के भ्रष्टाचार को पकड़ने की बात कहते

है। भ्रष्टाचार तो आपकी कुर्सी के नीचे है। आपके परिवार में है, आपके समाज में है तभी तो आप अपने अधिकारियों के भ्रष्टाचार को पकड़ने में असफल हैं।

यहां पर एक मंत्री हैं, बदायूं से आते हैं। मान्यवर, उनके बारे में इन्दिरा गांधी को पत्र लिखकर एक संसद सदस्य ने उन पर साफ-साफ यह लांछन लगाये कि यह भ्रष्टाचार करते हैं। इनके कारखाने में बिजली की चोरी होती है। जब यह कोआपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन थे, इन्होंने अपने फार्म के अन्दर खाद चोरी की लगाई है। ट्रैक्टर का लोन नहीं दिया है। इस तरह की एक लम्बी लिस्ट है और उसको मैं सदन के सामने दिखला सकता हूं लेकिन ऐसे-ऐसे लोगों को हमारे ईमानदार मुख्य मंत्री, कर्मठ मुख्य मंत्री और सुन्दर मुख्य मंत्री ने अपना मंत्री बनाया है और यहां पर कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ईमानदार होना ही काफी नहीं है, लगना भी चाहिये कि आप ईमानदार हैं। हम मानते हैं कि आप बेइमान नहीं हैं लेकिन चोरियां तो होती हैं अब चाहे वह राजेन्द्र त्रिपाठी हों, चाहे श्रीकृष्ण गोयल हों और चाहे सीधे सादे राम सिंह खन्ना हों। आपको पूरे प्रशासन का शुद्धीकरण करना होगा और जो कृषि उत्पादन है उत्तर प्रदेश के अन्दर वह दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में घटता चला जा रहा है।

जब उद्योग के क्षेत्र में 18 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में घट गया और आप कहते हैं, यह आपका बजट कहता है कि हमारे अन्दर, पिछले सालों के अन्दर राष्ट्रीय आय के नीचे भी गिरावट आई है तो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आय है प्रति व्यक्ति साढ़े नौ सौ रु0 जब कि यह पंजाब में 1600 रु0 और महाराष्ट्र में लगभग 1800 रु0 है। अब तो यह 500 के आस-पास ही राष्ट्रीय आय रह गयी है। इसके अन्दर आपने बड़े-बड़े उद्योग-पतियों और पूंजीपतियों को जोड़ लिया लेकिन आज गांव के गरीब आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है जो लोग गांव से चुनाव जीतकर आये हैं उन्हें मालूम है कि गांव की क्या स्थिति है। वहां लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। औरतों के पास धोती नहीं है। गांव की औरतें जब नहाने जाती हैं तो आधी धोती लपेटकर नहाती हैं और उसके बाद दूसरी तरफ के आधे पल्ले की धोती हैं। यह स्थिति है आज गांव में रहने वालों की। इस तरह से बेटी और बाप के राज्य में यह पतन हो रहा और आप सारे के सारे लोग अपने सम्मान को बेचकर इस पुश्तैनी राज्य को चलाना चाहते हैं।

आज उस राज्य के बारे में, उस सूबे के बारे में क्या वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में किसानों को आगे बढ़ाने की कोई बात कही है? आपने किसानों को मारने की कोशिश की है। आपने बिजली का दाम बढ़ा दिया है, किसानों के काम आने वाले हल व बैलों की जोड़ी का दाम बढ़ा दिया है यानी किसानों के काम आने वाली हर चीज का दाम बढ़ा दिया है और फिर भी आप चाहते हैं कि आपके इस बजट का लोग समर्थन करें। यह बजट समाजवादी बजट के बजाय पूंजीवादी बजट है, और मुट्ठी भर लोगों का समर्थन करने वाला बजट है।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट का समर्थन करने के लिये मुझे अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में जनता का बजट है, प्रगतिसूचक और परिवर्तनकारी बजट है जो निर्बल वर्गों के

[श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--]

लिये भविष्य को एक नयी रूपरेखा देना है। इस वर्ष का जो बजट है उसमें पिछले वर्ष के बजट से लगभग 127 करोड़ रुपया अधिक है। इस बजट के अन्तर्गत जो योजनायें बतायी गयी हैं, उन योजनाओं की ओर मान्यवर, आप ध्यान दें तो देखेंगे कि प्रदेश में पिछड़े जिलों की ओर शासन की निगाह पड़ी है और प्रत्येक जनपद के लिये एक भारी उद्योग की कल्पना प्रस्तुत की गयी है। उद्योग बढ़ाने के लिये उद्योग बन्धु की कल्पना की गयी। हमारे विरोधी पक्ष के भाई जिन्होंने अभी अपना भाषण दिया, निराशावादी हैं। सन् 1947 के बाद से आज तक इनकी जो भूमिका रही है, वह किसी देश या प्रदेश को बनाने की भूमिका नहीं रही है। इनको मौका दिया गया था तीन वर्ष का लेकिन तीन वर्ष के जनता शासन ने यहां की आर्थिक व्यवस्था को चकनाचूर करके रख दिया और फिर आज ये प्रदेश को बनाने की बात करते हैं। देश को बनाने की बात करते हैं।

देश को बनाने का लक्ष्य हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का है जिन्होंने 'श्रमेव जयते' का नारा दिया है जिससे देश और प्रदेश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ सके और चीजों का उत्पादन बढ़ सके जिससे इस देश को शक्तिशाली बनाया जा सके। जहां प्रदेश व देश को आगे बढ़ाने की बात है वहां हमारे विरोधी पक्ष के लोग उत्पादन को समाप्त करके देश और प्रदेश को बनाने की बात कर रहे हैं। समाज में उन लोगों को याद किया जाता है जो समाज को उन्नति की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। जिनके दिमाग में हमेशा संहारात्मक भावना ही रहती है, उनको समाज कभी भी याद नहीं करता। विरोधी दल पिछले उदाहरण से भी कुछ नहीं सीखा और आज भी इनके सोचने का तरीका निगेटिव दिशा में ही है, सोचने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

भ्रष्टाचार का बहुत जिक्र किया गया। पिछले तीन साल तक जब कि जनता पार्टी का शासन था, एक दूसरे नेताओं पर बराबर ही भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते रहे हैं और जाहिर है कि जनता शासन में इस ओर कोई सुधार नहीं ला सके। लेकिन जब हमारे दल की सरकार आयी तो इनका कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। यह असत्य है। प्रदेश की गरीब जनता को आगे बढ़ाने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के पास अनेक तरह के कार्यक्रम हैं। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है, निर्बल आवास योजना है तथा और भी तमाम तरह की योजनायें हैं। क्या आपने कभी अपने शासन काल में नवयुवकों का चयन करके उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की? आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत आपने कितने लोगों का चयन करके विकास खंड के अधिकारियों के माध्यम से गरीबों को ऋण दिला कर उनके स्तर को ऊपर उठाने की बात की? जो देश के असहाय वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की बात की? क्या विरोधी दल इस बात का दावा कर सकता है कि उसमें कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिलायी?

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जो समस्यायें हैं वे केवल एक दूसरे पर प्रहार करके हल होने वाली नहीं हैं। जनता ने बड़े विश्वास के साथ हमको मौका दिया है और हम इस भूमिका को निभाने के लिए सक्रिय रूप से यहां आये हैं तथा सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। इस बजट में यह बताया गया है कि किस तरह से हम प्रदेश की समस्याओं को दूर कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखंड से आता हूं। मुझे इस बात बात का फख्र है कि सन् 1947 के बाद पहली बार शासन ने बुन्देलखन्ड की ओर ध्यान दिया है और उस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए बुन्देलखन्ड विकास प्राधिकरण का गठन किया है। उसके लिए बीस करोड़ रुपये के धन की व्यवस्था की है जिसमें से एक करोड़ रुपया उपलब्ध भी करा दिया है। इसके लिए भी बुन्देलखन्ड की जनता वर्तमान शासन की बहुत-बहुत आभारी है।

मैं आपसे यह निवेदन करूं कि बुंदेलखन्ड में सिंचाई की समस्या भयंकर समस्या है। हमारे यहां लगभग बीस प्रतिशत सिंचाई क्षमता है। यदि सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं तो निश्चित रूप से बुंदेलखन्ड प्रदेश के अन्न उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मुझे खुशी है कि वर्तमान बजट में एक पंचनंद बांध की जो लगभग 445 करोड़ रुपये की लागत का होना बात की गयी है, उसके सर्वेक्षण की बात की गई है। हम इसके आभारी हैं।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बांदा जनपद में केन नदी मध्य प्रदेश से आती है। इस केन नदी पर एक गजऊ बांध बना था जिसमें सिलटिंग अधिक हो चुकी थी। शासन स्तर पर 1972 और 1977 में तत्कालीन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ था कि वहां पर गवेऊ बांध बनाया जायगा। मुझे अफसोस है कि यह योजना अभी तक नहीं सफल हो पायी है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश की जनता पार्टी ने एक आन्दोलन किया कि बांदा को पानी नहीं ले जाने देंगे। मैंने यह मसला भी उठाया था। मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश में एक लिफ्ट बैरियर कैनाल बनाई जा रही है और जिस दिन यह कैनाल जोड़ दी जायगी बांदा जनपद को पानी उपलब्ध नहीं होगा। बांदा की सिंचाई क्षमता बहुत घट जायगी और 13 लाख लोगों के जीवन के अस्तित्व का प्रश्न है।

वर्तमान शासन ने बुन्देलखन्ड विकास प्राधिकरण का जो गठन किया है इसमें एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की आवश्यकता है। वहां पर एक बुन्देलखन्ड विकास निगम है। उसने पिछले कई वर्षों से अपने बजट का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा कि उस निगम का पुनर्गठन कर दिया जाय और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मौका दिया जाय।

आपने जो विकेन्द्रीकरण योजना दी है इस प्रदेश को इसके लिए शासन बधाई का पात्र है। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मंडलीय मंत्रियों की नियुक्ति के बाद एक और कदम आगे आता है और वह है सांसदों, विधायकों को जिलों और विधान सभा क्षेत्रों में कुछ अधिकार दिये जाने चाहिए, जो योजना शासन की उन क्षेत्रों में चल रही है उसमें उनकी साझेदारी अधिक बढ़ाई जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ में माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं और विरोधी भाईयों से यह गुजारिश करूंगा कि वे इतने अच्छे बजट का समर्थन करें और अपने हठ छोड़ कर हमारा साथ दें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री ने 95·28 करोड़ का डिफिसिट बजट सदन में प्रस्तुत किया। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि इसी माननीय सदन के अन्दर जब 67-68 में माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट प्रस्तुत किया था तो 85 लाख का सरप्लस बजट प्रस्तुत किया था। कहा जायगा कि यह बहुत दिनों की बात हो गई। उस समय प्लानिंग का काम इतना नहीं था, वगैरह-वगैरह। फिर उसके बाद यहां दिघे जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट प्रस्तुत किया। 1979-80 में वह घाटा 27·91 करोड़ हो गया। उसके बाद आपकी रिजीम आती है और मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें 117·99 करोड़ का घाटा दिखाया। उसके बाद ब्रह्म दत्त जी आ गये। उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया तो वह 97·46 करोड़ का डिफिसिट प्रस्तुत किया और यह कहा कि हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे परन्तु जो 354·23 करोड़ का जो एरियर पड़ा हुआ है सेल्सटैक्स का, और कितना कहां से वसूल होना है, कितना राइट आफ करना है, जिसे उन्होंने अपने भाषण में कहा था। मुझे खेद है यह कहते हुये कि इस 97·46 करोड़ के डेफिसिट को वे उससे पूरा नहीं कर पाये। वसूलयाबी भी हुई किन्तु घाटे को पूरा नहीं किया गया और उसके द्वारा इस माननीय सदन की अवहेलना करके एक नयी प्रथा मौजूदा शासन ने डाली है अभी-अभी अक्टूबर, 1981 में एक जनरल आर्डर के जरिये प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया कि इतना बोझ जनता पर और डाल दिया जाय कि पावर रेट बढ़ाकर 36 करोड़ बस किराया 30 करोड़, 25 प्रतिशत लैंड डेवलपमेंट लेवी लगाकर 10 करोड़, साढ़े तीन एकड़ तक की लेवी को डेढ़ एकड़ तक करने पर उसमें जो लेवी लगाई उससे 10 करोड़ आदि करके आपने इन्डाइरेक्ट टैक्स से वसूल किया।

मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि जहां इस माननीय सदन के अन्दर 1962-63 में सिर्फ लगान के ऊपर 25 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिये चन्द्रभानु गुप्त जी ने एक बिल पेश किया था और उस पर 15-20 दिन तक बहस हुई थी किन्तु उसे वे सवाया नहीं कर सके थे किन्तु आज सारे विपक्ष के नेता बराबर मुख्य मंत्री और सरकार को लिखते रहे कि सदन को बलाइये किन्तु जो रूल्स में है कि सदन की बैठक वर्ष में 90 दिन होनी चाहिए, उसे न करके 44 दिन की ही सिटिंग की गई इस तरह से सदन की अवहेलना की गई और इस तरह से 46 करोड़ का टैक्सेशन प्रदेश के ऊपर थोप दिया।

श्रीमन्, अब आप 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम तो पहले भी था सिर्फ 4/5 प्वाइंट्स मर्दाने जोड़ दिये गये और इस तरह से वे 25 प्वाइन्ट्स का प्रोग्राम हो गया था। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में वे केवल 24 ही थे और जब माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण आया तो वह 20 सूत्री ही रह गये, जो मर्दाने थे वे निकाल दिये गये। इनको तो मालूम भी नहीं होगा कि वे प्वाइन्ट्स क्या हैं। श्रीमन्, इस 20 सूत्री कार्यक्रम के पांचवें आइटम में हैं कि रिहैबिलिटेशन आफ बांडेड लेबर, सातवें में है सप्लाई आफ ड्रिंकिंग वाटर टु आल रिहैबिलिटेटेड बाण्डेड लेबर, पंद्रहवां आइटम है शिक्षा के सम्बन्ध में कि हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की सुविधा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं इन इम्पार्टेन्ट सूत्रों की ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने अपने भाषण में कहा कि आप इस 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये इस बजट को प्रस्तुत किये हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं अगर आप देखें कि हमारे प्रदेश में बान्डेड लेबर की क्या स्थिति है तो आपको मालूम होगा कि इस सूबे में 26, 17, 000 लोग खेती में काम करते हैं, 22 लाख इन्डस्ट्री में लगे हुये हैं जिसमें से मैं कहना चाहता हूं कि 86 प्रतिशत केवल हरिजन हैं और 25 प्रतिशत उनमें वे लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है, जिनको कि 40 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति का जो 25 जनवरी को भाषण हुआ और जो 26 तारीख के अखबारों में आया है उसकी तरफ आपने कभी ध्यान दिया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने खासतौर पर इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि इतने सालों की आजादी के बाद भी पीने का पानी लोगों को दो-दो मील से लाना पड़ता है। बान्डेड लेबर और हरिजनों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है उसके लिए उन्होंने दुख प्रकट किया है। क्या इसको आप अहम नहीं समझते हैं। इस बजट के अन्दर जो 5 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है पिछले साल के मुकाबले में अगर उस रुपये को केवल पीने के पानी की व्यवस्था में लगा देते तो कम से कम एक नेक काम करते। जनता पार्टी ने अपने ढ़ाई साल के पीरियड में 27 हजार गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की आप इस साल में केवल 12 सौ गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर पायेंगे। तो यह जो पैसा है इसको नेक काम में लगाइये तो लगेगा कि पैसा अच्छ काम में खर्च हो रहा है। आपके यहां क्या होता है, गृह मंत्री जी चली गयीं। यहां पर ला-ऐन्ड आर्डर का जिक्र बहुत होता है मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा।

(श्री बलबीर सिंह के अखबार खोल कर देखने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बलबीर सिंह जी, आप अखबार नीचे रखें अगर आंकड़े नोट कर रहे हों तो नीचे रखकर नोट करें अन्यथा ऐसा लग रहा है कि आप अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मगर फिर भी दो तीन बातों की तरफ गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश की अबला और औरतों की सुरक्षा करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वह इस बात को ध्यान में रखें कि उनके ला ऐन्ड आर्डर की हालत क्या है। मैं केवल दो तीन केसेज का जिक्र करूंगा जिसमें पुलिस वाले ही इन्वाल्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अतर्रा में एक शादी शुदा का रेप 13-12-81 को थाने के अन्दर हुआ, बांदा में सौहर की मौजूदगी में रेप हुआ 6-12-81 को थाने में, महाराजपुर थाना में कानपुर में गंगाराम पासी की बीबी और तीन लड़कियों के साथ रेप हुआ पुलिस थाने के अन्दर 8-1-82 को उन्नाव में 15 साल की लड़की का कानिस्टेबल के साथ 6 आदमियों ने रेप 17-11-81 को किया। कानपुर जल के अन्दर एक मासूस मुन्ना के साथ क्या हुआ यह सभी को मालूम है। पुलिस, जिसके लिए इतना बजट पास कर रहे हैं जिसकी संख्या 1 लाख 30 हजार है जिसका काम रक्षा करना है और अरबों रुपया हम उस पर खर्च कर रहे हैं, इस सदन में हम कानून बनातेहैं

[श्री रियासत हुसैन--]

और जब स्थिति ऐसी हो जाती है और कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है और कान्स्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस स्थिति में हाऊस डिजाल्व कर दिया जाता है और जनता से कहा जाता है कि अपने नुमाइन्दे दुबारा चुनकर कर भेजिये ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह एक लाख तीस हजार पुलिस कर्मचारियों को और अधिकारियों को आपने किसलिए रखा है क्या घास खोदने के लिए रखा है, या हल जोतने के लिए रखा है नहीं, इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए रखा है, ला एन्ड आर्डर को मेनटीनेंस के लिए रखा है। जिसकी हालत यह हो कि डाकू छबिराम जिसको पकड़ने के लिए एक लाख रु0 का इनाम रखा है वह पुलिस के सामने आता है और पुलिस इंस्पैक्टर से कहता है आओ एक लाख रुपया ले लो मुझको गिरफ्तार करो तो वह दरोगा उसके पांव छूता है और कहता है मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं वह भूखों मर जायेंगे मेरी जान बख्श दो । फूलन देवी का क्या हुआ जालौन जिले में फूलन देवी मानपुर गांव में अप्रैल में देखी गयी जिसका पुलिस वालों ने पीछा किया और वह भाग गयी, लाखन सिंह को पहले से ही खबर कर दी गयी और फूलन देवी पीछे से निकल गयी । राजू भटनागर और उसके दूसरे साथी सुरेश सोनी को सबको जानकारी है यहां अवध क्लर्क के अन्दर उसके पास कौन जाते थे किसकी लाईन उसके पास लगी रहती थी ।

यह सारे काम जब पुलिस वाले करने लगे तो मैं नहीं समझता कि किस मतलब के लिए पुलिस रखी जाए और आप उनके लिए बजट पास करते हैं । आप इसको क्यों नहीं डिजाल्व कर देते हैं । अच्छा हो कि पुलिस के हाथ से लेकर मिलेट्री को यह काम दे दिया जाए और केवल तफ्तीश का काम यह देखें । यह भी होने दीजिए, हमें और आपको एक अनुभव तो हो । जिससे ला एंड आर्डर तो कम से कम कायम रह सके और लोगों के जान माल की हिफाजत हो सके । आप यह जो पुलिस फोर्स ऊपर से लेकर नीचे तक लेकर बैठे हैं वह किस मर्ज की दवा है, वह क्या कर रही है, किधर जा रही है, इस पर आपने ध्यान दिया है । राजू भटनागर बता रहा था, उसके सुरेश सोनी ने अपने बयान में बताया है कि उसने किस तरह से आई0 जी0 से अपना हाथ मिलाया था ।

लेकिन हमारा काम तो केवल यह रहता था कि हम कैसे इन अफसरों की सुरक्षा कर, कैसे इनकी खाल बचाएं । मुख्य मंत्री जी ने कल मेरे प्रश्न के स्पष्टीकरण में बताया कि हमारी कसमें जो थी वह केवल देवली कांड के सम्बन्ध में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के ला ऐन्ड आर्डर के सम्बन्ध में हैं। तो उन्होंने जो कसम खाई है कसम के बाद यानी देवली कांड के बाद 228 लोग एन्काउन्टर्स में मारे गये हैं, जिसमें से केवल 19 लोग जो मारे गये हैं हिस्ट्रीशीटर थे । अगर यह 19 उसमें से निकाल दिए जाएं, तो आप देखेंगे कि 200 से ऊपर जो बचे उनकी क्या हिस्ट्री है । वह बेगुनाह थे। इन बेगुनाहों को पुलिस द्वारा मरवाकर मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं सन्तुष्ट हूं और पुलिस वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं और करना चाहते हैं । आप सन्तुष्ट भले ही हों, लेकिन बजट इस सदन में चल रहा है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को सुरक्षा हो और उसको न्याय मिले। हम सन्तुष्ट नहीं हैं और नहीं हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि हम प्रदेश की जनता की जान, माल और इज्जत की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं । उन्होंने इतने बेगुनाहों को मारकर कह दिया कि यह लोग थे उन्हें तो जैसा बता दिया, वैसा कह दिया और वह उसी के अनुसार चलते हैं ।

देवली कांड के बाद जब मुख्य मंत्री जी वहां गये तो वहां के हरिजनों ने उनसे बहुत साफ कहा हमें मुलजिमों के लिए सजा चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो कि ऊंची जाति वाले उनसे बेगार न लें, हम इतमिनान के साथ खा सकें और इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिल सके। लेकिन हमारे मंत्री जी उनको क्या दे रहे हैं--बिजली के खम्भे/खंभे लगा दिए गये हैं, तार खींच दिया गया है, फिर वह मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और वास्तव में बिजली वहां कभी नहीं पहुंचेगी। लेकिन इनको सन्तोष हो गया। इस बजट में ब्रह्मदत्त जी ने एक बात और कही है, इस देश और प्रदेश की जुडिशियरी पर उन्होंने अटैक किया है। उन्होंने ही नहीं इस प्रकार की बात इनकी सबसे बड़ी नेता ने भी कह दिया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि 38 हजार क्रिमिनल्स में से 34 हजार को जूडिशियरी ने बेल पर छोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने ला ऐन्ड आर्डर की स्थिति को बिगाड़ दिया है। लेकिन आपकी पुलिस तो केवल इस बात के लिए पैसा लेती है कि सरेन्डर कोर्ट में हो जाए, हम तुमको गिरफ्तार नहीं करेंगे। जनपद मुरादाबाद में, मेरे क्षेत्र में पुलिस ने, श्री एन0 के0 शर्मा, ग्राम सततपुर थाना भगतपुर के खिलाफ जो मुकदमा था, जिसमें धारा 147, 148, 235, 427 307 तथा 452 के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज थी, रुपया लेकर उसमें से धारा 307 व 452 निकाल दी। इसमें थानेदार ने जमानत के लिए जो रिपोर्ट दी, उसमें से धारा 307 व 452 पहले निकाल दी, जिससे हाथों हाथ उसको जमानत हो गई। आप अपनी पुलिस के इन कारनामों पर तो पहले ध्यान दें, जिस पर आप बड़ा गर्व करते हैं।

मान्यवर, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के सम्बन्ध में बजट के अन्दर मुरादाबाद का भी जिक्र आया जिसमें पीतल नगरी बसाने की बात कही गई। वहां पर हजारों की कुर्बानी हो गई लेकिन आज तक सदन में इस बात का एश्योरेन्स नहीं दिया गया कि वह फलां तारीख तक बन जायेगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि वहां की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है और मैं जल्द ही कार्यवाही करूंगा। मैं जब मुरादाबाद में अपने मकान को जाता हूं तो वह पीतल नगरी कहां बन रही है मुझे कभी दिखाई नहीं देती। मुरादाबाद की हालत यह है कि यहां पर लगभग 29,000 प्रोडक्टिव यूनिट्स थे लेकिन इस रायट के बाद वे केवल 14,000 यूनिट्स रह गये हैं और 15,000 यूनिट्स बन्द पड़े हैं क्योंकि फारेन मार्केट चायना और कोरिया जैसे देशों ने छीन लिया है। पहले जहां से 70 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता था आज मुरादाबाद से केवल 30 करोड़ रुपये का होता है और मैं आशा करता हूं कि अब वह छीना हुआ मार्केट नहीं मिलने वाला है।

गेहूं के प्रोडक्शन का जहां तक सवाल है वर्ष 1978-79 में 231·8 लाख टन आपने बताया है जबकि आपने बताया कि वर्ष 1980-81 में वह 244·96 लाख टन पैदा हुआ। शर्म नहीं आती आपको कहते हुए कि जिस साल में सैलाब आया उसमें आपको प्रोडक्शन कम हुआ। वह तो सैलाबी साल था ही। अगर आपने वर्ष 1980-81 में 244·96 लाख ही पैदा किया तो 13 लाख टन ही अधिक पैदा किया और इस साल के लिए आपने कहा है कि यह 260 लाख टन पैदा होने की उम्मीद है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस साल के रिकार्ड्स देखे हैं कि आपके जो कोआपरेटिव स्टोर्स हैं उनसे कितना फर्टिलाइजर उठाया गया। आपने आई0 आर0 डी0 स्कीम तथा कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जो चीजें दी 30 दिसम्बर तक की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारी फसल बोई जा चुकी है। तो क्या आपने कोई नई टेक्नीक इस

[श्री रियासत हुसैन--]

काम के लिए निकाली है । अगर ज्यादा नहीं तो 260 लाख टन में से 25-30 प्रतिशत एक्रीएज कम होगा । यह तो आपकी मदद कुदरत ने कर दी जो बारिश सही समय पर हो गई वरना किसान को न तो आप खाद ही दे सके और न पानी ही । लेकिन आपने टैक्स उन पर लगा दिए । आपने किसानों को जमीन में घसीटने के लिए प्रयास किया है । भगवान ने रहम कर दिया वरना और भी मारामार होती । तो इस बजट को देखने पर हमें तो कोई नई चीज दिखाई नहीं देती है ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी व वित्त मन्त्री जी इस समय सदन में नहीं हैं, खन्ना जी आप जेलों में तो काफी मदद कर रहे हैं, हमारी भी कीजिए । आपके वन विभाग में 4 1/2 करोड़ रुपये का फ्राड हुआ है जिसमें 3,300 अधिकारी इन्वाल्व हैं । आपके जो नियम हैं उनमें 60 लाख रुपये का लास रोजाना हो रहा है उसके लिए एक कमेटी बैठा दें, वह भी नहीं हुआ । अभी मन्त्री जी ने कहा था कि 3 करोड़ रुपया अदा कर दिया गया अनअथोराइज्ड तरीके से तालकटोरा में, यही नहीं, आपके यहां पर कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सके, इसलिए वर्तमान मुख्य सचिव को एक्सटेन्शन दे दिया गया और आप उनको पाल रहे हैं । क्या हम यह मान लें कि उत्तर प्रदेश शासन के अन्दर कोई ऐसा योग्य अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव बन सके ?

आपके यहां एक और तमाशा यह है कि जो मर गए हैं उनके ट्रान्सफर और प्रोमोशन कर दिए जाते हैं । आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में एक डाक्टर डी0 बी0 त्रिपाठी हैं, अगस्त को यह खबर है, वे मर गये, उनका कत्ल हो गया था, उसके बाद उनका प्रोमोशन हो गया । एक डा0 एस0 के0 भार्गव थे जिन्होंने दो साल पहले इस्तीफा दे दिया था, उनका प्रोमोशन हो गया । कोआपरेटिव विभाग में तो यह सुना करते थे कि मरे हुए लोगों की इन्ट्री आदि हो जाती थी, पर डाक्टरों के बारे में अभी सुनने में आया है ।

जहां तक हरिजनों को संरक्षण देने की बात है, वह तो आपने अभी देवली कांड पर हुई बहस के समय उनके खिलाफ वोट देकर साबित कर दिया कि आप कितने उनके हितैषी और संरक्षक हैं । यह बात साफ तौर से कही गई थी कि जहां-जहां एगेंसिटीज होंगी वहां-वहां पर वहां की डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को जिम्मेदार ठहराया जायेगा । लेकिन आज उनको बचाने की कोशिश की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं । आपकी एक बात इस प्रदेश की पावर्टी लाइन के बारे में कहना चाहता हूं । आपकी जो पावर्टी लाइन है वह वेस्ट बंगाल के मुकाबले में क्या है, वह बताना चाहता हूं । वहां पर पापुलेशन का बर्डेन सबसे ज्यादा है, सैलाब आदि भी वहां सबसे अधिक आते हैं । 1972-73 में वहां पर पावर्टी लाइन 26·25 मिलियन थी और 1977-78 में वह 27·58 हो गई यानी कि इतने सालों में केवल 1·33 मिलियन बढ़ी । अब आपके यहां उत्तर प्रदेश में वह 1972-73 में 47·95 मिलियन थी, 1977-78 में वह 50·22 मिलियन हो गया यानी करीब 22 लाख बढ़ गई ।

अब लैंडलेस की तादाद भी जरा सुन लीजिये । 1977-78 में 172 लाख फेमिलीज में 50 प्रतिशत लैंडलेस थे । प्रदेश की पापुलेशन बढ़ी है 18 प्रतिशत, लेकिन लैंडलेस की तादाद बढ़ी है 35 प्रतिशत । यह आपकी गलत पालिसी के ही कारण है । लखनऊ के अन्दर एक घटना हुई मकान नं0 172/137, हाता लाल खां, अमीनाबाद में और उसी दिन दूसरी घटना यू0 पी0 हैंडलूम शो रूम की दुकान में डेढ़ लाख की चोरी हुई । 29 नवम्बर, 1981 को, उसी रात को चोरी हुई । होम मिनिस्टर को मैंने लिखा 17 दिसम्बर, 1981 को, होम सेक्रेटरी को 20 जनवरी, 1982 को लिखा कि वह मुलजिमान लोग जो चोरी किये हैं, वे बम्बई जाने का इरादा किये हैं । उन्होंने एस0 एस0 पी0 लखनऊ को लिखा, कोई कार्यवाही नहीं हुई और मुलजिमान कल झांसी मेल से साढ़े 10 बजे बम्बई चले गये । इस तरह से सुबहा होती है कि इस सारे कान्ड में पुलिस वालों का हाथ है । अब इसका नतीजा यह होगा कि डेढ़ लाख की चोरी के मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जायगी और छुट्टी हो जायगी ।

मैं बड़े खेद के साथ इस बात को कहता हूं कि आपका जो यह बजट 3,300 करोड़ पर पहुंच गया और 95 करोड़ का आप डेफिसिट हो गये, इस सबको आप सही मानों में इस्तेमाल कीजिए। इस बात की कसम खाइये कि कोई भी टैक्सेशन आप किसी भी तरह का इस सदन की मंजूरी के बगैर नहीं लगायेंगे । इसी की घोषणा करें, तब भी इसमें कुछ दम पड़ जायगा लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि रातों रात यह कभी बीस सूत्री हो जाता है, कभी 24 सूत्री हो जाता है ।इन शब्दों के साथ में यह कहता हूं कि यह समाजवादी बजट नहीं है और कांग्रेस दल का अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, युवक कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, केवल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राजनैतिक उद्देश्य से इस बजट को प्रस्तुत किया है । इसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री राम कुमार भार्गव :—

मान्यवर, कोई भी बजट जो है, सरकार की नीतियों को दर्शाने वाला होता है । माननीय वित्त मन्त्री द्वारा रखा हुआ बजट अपने आप में पूर्ण और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर शासन की प्रदेश की जनता को ले चलने का दृढ़ संकल्प दर्शाता है ।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो अपना बजट भाषण दिया था, पूरी बात तो उनकी समझ में आती ही नहीं है, मेरी समझ में जो थोड़ा-बहुत आया है, कल नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि जो आफीसर्स की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, मान्यवर, वे कुछ पढ़ के आते तो अच्छा था । इनके वक्त में एक रिपोर्ट नियोजन संस्थान की सर्वे रिपोर्ट यूटिलाइजेशन आफ आई0 ए0 एस0 आफीसर्स आफ्टर ट्रेनिंग । उसमें यह था कि जो आफीसर्स जिस ट्रेनिंग के लिए जायं, जैसे फाइनेंस और इंडस्ट्रीज में कोई जाय, उनकी उसी विभाग में यहां पर नियुक्ति हो ताकि उनका हम सदुपयोग कर पायें, यह सुझाव न देकर उन्होंने खाली आलोचना की । उनका तो यह कार्य है कि बंशी बजाना न आये तो बंशी ही तोड़ दें, क्योंकि ये तोड़-फोड़ में माहिर रहे हैं । अभी कवि सम्मेलन वाली बात चल रही थी । उसमें कहने का मन नहीं था, क्योंकि माननीय भीखा लाल बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि तुमने यह किया, तो उससे ज्यादा हम यह करेंगे । मैं उस भावना से नहीं कह रहा हूं । अभी बदायूं के कवि सम्मेलन के बारे में, जहां पर कुछ नहीं हुआ और उस बात पर हल्ला करना और वाक आउट कर जाना हुआ । भोपाल में जनता शासन के वक्त श्री हरि शंकर

[श्री राम कुमार भार्गव—]

परसाई कवि को आर० एस० एस० और कुछ राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा काफी चोटें पहुंचाई गयी थीं, उसकी तब कोई भर्त्सना नहीं की। वह कथा आज भी साहित्य के इतिहास में लिखी हुई है। मान्यवर, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, मगर एक उदाहरण नैतिकता का माननीय नेता विरोधी दल के बारे में भी देना चाहता हूं।

श्री ए० जी० खेर जो हमारे स्पीकर थे उनकी मृत्यु पर जब उनके शव को कन्धा देना चाहिए था, नेता विरोधी दल किसी का घेराव कर रहे थे। नेता विरोधी दल के किसी कार्यकर्ता के खून को अपने माथे पर लगाकर नाटक कर नैतिकता की बात करते हैं। यह उनकी नैतिकता है। यह नैतिकता और आदर्श है उनका, इन बातों को कहने की जरूरत थी हालांकि इन पर असर नहीं होगा। मान्यवर, अब मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। मान्यवर, इसमें एक मद है मलिन बस्तियों के पर्यवेक्षण एवं सुधार योजना। इसमें 80–81 में पर्वतीय क्षेत्र में एक शहर शामिल किया गया था। यह अकेले देहरादून को दी गई है। 82–83 में 32 लाख 40 हजार रुपया स्वीकृत किया गया जो अकेले देहरादून को दे दिया गया। मान्यवर, दूसरी मलिन बस्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए इस योजना के अन्तर्गत। इस बजट को रोजगार मूलक बनाने की कोशिश की है। मगर कुछ कटौती की वजह से कुछ कठिनाई हुई है। मान्यवर, जिस वक्त 9161 करोड़ की योजना निकाली गई उस समय 913 एम० बी० बी० एस० डाक्टरों की कमी थी लेकिन योजना आयोग से 6 हजार 2 सौ करोड़ की योजना स्वीकृत हुई तो 764 डाक्टर बेरोजगार होने की स्थिति में हैं। अब स्थिति यह है कि सिविल इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर तो हमको ढूढ़े नहीं मिलेंगे लेकिन मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेरोजगार रहेंगे।

मैं यह सुझाव सरकार को देना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल और मेकैनिकल इंजीनियर हैं उनकी प्रवेश की क्षमता घटा बढ़ाकर विषमता को दूर करें। मान्यवर जो पशुओं के डाक्टर हैं उनकी बेरोजगारी की समस्या है, उसको दूर किया जाय। जो बूढ़े मास्टर प्लान हैं उसको रिव्यू किया जाय। मान्यवर, इस बजट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की कोई मद नहीं दिखाई पड़ती है। हमारे प्रदेश और देश की संस्कृति को चेतना तो सारे विश्व में मशहूर है और सब इसकी इज्जत करते हैं। सांस्कृतिक चेतना जगाये बिना नैतिकता के ह्रास को दूर नहीं कर सकते। मान्यवर, इस बजट में उद्योग को बढ़ाने की बात कही गई। उद्योगों को बढ़ाने, उद्योग बन्धु की स्थापना, सस्ता न्याय दिलाने की बात की गई यह बहुत ही प्रशंसा की बात है। पुलिस थानों में जीप बढ़ाने की बात कही गई है, तथा जो पुलिस जन शहीद होते हैं उनके परिवार के लिए धन की व्यवस्था की गई है यह प्रशंसनीय बात है। एक चीज मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा और जैसा मुख्तार अनीस साहब ने कहा सफरन में श्री नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में जूट मिल मंजूर हुई लेकिन आज तक लाइसेंस नहीं बन पाया। जब कि रा मैटेरियल वहां पर मौजूद है इसीलिए सरकार द्वारा वह मिल स्वीकृत की गई थी लेकिन लाइसेंस नहीं बन पाया। हमारा विसवां विधान सभा क्षेत्र शहरी इलाके में है। हर साल ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने से पानी में डूब जाता है। जिसमें लाखों करोड़ों रुपया सरकार का लगता है इसे इस बार अवश्य ही बनवाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हर गोविन्द वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं इस बजट का विरोध करता हूं। मैं इस सदन में और सदन द्वारा प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं। इस बजट को पढ़ने और समझने से यह आया कि यह बजट पूंजीपतियों की गोद में, अधिकारियों की बुद्धि और कलम के आधार पर गुंडों और डकैतों की बंदूक की नोक पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इस बजट की कोई और उपमा नहीं दी जा सकती है। 34 सालों में अगर आप देखें तो मुस्तकिल तौर पर उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद बढ़ती चली गयी है। पिछले वर्ष जो बजट आया उससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या और भी बढ़ी है। यह जो बजट सरकार ने रखा है इसके पीछे छिपा है, बजट सेशन के बाद प्रदेश की जनता के ऊपर अनेक नये टैक्स लगाकर प्रदेश की गरीब जनता का शोषण किया जायेगा और पुंजीपतियों की तिजोरी भरने का काम किया जायगा। पिछले साल भी कहा था कि जो टैक्स बकाया है उसको वसूल करने का काम करेंगे लेकिन वसूल करने का काम नहीं किया गया और गरीब जनता के ऊपर, बस से यात्रा करने वालों, जमीन जोतने वालों, सिंचाई करने वालों, बिजली इस्तेमाल करने वाली गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगाकर गरीब जनता को लूटने का काम इस सरकार ने किया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी ओर जरा भी गौर नहीं किया गया है।

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज सन् 76-77 से ट्रेंड मास्टर, प्राइमरी स्कूल के घूम रहे हैं। मेरे जिले में साढ़े 6 सौ ट्रेंड मास्टर घूम रहे हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लगभग साढ़े सात सौ, आठ सौ जेल कर्मचारी निकाल कर बाहर कर दिये गये हैं, जेल आन्दोलन के सम्बन्ध में यह सरकार उनको बेकार करने का काम कर रही है। इसकी कोई चर्चा इस बजट में नहीं की गयी है। जनगणना के सात आठ हजार कर्मचारी बेकार हो गये हैं उनको काम देने के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। इस प्रदेश के नौजवान, जो बेकार हैं, उनको काम देने के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं की गयी है। आप गांवों में जाकर देखें कि आज लोगों के घरों में खाने के लिये राशन नहीं है, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है और रहने के लिये मकान नहीं है।

मैं तो कहता हूं कि लखनऊ में ही रात को आप देखें तमाम लोग फुटपाथ पर दिखायी पड़ेंगे उनके रहने के लिए जिन्दगी गुजर करने के लिये कोई चर्चा इसमें नहीं है। आपने कहा है कि 2 करोड़ रुपया यूथ को आर्गनाइज करने के लिये खर्च करेंगे। इस पैसे को खर्च करने के माने हैं कि प्रदेश के गुन्डों को पालने का काम 2 करोड़ रुपये से किया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस घाटे के बजट को रखने का क्या कारण है। जब संविद सरकार इस प्रदेश में बनी थी माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने बजट पेश किया था और मुनाफे का बजट पेश किया था मैं पूछना चाहता हूं कि डा० लोहिया के जमाने में जो सरकार रही उसने मुनाफे का बजट पेश किया था और आज घाटे का बजट पेश किया गया उससे साफ जाहिर है कि इनका दिमाग बड़े पूंजीपतियों के साथ है। वे लोग टुकड़े डालकर पालने का काम करते हैं। इनका दिल और दिमाग टाटा बिड़ला के साथ है। ढोड़े, मंगरे, बकरीदी की तरफ इनका दिमाग नहीं है जो गरीबी की रेखा के नीचे गुजर करते हैं। इनका दिमाग इस प्रदेश की जनता साफ करना चाहती थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हर गोविन्द वर्मा--]

लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। अभी जैसा हमारे साथी ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति हो गयी तो विधान सभा को भंग करके फिर जनता में जाना चाहिये। अगर प्रदेश की सरकार जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती, अगर आप प्रदेश की जनता को शान्ति नहीं दे सकते, जिन्दगी नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते और कपड़ा नहीं दे सकते और यहां की गरीब जनता को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाला बजट नहीं बना सकते, यह तो केवल भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे, पूंजीपतियों के सहारे और गुंडे और बदमाशों की बंदूक की नोक पर बजट बनाना जानते हैं, इसलिए यह बजट बहुत ही निन्दनीय बजट है, इससे गरीबों की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, और इससे गांवों की गरीबी दूर नहीं हो सकती और न ही इससे किसानों को सस्ता बीज, खाद व मिटटी का तेल मिल सकता है और न इससे गरीबों को सस्ती बिजली मिल सकती है और न ही सस्ता पानी मिल सकता है।

(2 बज कर 31 मिनट)

इन सारी चीजों की वजह से आज पूरे प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आप इनके प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइये, किसी बस स्टैन्ड पर चले जाइये जहां पर कोई भी बस आपको समय से नहीं मिलेगी और न ही कोई बस वेल मेन्टेन्ड मिलेगी। थोड़ी दूर चलने पर ही अपने आप भोपी बजाने लगती है, और यह कार्य इस सरकार का है, केवल अपने नाम का भोपी बजाती फिर रही है कि हमने यह किया और हमने वह किया। तो इस प्रकार का बजट पेश कर के इन्होंने प्रदेश की 11 करोड़ और 88 लाख जनता का अपमान किया है और इस तरह इन्होंने यह साबित कर दिया है कि यह एक अच्छा और लोकतांत्रिक बजट प्रस्तुत करने मे अक्षम हैं।

मान्यवर, हम उस इलाके के रहने वाले हैं जो लखनऊ के मध्य में पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में तो यह कहा जाता है कि वह स्वयं आत्मनिर्भर है और तरक्की कर रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर साधन उपलब्ध कराये जाते हैं लेकिन जो मिडिल जिले हैं, जैसे बहराइच, गोंडा, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली आदि को अगर देखें तो पता चलेगा कि यह डिस्ट्रिक्ट आज किस तरह की स्थिति में है, इनके लिए विशेषकर बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं कहता हूं कि हमारे जिले के यहां चार माननीय मंत्रीगण बैठते हैं इस हाउस में। दो मंत्री वैधानिक हैं और दो मंत्री अवैधानिक हैं जो कान में तेल डालकर और आंखों पर पटटी बांधकर यहां बैठते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की तारीफ में फूले नहीं समाते और इसके अलावा इनके पास कोई काम करने को नहीं है।

मैं कहता हूं कि आप शरदा सहायक बाराबंकी को जाइये और वहां की दोनों ओर आबादी को देखिए किस तरह से अपना गुजारा कर रही है, उनके पास रहने को ठीक से मकान नहीं है, खाने को रोटी नहीं है काम करने को काम नहीं है। दूसरे आप चिल्लाते हैं कि हमने इतने स्कूल खोल दिये, लेकिन मैं कहता हूं कि आज स्कूलों की जो हालत है, वह शायद ही इससे पहले भी कभी रही है। जहां डेढ़ सौ बच्चे पढ़ने वाले हैं वहां पर केवल दो अध्यापक हैं कोई शिक्षाविद् यह बता दे कि डेढ़ सौ लड़कों में दो अध्यापक पर्याप्त हैं। यही हाल हमारे वहां के मदारपुर जूनियर हाई स्कूल का है। वहां पर 170 बच्चे पढ़ने वाले हैं और केवल दो मास्टर। इसलिए यह बजट बहुत ही निन्दनीय बजट है। इसी के दूसरी ओर जनता सरकार ने और लोकदल की सरकार ने जहां प्रदेशों में बहुत से

प्राइमरी स्कूल खोलने के काम किये, उन स्कूलों में आज आप अध्यापक की व्यवस्था तक नहीं करा पा रहे हैं और जिन सड़कों का इन सरकारों ने निर्माण कराया था आप आज उन सड़कों की मरम्मत तक नहीं करा पा रहे हैं। इसलिये मैं साफ तौर पर कहता हूं कि यह सरकार टाटा और बिड़ला की सरकार है, किसानों और मजदूरों और गरीब लोगों की सरकार नहीं है, इसलिए यह बजट बहुत ही निन्दनीय है।

अन्त में इस बजट की जिस तरीके से निन्दा की जाय थोड़ा होगा। हाउस को भंग करके फिर से जनता के बीच चलें, अगर प्रदेश की जनता आपके साथ है।

*श्रीमती किशोरी शुक्ला—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसपर आपने बोलने का मौका दिया, आभारी हूं। आज मैं इतने दिन से सदन में आयी हूं और यह बराबर देखती आ रही हूं कि हमारे माननीय विरोध पक्ष के सदस्यों की एक ही भूख है—श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री की निन्दा, यह बड़ी शर्म की बात है। आज हमारे बीच में यह प्रदेश सारे संसार का आदर्श देश है। जिस आजादी के लिये महात्मा गांधी ने गोलियां खायीं, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सोने का ताज उतारकर रख दिया, देश स्वतंत्र हुआ। आज चाहे इस पक्ष के सदस्य हों या उस पक्ष के सदस्य हों चाहे हिन्दुस्तान के नागरिक हों। उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी मिली। इस भारतवर्ष में विरोध पक्ष के लोग 'भारत बन्द' का अभियान चलाते हैं। मैं नाज करती हूं अपने देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर कि यह 'भारत बन्द' प्रदेश में फेल हो गया।

मैं पूछना चाहती हूं 30 साल के आजाद कराये हुए कांग्रेस के शासन में ढाई साल में आप कौन सा खजाना ले आये हैं। मेरे खजाने को आपने लूट लिया और हम ही को आप दोषी ठहराते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह बजट देश के गुन्डों के लिये बनाया गया है। मैं पूछना चाहती हूं देश की धरती का हर बच्चा एक दिन यूथ होता है नौजवान होता है। क्या इस देश की आजादी में सुभाष चन्द्र बोस नौजवान नहीं थे, भगत सिंह और आजाद नौजवान नहीं थे। उस नौजवान को आप गुन्डे की संज्ञा देते हैं। क्या आप इस देश के नौजवान नहीं हैं? मैं बताना चाहती हूं यह बजट आप ऐसे लोगों के लिये भी पेश किया गया है जो परदे की आड़ में हमारी सरकार की निन्दा करते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे देश की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी इस देश के विकास के लिये उन्होंने संजय गांधी तक का समर्पण कर दिया। हिन्दुस्तान की कौन सी ऐसी नारी है जो अपने बेटे का लाभ छोड़कर देश का लाभ देखने चली जायगी। वही है हमारी इन्दिरा गांधी। आज देश में समाजवाद की किसी में अगर भावना है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी में और देश का नेतृत्व करने की क्षमता है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी में। जिस देश की नारियों का अंग्रेज सम्मान करता था, उस नारी के हाथ की चूड़ियां मोरार जी देसाई ने नीलाम करा दीं। मैं विरोधी दल के सदस्यों से पूछना चाहती हूं चीन-भारत की लड़ाई हुई सोना नीलाम नहीं कराया गया, ढाका-बंगलादेश की लड़ाई हुई, सोना नीलाम नहीं कराया

*वक्ता ने भाषण का का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती किशोरी शुक्ला--]

गया । उस समय कौन सी ऐसी लड़ाई हुई थी, जो भारत का सोना नीलाम करा दिया गया । खेती में गन्ना सूख गया, हमारी रखी हुई चीनी को बाजार में कम दामों पर बिकवा दिया और कहते हैं कि चीनी महंगी है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय विरोधी दल के नेताओं से और माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि यह आपकी देन है, देश और प्रदेश के ला एन्ड आर्डर को आपने बिगाड़ा है, नौकरशाही को आपने बिगाड़ा है जिसको आज हमारे प्रदेश की सरकार धीरे-धीरे ठीक कर रही है लेकिन आपके बिगाड़े लोग अभी भी कब्जे में नहीं आ रहे हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि विरोधी दल के सदस्यों से कि किसी विशेष व्यक्ति को लेकर आलोचना करना हम दोनों को शोभा नहीं देता । सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों को शोभा नहीं देता । सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ओर के सदस्यों को चाहिये कि हम कोई ठोस सुझाव दें जिससे कि हमारा देश और प्रदेश विकास कर सके ।

मान्यवर, अभी बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लिये कहा गया कि इसके लागू होने से महिलाओं पर अत्याचार होगा । मैं कहती हूं कि कब से आप महिलाओं के हमदर्द हो गये ? जब से आपको महिला का चुनाव चिन्ह दिया गया है तब से क्या आप महिलाओं की हिमायत करने लगे हैं ?

(हंसी)

जब देहुली कान्ड हुआ था तो आप कहां थे ? उस समय हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पर गयीं । जब नारायणपुर कान्ड हुआ था तो आपके मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव कहां थे ? उस समय भी हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां गयी थीं और आज कहते हैं हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरार जी ने यह बात उठाई थी तो लोगों को अच्छी नहीं लगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के सदस्यों से यह बताना चाहती हूं कि जनता पार्टी के छोटे से शासनकाल ने हमारी कांग्रेस के तीस साल के शासन को ऐसा तोड़ दिया जैसे कि घर में पड़ा हुआ खिलौना कोई बच्चा तोड़ देता है । आज जब कांग्रेस फिर सत्ता में आयी है तो हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उसको ठीक करने में लगी हुई हैं, पर इसमें समय तो लगेगा ही ।

आप कहते हैं कि गरीबों को कोई सहारा नहीं दिया गया है । आज जो सरकार ने कम्पोनेन्ट प्लान प्रस्तुत किया है वह गरीबों के लिये ही किया है । कम्पोनेन्ट प्लान में वह बकरी खरीद सकता है, सुअर पाल सकता है, व्यवसाय कर सकता है, मकान बनवा सकता है और 6 हजार तक की धनराशि को उसके लिये तीन हजार माफ कर दिया जायेगा । अब आगे हमारा और आपका दोनों का काम है कि जिला स्तर के अधिकारियों से हम गरीबों के बीच में उतर कर उसे ठीक से वितरित करवायें । लेकिन आप तो हाउस के अन्दर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं परन्तु बाहर गरीबों के बीच में नहीं उतरना चाहते हैं । केवल हाउस में ही भाषण करने से और चिल्लाने से गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता है । बल्कि सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा ।

मैं मानती हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार ने और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने प्रदेश के विकास के लिये, गरीबों के उत्थान के लिये अपनी ओर

से पूरी योजना बनायी है और उसके कार्यान्वयन में लगे हुए हैं परन्तु उस कार्यक्रम को आप भी अपने सहयोग से एसा उपाय करिये कि देश के विकास की योजना पूरी हो सके । यह मैं भी मानती हूं कि जिला प्रशासन के ऊपर सब निर्भर होता है और ऊपर-ऊपर सारी कार्यवाही कागजों में ही हो जाती है ।

एक सदस्य--

आपकी इस बात को हम मानते हैं कि आपने यह बात कोई अच्छी कही है ।

श्रीमती किशोरी शुक्ला--

इसके लिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि जिला प्रशासन को चुस्त कीजिये जिससे कि हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा और देश के प्रधान मन्त्री द्वारा जो कार्यक्रम बनाये गये हैं जो नीतियां निर्धारित की गयी हैं, उनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो सके । अभी हमारे एक भाई ने कहा कि चुनाव कराइये कि देख लें कि श्रीमती इन्दिरा गांधी कितनी जनता उनके पक्ष में है । लेकिन मैं उनसे चैलेंज के साथ कहती हूं कि चलिये उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में और चुनाव कराइये और देखिये कि आज आप जितने लोग आये हैं उसमें से सौ भी नहीं रह जायेंगे । आज उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान गयी है आपके बारे में कि आपने उसे कहां पहुंचाया है और श्रीमती इन्दिरा गांधी क्या है । आपके अन्दर के कुछ आसामाजिक तत्वों ने देहुली कान्ड कराया । हमारी प्रधान मन्त्री जी ने बन्धुआ मजदूरों के लिये क्या नहीं किया एक योजना और बनायी गयी है जिसमें गांवों के हरिजनों को जिनके पास भूमि नही है, 5 हजार से ले कर 20 हजार तक कर्जा दिया जायेगा ताकि...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सूबेदार सिंह जी, आपकी अनुमति से मैं श्रीमती गौरी देवी को बुला रहा हूं ।

श्रीमती किशोरी शुक्ला--

अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । पाली ब्लाक और सहजनवा ब्लाक में मिट्टी के तेल की बड़ी परेशानी है । मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करती हूं कि गांवों के किसानों को मिट्टी के तेल के लाइसेन्स दिये जायें ताकि उन तक मिट्टी का तेल पहुंचे । खाद की जरुरत है किसानों को, उसके दाम हमारी सरकार कुछ घटाये ताकि गांव के किसानों को राहत मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी तकरीर का समय समाप्त हुआ, आप विराजें ।

श्रीमती किशोरी शुक्ला--

उत्तर प्रदेश के उत्थान और विकास के लिए तमाम योजनायें चल रही हैं और हमारा प्रदेश सुदृढ़ रूप से चलेगा और...

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें माननीया किशोरी शुक्ला जी ।

श्रीमती किशोरी शुक्ला--

जो बजट पेश हुआ है, उसका मैं स्वागत करती हूं और जो आलोचना की गई है मैं उसकी घोर निन्दा करती हूं ।

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । 29 जनवरी को जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट से मान्यवर, न गरीब जनता की भलाई हो सकती है और न गरीब वर्ग के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकते हैं । मान्यवर, जिस तरह सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली मालूम देती है उसी तरह. . .

श्री अधिष्ठाता--

सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ।

(हंसी)

श्रीमती गौरी देवी--

सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है उसी तरह से हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी को जगह-जगह प्रगति ही दिखाई देती है । मान्यवर, एक बात कहना चाहती हूं, हमारे कृषि प्रधान राज्य में, हम इतना पीछे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । अभी हमारी बहन जी श्रीमती इन्दिरा गांधी की तारीफ कर रही थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं । यह सरकार किसकी है, इन्दिरा गांधी की सरकार है और इतनी सराहना कर रही हैं हमारी बहन जी और हमारे विरोधी भाई लोग इतनी प्रशंसा करते हैं । मासूम बच्चों को ले कर, गरीब क्षेत्र की बहुत सी औरतें हैं, जो भूखे ही सो जाती हैं और यह अपनी इन्दिरा गांधी की सरकार की बड़ाई करती हैं ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र कौड़ीराम की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं । कौड़ी राम बहुत पिछड़ा क्षेत्र है । मान्यवर, ऐसा है कि वहां बच्चों के पढ़ने के लिए भवन नहीं है । भवन जर्जर हो गया है । बच्चे बाहर बैठ कर पढ़ते हैं । टाट-पट्टी नहीं है पानी पीने की व्यवस्था नहीं है । हमारे क्षेत्र में एक इंच भी कहीं पर सड़क नहीं बनी है । सड़क की दयनीय दशा है और आये दिन घटनायें घटती हैं । हमारे क्षेत्र में एक भी ट्यूबवेल नहीं है । सिंचाई करने के लिये पानी का साधन नहीं है और हमारे क्षेत्र में बंधे नहीं हैं । कई बार हमने सिंचाई मन्त्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम की तरफ आकर्षित किया परन्तु उन्होंने ध्यान नहीं दिया मान्यवर । बरसात में ऐसी दशा हो जाती है हमारे क्षेत्र की जैसे पानी में कीड़ा रहता है । वहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है । हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । अगर आज स्वर्गीय सिंह जी होते तो हमारे क्षेत्र की यह दशा न होती जो आज कौड़ीराम क्षेत्र की है । उसकी तो किस्मत फूट गई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान कौड़ीराम की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं कि वहां कोई उद्योग नहीं है । वहां पर पांडेपुर बहुत मशहूर बाजार है । वहां पर भेड़ बहुत ज्यादा है । वहां पर कम्बल का उद्योग खुलवाया जाय । वहां पर उद्योग लगाना बहुत जरूरी है । हमने कई बार इस ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया और लिख कर दिया लेकिन मन्त्री जी ने ध्यान नहीं दिया । हमारे क्षेत्र में कोई हास्पिटल नहीं है । हमने मन्त्री जी से कहा लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया । मान्यवर, वहां पर उद्योग खोलना बहुत जरूरी है । मैं आपका ध्यान कौड़ीराम क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं । मान्यवर, इसी के साथ में इस बजट का विरोध करती हूं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

अधिष्ठाता महोदय, मुकाबले में ही बुलवाइयेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

वाजपेयी जी, मैं मुकाबले में ही बुलवा रहा हूं लेकिन इसके बाद तो उधर मुकाबले में कोई है ही नहीं ।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

माननीय अधिष्ठाता जी, वित्त मन्त्री माननीय ब्रह्म दत्त जी द्वारा प्रस्तुत किये हुए बजट के विषय में बोलने का अवसर आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूं तथा इस सराहनीय और प्रगतिशील बजट का समर्थन करती हूं, प्रबल समर्थन करती हूं और बार-बार समर्थन करती हूं । गम्भीरतापूर्वक विचारने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बजट में, इस लोकतन्त्र की प्रणाली पर आधारित बजट में राज्य को चरम सीमा पर ले जाने वाले किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं गया है । इसमें समाज के हर वर्ग को, चाहे वह किसान वर्ग हो या अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग को गहराई से, बहुत सुन्दर तरीके से स्पर्श किया गया है ।

अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्पादन की क्षमता ही एक मात्र उपाय है । इसके महत्व को समझते हुए हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन् 82 को उत्पादक वर्ष मनाने का निश्चय किया है । बीस सूत्री कार्यक्रम की एक बृहद् योजना रखी है जिस पर पहले भी विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है । इसलिये मैं नहीं समझती कि इस विषय पर लम्बी चर्चा की जाय । क्योंकि वक्त भी कम है । इस सरकार ने, अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए जान देने वाली पुलिस कर्मचारियों, कर्तव्य पर मिटने वाले सैनिक फोर्स के दुखी परिवारों के प्रति भी संवेदनशील नीति अपनायी है । हमारे वृद्ध बुजुर्गों को पेंशन देने की बात भी उसने सोचा है । भूमिहीन श्रमिक व निर्बल वर्ग के लोगों की दशा में सुधार के लिये भी यह सरकार विशेष रूप से सक्रिय है । गरीब जनता को निःशुल्क आवास तथा निःशुल्क वैधानिक राय देने की एक योजना है जिससे उनको सही व सस्ता न्याय दिला सके । सरकार की एक ठोस नीति है और उसके अनुसार वह हर तरह की सहायता देने के लिये सक्षम है । इतने दिनों तक हुई चर्चा के उपरान्त एक बात स्पष्ट रूप से मेरे सामने आयी है और उससे मेरी यह राय बनती है कि विरोधी दल की सारी दुनिया इस सुन्दर ताल के अन्दर तक ही सीमित है ।

[श्रीमती पुष्पा चौहान—]

श्रीमती इंदिरा गांधी जी विश्व की सर्वमान्य नेता हैं, उनके लोकप्रिय व सुनियोजित कार्यक्रमों का विरोध करने के सिवा इनका और कोई काम रह नहीं गया है। लेकिन आपके माध्यम से उनको बतलाना चाहती हूं कि स्वस्थ व सुधारवादी तर्कशील राय देना जो सबसे आसान काम है उसमें भी ये सक्षम नहीं हैं। मुफ्त राय देने लायक भी ये लोग नहीं हैं। निर्बल वर्ग व हरिजनों के लिये गरमच्छ के आंसू बहाने वाले ये लोग हैं। वोट के लालची ये लोग इन गरीबों को ये क्या दे सकते हैं जब कि वोट देने के मासूमों के अधिकार को भी इन्होंने शुरू से आज तक कुचला ही कुचला है। राष्ट्रपिता बापू की पवित्र समाधि पर ली गई शपथ को तोड़ने में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोग इस प्रदेश की जनता व शासन को क्या उपदेश दे सकते हैं। वे किस बूते पर इस प्रदेश की जनता के पास फटक सकते हैं। माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को मैंने चार घंटे तक सुना लेकिन एक भी बात मेरी समझ में नहीं आयी। कभी वे विषय पर रह कर और कभी उस विषय से बाहर जाकर बोलने लगते थे, न मालूम वे क्या कह रहे थे, लेकिन सदन के नियमानुसार हम लोगों ने उनको सुना लेकिन समझा कुछ नहीं। क्या जमुना के किनारे नीबू के बागों की योजना तथा जी० टी० रोड के बंजर उन्हें आज नजर आ रहे हैं।

एक सदस्य—

वे कपास उगा रहे थे।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

मेरे जनपद में पेट्रो केमिकल के मिनिस्टर साहब आये तो...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूं कि जब कोई महिला सदस्य पहली बार बोले तो हमें मौका देना चाहिये और सब को चाहिये कि उनकी पहली तकरीर को गम्भीरतापूर्वक सुनें ...।

(व्यवधान)

माननीय अनीस जी, बैठ जायं।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, कृष्ण चन्दर ने आत्मकथा लिखी 'बाराबंकी का गधा' वही सुन लीजिये।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता जी, वह चला था सीतापुर से, महमूदाबाद होते हुये अटक गया बाराबंकी में

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

जो समय नष्ट हुआ है, वह आप को मिलेगा ।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

माननीय नेता विरोधी दल कहते हैं कि सन् 75 में शेख साहब आये और विद्यार्थियों की मांग पर उन्होंने पेट्रो केमिकल प्रोजेक्ट के लिए एक चेक साइन किया । मैं आप के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहती हूं कि 74 में यानी एक वर्ष पहले ही हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसी मैदान में फरटि-लाइजर प्लान्ट, खाद के कारखाने की घोषणा की थी लेकिन वहां पर रेत ज्यादा होने की वजह से वह योजना लागू नहीं हो सकी । छींटाकसी करने की आदत तो इन लोगों की परम्परागत है । कुछ सुनने की आदत भी होनी चाहिये ।

विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाली भारतरत्न हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी की धरती के किसी भी छोर में बैठकर हिन्दुस्तान के दिल की धड़कन सुनाई पड़ती है । हिन्दुस्तान...

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

धड़कन सुनिये..

(हंसी)

श्रीमती पुष्पा चौहान--

माननीय मुख्य मन्त्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए सदन में माननीय नेता विरोधी दल राजेन्द्र सिंह ने बार-बार, बीसों बार, मेरे ख्याल से अपने भाषण में एक सौ इक्कावन बार राजा साहब शब्द का व्यंगात्मक रूप से इस्तेमाल किया । क्या वह ऐसे लगते हैं जैसे कि राजा साहब नहीं हैं, राज घराने के नहीं हैं या क्या यह पद उन्होंने छीन कर लिया है । चलते-चलते विरोधी दल के एक सदस्य ने उनकी सुन्दरता पर भी कटाक्ष कर डाला । इनकी पार्टी में भगवान पर भी छीटाकशी कर दी सवाल कहां उठता है । भगवान ने सब को पैदा किया है । राज घराने में वह पैदा हुये हैं । उनकी सुन्दरता बख्शी है, सुन्दर हुये इसमें इन्सान का क्या वश ?

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल ने जबरन एक जन नेता की ऐसी तस्वीर खींचने की कोशिश की है जैसे माननीय मुख्य मन्त्री सुनहरी पोशाक में ताज लगाये चंवर डोलते हुये किसी सिंहासन पर बैठे हों, अपने नेता विरोधी दल की कहानी सुनिये । उप चुनाव हुये हाल ही में मैं माननीय नेता विरोधी दल के जनपद की ही बात बताती हूं । हमारे समाज में किसी को कमजोर घोषित किया जाता है तो कहते हैं चूड़ी पहन लो और घर बैठो । एक ऐसा ही मेरे जैसा कमजोर वर्ग माननीय नेता के जनपद में सिकन्दराराऊ में, जिस क्षेत्र को माननीय नेता चौधरी साहब अपनी विरासत समझते थे । मुझे मेरठ से मानते हैं तो सवा सौ मील और सहारनपुर से मानते हैं तो दो सौ मील, माननीय अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्य मन्त्री जी के आशीर्वाद से, सिकन्दराराऊ क्षेत्र में हमने चुनौती दी थी । उनका क्या हाल था । ग्राम अडौली से मथुरापुर

[श्रीमती पुष्पा चौहान--]

जाने वाली सड़क पर अपने वर्करों को लथाड़ रहे थे, फटकार रहे थे कि क्या उन्होंने कांग्रेस के कैन्डीडेट से पैसे खा लिये हैं, सौदा कर लिया है। सौदे की बात तो मैं नहीं जानती लेकिन आप के माध्यम से अपने झंडे की बात जरूर करती हूं। हमारे इतने झंडे इनके वर्करों ने चुराये कि आज उनकी तिरंगी रजाई बिछौने बनवा कर आराम कर रहे हैं और हमने तो केवल झंडा एक ऐसा झंडा गाड़ कर संतोष कर लिया, जिसकी ऊंचाई कोई छू नहीं सकता, जिसको कोई झुका नहीं सकता था यह भाषण देने वाली बात नहीं है, बल्कि हकीकत है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, जो समय मुख्तार अनीस साहब ने उनका लिया है वह भी उनको दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

उसमें तो आप भी शामिल थे, आपने भी उनका समय लिया था।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं तो तबले पर संगत कर रहा था। थिरक तो ये रहे थे।

(हंसी)

श्रीमती पुष्पा चौहान---

डाकुओं से सहानुभूति में डूबे ये विरोधी दल के लोग अत्याचारों के आलोचक कैसे हो गये। अपने छोटे से काल की सरकार में ये लोग उस समय कहां सो रहे थे जबकि आये दिन चौराहों पर, थानों की नाक के नीचे प्रदेश स्तर में फौलादी कार्यकर्ता कत्ल हो रहे थे, इलाके वीरान हो रहे थे, इंसानियत चौराहे पर नीलाम हो रही थी, उस समय इनके इतने बड़े खजाने में दो शब्द भी सहानुभूति के नहीं थे।

(व्यवधान)

चूंकि टाइम बहुत कम है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसा हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम प्रदेश के अन्दर शांति व्यवस्था बनाये रखें। तो उन्हें आलोचना के लिये नहीं राज्य की सुन्दरता के लिये आलोचना करनी चाहिये। जिससे प्रदेश की स्थिति और सुदृढ़ हो सके। अन्त में मैं, माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का प्रबल समर्थन करती हूं।

*श्री सूबेदार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इस मानसी बजट पर बहस में हिस्सा ले रहा हूं। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका शुक्र गुजार हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अभी चूंकि उधर से एक कविता के साथ भाषण शुरू हुआ, मैं भी अपनी बात उर्दू के एक शेर से शुरू करता हूं :

अभी क्या है एक-एक बूंद को तरसेगा मैखाना,
जो अहले जर्फ के हाथों में पैमाना नहीं आया ।

मान्यवर, जब यह बजट सरकार की ओर से पेश हुआ था तो वह एक ऐसे माहौल में पेश हुआ था जब कि प्रदेश के अन्दर चारों ओर निराशा, कुंठा और अराजकता का वातावरण व्याप्त था । आशा यह थी कि सरकार की ओर से जो बजट पेश होगा वह निश्चित रूप से जनता को राहत देने वाला होगा और यह भी आशा थी कि सरकारी पक्ष की ओर से जो विचार आयेंगे वे बहुत ही सुदृढ़ और आलोचनात्मक विचार आयेंगे । लेकिन जो विचार यहां पर आये उनको सुनकर निश्चित रूप से मन में कुंठा पैदा हुई । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट है वह निराशावादी ही नहीं, बल्कि इस बजट के माध्यम से इस प्रदेश की जनता में तबाही होने जा रही है । प्रदेश में बेकारी बढ़ रही है, गरीबी भी बढ़ रही है, करप्शन और भ्रष्टाचार की गोद में यह प्रदेश सो रहा है । आशा यह थी कि कुछ अच्छाई और भलाई होगी लेकिन निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला ।

मान्यवर, मैं आरोप लगाने का आदी नहीं हूं लेकिन फिर भी सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं । बरेली में एक टरपेन्टाइन फैक्टरी है और एक कैम्फर की फैक्टरी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, उसके साथ उसका एग्रीमेंट है । उसके तहत वह फैक्टरी वन विभाग से 5.30 पैसे लीटर लीसा खरीदती है और फैक्टरी उसको देती है । आप उसको कम दामों पर 2.30 पैसे लीटर के हिसाब से देते हैं । और वह कैम्फर फैक्ट्री डिस्टिल्ड टरपेनटाइन को 5.50 से लेकर 7.50 पैसे तक में खुले बाजार में बेचती है । तो कौन सी मुहब्बत उस कैम्फर फैक्ट्री से है जिसका मालिक बम्बई का सेठ है, उसको सस्ते दामों पर क्यों देते हैं ? महंगे दामों पर वन विभाग से खरीद कर सस्ते दामों पर देते हैं । उसका नतीजा क्या है कि 1979-80 में यह फैक्ट्री 5 लाख के लाभ पर चल रही थी और 1980-81 में एक करोड़ 5 लाख का शुद्ध घाटा है तो फिर कौन सी मुहब्बत है इस फैक्ट्री से आप इसका स्पष्टीकरण दें । यही नहीं इस टरपेन्टाइन फैक्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए आप रुपया दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ? उससे तो ब्याज लेना चाहिये था । सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में है कि ऐसे मामलों में कम से कम 5 प्रतिशत ब्याज लेना चाहिये । तो आपकी यह साजिश नहीं तो और क्या है ।

मान्यवर, यह सरकार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के माध्यम से प्रशासन को चला रही है, यह भी मेरा चार्ज है । चूंकि पब्लिक अंडर टेकिंग विधान सभा के प्रति सीधे उत्तरदायी नहीं है इसीलिए आप रोज नये अंडरटेकिंग बनाते जा रहे हैं इनकी संख्या आज करीब एक सौ पहुंच गयी है । इनमें सरकार का करीब 25 अरब रु0 लगने के बाद प्रतिदिन 60 लाख का घाटा है और पूरे साल का यह जो डेफिसिट है 570 करोड़, इसको पूरा करने के लिए आप दो अरब रुपया और दे रहे हैं । यह जो शुद्ध घाटा है इसको पूरा करने के लिए आप कितना दे रहे हैं । मैंने निवेदन किया कि सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में है कि इन निगमों से कम से कम 5 प्रतिशत ब्याज मिलना चाहिये, इसका मतलब था कि आपको एक अरब 84 करोड़ रुपया ब्याज का मिलना चाहिये, जो नहीं मिल रहा है । बल्कि

[श्री सूबेदार सिंह---]

आप इस घाटे को अंश पूंजी में बदलने जा रहे हैं जो भारी अनियमितता है। मुझे उम्मीद है इसका जवाब आप अपने भाषण में देंगे।

सबसे बड़ी गम्भीर बात जब भारत के नियंत्रक और महालेखाकार ने चेतावनी दी जिसकी रिपोर्ट आ गयी है लेकिन उसे पेश नहीं किया गया सदन में, वह जानबूझ कर पेश नहीं की गई यह मेरा आरोप है। उसके पैरा 1 से 3 में कहा है कि 39 ऐसे निगम हैं जिनका 10 वर्षों से लेकर 3 वर्ष तक कोई आडिट नहीं हुआ और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना बजट ही तैयार नहीं किया। यह बात आपकी नोटिस में 1980 में लाई गयी थी। इन निगमों में देश की अरबों पूंजी लगी हुई है और यह घाटा दे रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब लोगों पर कर लगा रहे हैं। आखिर इस प्रकार की अनियमितता क्यों हो रही है। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर जो घाटा हो रहा है उसमें इन कम्पनियों का जो घाटा है वह 20 प्रतिशत है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था, मुझे बड़ी निराशा हुई। कुछ बंधुआ मजदूर थे जिनका आपको पुनर्वास करना था लेकिन उनका भी आप पुनर्वास नहीं किये और आपने कोई तिथि भी निर्धारित नहीं की इसके लिए। अगर आप देखें तो जनसंख्या प्रदेश में जो बढ़ रही है, उसका रेश्यो प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा है और श्रीमन्, फिर बजट आपका बच रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका एक मिनट और है।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं श्री राजमंगल पान्डेय की ओर से बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप दल के नेता नहीं, इसलिए आप केवल 10 मिनट बोल पाएंगे।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मुझे थोड़ा सा समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा आप दो मिनट में कहें।

श्री सूबेदार सिंह—

श्रीमन्, और ज्यादा लगेगा। विद्यालयों म शिक्षा की जो स्थिति है वह भी बहुत खराब है, प्रदेश म साक्षरता का प्रतिशत पूरा नहीं हो पाया है। 35 साल के बाद देश में प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर ही नहीं होना चाहिए, उसको फ्री और निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए थी। पुलिस की बात कही गई, मैं कह रहा हूं कि यह पुलिस प्रशासन हमारी गुलामी का प्रतीक है, जिसको अंग्रेजों ने कायम किया था। इसके माध्यम से यदि हम देश के स्वतन्त्र युवकों की भावनाओं को कुचलेंगे तो यह सम्भव नहीं है। इसलिए इसको पूरी तरह से आप रद्द कर दें और इसकी जगह पर लोक सेवक दल बनावें। मान्यवर, अब मैं न्याय विभाग

के बारे में भी कहना चाहता हूं, न्याय सस्ता होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि इस प्रदेश में अधिक से अधिक मोबाइल कोर्ट्स की स्थापना की जाय और इसके माध्यम से गरीब से गरीब जनता तक सरलता के साथ सस्ता न्याय पहुंचाया जाए।

मैं सिंचाई विभाग के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह इतना गिरा हुआ है कि सिंचाई की सुविधा नित्य प्रति कम होती जा रही है। मेरा निवेदन है कि आप इस बजट के माध्यम से इसके लिए धन न बढ़ावें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके लिए इस बुनियादी सवालों को हल कर सकना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं इस विपरीत दिशा की ओर जाने वाले, अत्यन्त संकीर्ण और निराशाजनक बजट के बारे में आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसको वापस ले लिया जाए।

*श्री शेर बहादुर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, किसी की भी निन्दा करना या आलोचना करना आसान है, लेकिन उस पर खुद अमल करना बहुत ही कठिन काम है। हमारे विरोधी दल के नेता और सदस्यगण इस बात को कहते हैं कि यह बजट ठीक नहीं है, इससे प्रदेश की जनता को निश्चित लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन इसमें क्या अच्छाई है, इसको वह नहीं कहते हैं। सही बात कही जाए तो अच्छा है, लेकिन सही बात को भी गलत करने के लिए जबरदस्ती अपना प्वाइन्ट रखा जाए, तो मेरे हिसाब से उसका कोई औचित्य नहीं है। हमारे रियासत हुसैन साहब ने कहा है कि यह बजट अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट निर्बल और दलित वर्ग के लोगों के लिए है, उनके लिए है जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं। इन लोगों का हमारी पार्टी पर और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर विश्वास है, यह उन्हीं को ऊपर उठाने वाला बजट है और ऐसे ही लोगों के लिए बजट है, जिससे वह तरक्की कर सकें और उनका उत्थान हो सके। इस प्रदेश का उत्थान तब तक नहीं हो सकता है, जब तक हम नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर नहीं उठाएंगे।

हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है वस्तुतः वह एक निराला बजट है जो सर्वतोन्मुखी है और जिससे प्रदेश का सर्वतोन्मुखी विकास अवश्य होगा। इससे गरीबों का कल्याण होगा। वे लोग क्या कहेंगे जो चन्द गिने चुने लोगों में कुर्सी तक नहीं बांट सके, और वे क्या गरीबों को सुरक्षा देंगे, धन को उनमें बांटेंगे, क्या उनको सन्तोष देंगे। चन्द इने-गिने लोग जो नाजायज हक को मांगने के लिए चुनकर आये थे 3 साल में ही चले गये। माननीया इंदिरा गांधी जी के त्याग और बलिदान को इस देश के हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कण-कण में, धरती में लगे हुए हैं, उनको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, उनके त्याग और बलिदान की कभी आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप लोग व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर इस लोकप्रिय सरकार की नीतियों की निन्दा करते हैं, यह एक बड़े शर्म की बात है, कोई श्रेयस्कर बात नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में भी बजट आये हैं मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शेर बहादुर--]

अपने विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि वे अपने ठंडे दिल पर हाथ रख कर देख कि क्या वे इससे बढ़कर हितकर थे ? कभी नहीं। आप लोगों का विश्वास है कि हम लोग गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सकते हैं लेकिन मेरा तो कहना यह है कि हम उनको ऊपर उठाते जा रहे हैं और उठाया भी है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। पहले जब 1 रुपये का 10 किलो गेहूं बिकता था तो 5 प्रतिशत लोग भी गेहूं नहीं खा पाते थे लेकिन आज जबकि 1 1/2 रुपये किलो बिक रहा है 95 प्रतिशत लोग गेहूं खा रहे हैं। जिस समय 10 पैसे प्रति मीटर कपड़ा बिकता था उस समय कितने लोग कपड़ा पहनते थे लेकिन आज कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास 2-4 कपड़ों के सेट्स न हों। क्या वे गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठे हैं ? यह कांग्रेस पार्टी की ही देन है और मेरा निश्चित मत है कि कांग्रेस की सरकारों के बजटों से ही यह उत्थान हुआ है। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से ये 3 साल जनता शासन काल के हिन्दुस्तान के इतिहास में जिस प्रकार से चन्द्रमा में कालिमा लगी हुयी है, उसी प्रकार से हैं। हम इसको धोयेंगे लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। इस प्रदेश को सम्पन्न बनाने में हम समर्थ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा यह भी निश्चित मत है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश और प्रदेश का कल्याण होगा, इस देश की गरीबी दूर होगी और यदि यही प्रगति रही तो निश्चय ही गरीबी नाम की कोई चीज इस देश और प्रदेश में नहीं रहेगी।

जहां तक प्रदेश में शासन व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 3 साल के अन्दर प्रदेश की शासन व्यवस्था, प्रशासन, अनुशासन ऐसा बनाया गया था कि छात्रों के हाथ में कलम और पुस्तकों के स्थान पर कट्टे और रिवाल्वर ही रहे और कभी भी समय से परीक्षायें नहीं ये करा सके, समय पर सत्र नहीं करा सके, एडमिशन नहीं करा सके। कांग्रेस ने शासन में आते ही, पिछले वर्षों के अनुसार विद्यार्थियों की समय से परीक्षायें करायीं। किसी प्रदेश की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर शिक्षा प्रणाली सुचारू रूप से चले और आज वही शिक्षा प्रणाली चल रही है, अनुशासन चल रहा है, छात्र अनुशासित रूप से विद्यालय जा रहे हैं, और परीक्षायें दे रहे हैं।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बलदेव सिंह आर्य पीठासीन हुए)

हमारे नेता ने इस वर्ष को उत्पादन वर्ष माना है और यह विरोध पक्ष वालों ने उसे असफल करने के लिए 'भारत बन्द' का नारा दिया। यह नहीं सोचा कि अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो देश और प्रदेश उन्नति कैसे करेगा। विरोध होना चाहिये, पर वह स्वस्थ होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

(3 बजकर 31 मिनट)

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, इस बजट पर जो सामान्य चर्चा चल रही है वह ठीक दिशा में नहीं चल रही है। मैं बहुत संक्षेप में दो ही बातें कहूंगा। पहली बात तो यह कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या सरकारी पक्ष इस बात को प्रमाणित कर सकता है कि उसने बजट में खर्च पिछले साल के मुकाबले में उतने प्रतिशत ही बढ़ाया है जितने प्रतिशत आमदनी बढ़ाई है। आप अगर इस बजट को देखें तो पता चलेगा कि आमदनी तो 8 प्रतिशत बढ़ी है और खर्चा 15 प्रतिशत बढ़ गया। कोई भी बजट बनाने वाला यह नहीं करेगा कि खर्च को आमदनी से दुगुना कर दे। अब इस अधिक खर्च को आप कैसे पूरा करेंगे ? कभी-कभी जब अच्छे काम किए जाते हैं तो जनता का आह्वान किया जाता है कि वह त्याग करे। ऐसी कोई बात इसमें है नहीं।

पूंजीगत व्यय को अगर आप देखें तो वह भी पिछले साल से घटा है। पिछले वर्ष पूंजीगत व्यय 1224 करोड़ था जब कि इस वर्ष वह 1160 करोड़ हो है। 64 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष से कमी की गयी है। इधर खर्चा काफी अधिक बढ़ाया गया है जिसके लिए जनता पर टैक्स अधिक बढ़ेगा। पूंजीगत व्यय घट रहा है, और खर्च बढ़ रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा ? फिर पूंजी जो आप लगायेंगे उस पर मंहगाई का भी असर होगा। मंहगाई है 12 सैकड़ा। 64 करोड़ और मंहगाई 139.2 करोड़ दोनों को जोड़ दिया जाये तो यह 203.2 करोड़ हो जाता है जो पूंजीगत व्यय में कम होगा। पूंजीगत व्यय में निर्माण और भविष्य की तरक्की के काम किए जाते हैं। इस सरकार ने भविष्य में तरक्की पर रोक लगा दी है।

इसके अलावा मान्यवर, सामान्य राजस्व व्यय 2176 करोड़ रुपये है जिसमें 1726 करोड़ रुपया केवल सरकारी अमले पर खर्च होगा अर्थात यह कुल रकम का 80 प्रतिशत है। अब 440 करोड़ रुपया केवल बचता है जो योजना सम्बन्धी व्यय है। तो मान्यवर, 80 सैकड़ा व्यय तो इनके लिए इतना आवश्यक है, उससे ज्यादा तो व्यय कर ही रहे हैं, तो इससे प्रदेश की तरक्की हो जाय, असम्भव है, बल्कि आप फिजूलखर्ची की ओर ले जा रहे हैं, तरक्की की ओर प्रदेश को नहीं ले जा रहे हैं। फिजूलखर्ची इनकी यह है कि जैसे फल उद्यान निदेशालय इन्होंने कई बना दिये। पहले इनका केवल एक ही फल उद्यान निदेशालय था, अब दो कर दिया, एक पहाड़ी और एक मैदानी बना दिया। मैंने चिट्ठी लिखी कि यह सारे प्रदेश का एक निदेशालय होना चाहिए, उसी से सारे प्रदेश का कंट्रोल हो सकता है और उससे दक्षता भी आयेगी।

मान्यवर, मैं सूचना सदन को दे दूं कि वर्ल्ड बैंक से इस फल उद्योग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी, इन्होंने एक योजना भारत सरकार को भेज रखा था, तो चूंकि दो निदेशालय इस विभाग के हैं, तो न पहाड़ी निदेशालय से कार्यवाही की जाती है और न मैदानी निदेशालय से कार्यवाही की जाती है। कितना उदाहरण दूं मान्यवर, मैं तो एक बटलोई के एक चावल की तरह से उदाहरण देकर बात कह रहा हूं। मान्यवर, एक बात और कह दूं, वह यह है कि देश में तरक्की के लिए दो शर्तें हुआ करती हैं। एक, शांति-व्यवस्था ठीक हो ताकि लोग शांति से रह सकें और अपना विकास कर सकें। बेहमई कांड से लेकर देवली और माढूपुर तक का कांड जो हुआ है, उसमें बहुत बड़ा नरमेध आपने कराया है, उससे आप कलंक से तो बच नहीं सकते। आप हरिजनों की रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा इलाका था, जहां पर कि बेहमई कांड, जो सबसे बड़ा कांड हुआ था, बीस आदमियों को जाने गयी थीं, उस इलाके में जनवरी, 1980 से बराबर पी0 ए0 सी0 पड़ी हुई है जब से श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन आया। आज तक वहां पर कोई डाकू नहीं पकड़ा गया। आखिर आप

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

किसको न्याय दिला रहे हैं । हम काहे को कहें कि आप इस्तीफा दें । हम काहे को आपसे कहें कि आप हट जाइये । आपके साथ प्रदेश का भाग्य भी जुड़ा हुआ है । इसलिए आपका यह कर्तव्य भी हो जाता है कि आप दक्षता के साथ, कुशलता के साथ प्रदेश को आगे ले चलें । लेकिन खेद है कि जब शांति व्यवस्था ही ठीक नहीं है, तो किस प्रकार आप देश को आगे ले चलेंगे ?

कल माननीया गृह मंत्री बोल रही थीं, एक विधायक के घर पर किसी दरोगा ने जाकर धमकी दी थी । माननीया गृह मंत्री ने कहा कि आप तो विधायक हैं, आप तो खुद सक्षम हैं, दरोगा आपका क्या कर सकता है । अगर ऐसी बात है, तो 145 विधायकों के लिए क्या धमकी की बात थी, बहुमत से चुनकर भी आये हैं, उन 145 विधायकों को क्यों आप अंगरक्षक दिये हुए हैं । तो इस तरह से आप अपने कथन से ही इतना विपरीत हो जाते हैं और आप संरक्षण नहीं दे सकते । अब मान्यवर, शांति व्यवस्था के बारे में दूसरी बात कह दूं । पहले मैं भी मंत्री रहा, साधारण रूप में रहता था । एक आदमी जिसके हाथ में दिखावट में एक डंडा भी नहीं रहता था । अब मैं देखता हूं कि लोगों के पास थ्री नाट थ्री की गोलियां पड़ी हुई हैं जनता को दिखाने के लिए । एक दफा महात्मा बुद्ध जी से किसी ने पूछा था कि भगवन् आप अकेले ही जहां कहीं होता है, चले जाते हैं, आप किसी से डरते क्यों नहीं हैं । तो बुद्ध जी ने कहा कि इसलिए कि हम किसी को डराते नहीं हैं । तो मान्यवर, ये किसी को डरा रहे हैं, गारद लेकर चलने लगे हैं और अपने दरवाजों पर गारद बैठाये हैं । जब आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदेश की सुरक्षा क्या करेंगे और आपसे क्या उम्मीद हम करें । आप नहीं चला सकते हैं तो सदन को भंग कर दें और फिर से चुनाव हो जाये । चला सकते हैं तो चलायें मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन अगर नहीं चला सकते हैं तो इस्तीफा दें और प्रदेश की जनता फिर से जिसको चाहेगी, चुनेगी । शान्ति और व्यवस्था की यह हालत है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता समृद्धि चाहती है । मैं आंकड़े पेश कर दूं तो शुरू में नाम आया है श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का । बड़ी विचित्र कहानी है मैं कहना नहीं चाहूंगा पहले 20 सूत्रीय कार्यक्रम था बाद में 4-5 और आ गये और 24 हो गये । बहुगुणा जी आ गये तो 31 और जुड़ गया और इनकी संख्या 55 हो गयी । बहुगुणा जी चले गये तो 31 सूत्र चला गया 24 हो गये । मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले घोषणा हो गयी जिसका पता राज्यपाल को भी नहीं था अब 20 सूत्र हो गये । यह जो जगलरी आप कर रहे हैं । इस मदारीपने के काम से कुछ होने वाला नहीं है । आप निश्चित सिद्धान्त बनायेंगे तभी प्रदेश आगे जा सकता है ।

मान्यवर, अब मैं दो बात कहना चाहूंगा । बिजली और बसें सबसे बड़े उद्योग हैं और दोनों ही विभाग निहायत घाटे में हैं । 8 अरब बस में और बिजली से 73 करोड़ रुपये की लागत पर पौने दस करोड़ पिछले साल घाटा लगा । बस विभाग इस स्थिति में है कि वह बस नहीं खरीद सकता है । मान्यवर, इस घाटे को पूरा करने के लिये जनता पर टैक्स लगता है या यात्रा दर बढ़ता है । मान्यवर, इनसे जनता का कल्याण सम्भव नहीं है । अन्त में मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि पिछले साल मैंने बजट को अवास्तविक कहा था जिसका सबूत यह है कि 33·69 लाख रुपया पिछले साल का बचत में आया है और इस साल का बजट प्रगति विरोधी और अधोगतिकारी है । यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री राज कुमार राय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय ब्रह्म दत्त द्वारा रखे गये 82-83 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं बजट पर कुछ कहूं इससे पहले मुझे गोस्वामी जी कि एक चौपाई याद आई है--

"जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन्ह तैसी"

मान्यवर, यह बजट जो इतना सामयिक है और जिसमें इस पिछड़े प्रदेश का सर्वतोन्मुखी विकास निहित है, जो जन कल्याणकारी है, हरिजनों, दबे वर्ग के लोगों, सताये हुये लोगों के लिये है। जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रदेश में जो दबे हैं गिरे हैं, उनके रहने के लिये उनको उठाने के लिये, उनको अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिये बहुत कुछ कहा गया है। यदि यह सारी चीजें विरोधी दल को अच्छी नहीं लग रही हैं, तो मैं क्या कहूं।

मान्यवर, इस बजट से निर्बल, मजदूर, मजबूर, खेतिहर मजदूर, छोटा व्यापारी, शिक्षार्थी, शिक्षक ने राहत महसूस की है। सारे प्रदेश के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने माननीया इंदिरा गांधी के उस श्रमेव जयते के नारे को, 1982 को उत्पादन वर्ष मानकर के, उसका साकार करने के लिये यह बजट रखा, जो स्तुत्य है। अब अगर आप इस बजट को नहीं मानते हैं तो हम क्या करें। मान्यवर, जहां इस बजट से पर्वतीय विकास, शिक्षा और सामाजिक संतुलन को एक ऐसी रूपरेखा दी है वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आजमगढ़ जनपद के अत्यन्त पिछड़े इलाके से आता हूं। यहां पर कई बार मांग की जा चुकी है, जब यहां पर एक गैर सरकारी विधेयक आया था तो कहा गया था कि इतने बड़े प्रदेश को देखते हुये, इसकी जन-संख्या को देखते हुये, पूर्वांचल की जनता की बेकारी को देखते हुये, जहां के गरीब मजदूर किसान आज भी कलकत्ता और बम्बई की गलियों में रिक्शा चला रहे हैं और दूसरे देशों में फिजी, गुयाना आदि देशों में रोजी-रोटी की तलाश में घूम रहे हैं तो इनके लिये एक पूर्वांचल विकास निगम बनाया जाय और पटेल आयोग की संस्तुतियों, जिसको नेहरू जी ने बनाया था, उसकी संस्तुतियों को कार्यान्वित किया जाय। हमने कई बार कहा है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो, यूनिसेफ की स्कीम थी कि एक डिवीजन में एक जिला जो सबसे पिछड़ा हो, लिया जाय। उसके तहत आवश्यकता थी कि जहां सेतु रामन कमेटी ने गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा माना था तो आजमगढ़ को जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसको अवश्य लिया जाय।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उसकी गरीबी और उसकी विशेष स्थिति को देखते हुये उसके लिये विशेष व्यवस्था की जाय। जहां एक तरफ सरकार ने सारी चीजों के लिये ध्यान दिया है वहीं वित्त मंत्री जी जिन क्षेत्रों में कटाव की समस्या है वहां उसके लिये धन देकर अभी से व्यवस्था करने की कृपा करें। नहीं तो ऐन बरसात में जब आदमकद पानी, 5, 6 फुट पानी हो जाता है और कटाव होने लगता है तो जो पैसा ठोकर और बोल्डर्स पर खर्च किया जाता है वह बेकार चला जाता है और फर्जी बिल बनाकर पैसा खर्च किया हुआ दिखा दिया जाता है। इसलिए अभी से कटाव के लिये लोगों को तैनात करके कटाव रोकने के कार्यों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री राज कुमार राय--]

करवाने की व्यवस्था करने की कृपा करें ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गन्ने की खेती के सम्बन्ध में और एग्रो के सम्बन्ध में जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने अपने ढाई तीन साल के कुशासन में नष्ट भ्रष्ट कर दिया है उसको हमारी सरकार एक अहद किया है, धर्म समझ कर गन्ने का खेती को बढ़ावा दें । सरकार ने 20 रुपये से 23 रुपये मूल्य की घोषणा की थी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना कुछ पिछले वर्षों में हम दे चुके हैं अगर उससे ज्यादा न दे सके तो 23 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को अवश्य दें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की खरीद में गड़बड़ी की जा रही है ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सदन में कुछ कहने का महत्व भी दिन पर दिन कम होता जा रहा है । पहले मैं सुना करता था कि जो माननीय सदस्य अपने यहां की समस्याओं के बारे में यह कहते थे तो उन पर तुरन्त ऐक्शन होता था, लेकिन अब आप कुछ भी कहते रहिए कोई सुनवाई नहीं होती । जिस तरह से आज दिन पर दिन चीजों में गिरावट आती जा रही है, उसी तरह से आज विधान सभा और विधान परिषद् की अवमानना होती जा रही है । हमारे यहां एक सहकारी चीनी मिल, सठियांव के अन्तर्गत है, जहां पर एक क्रय गन्ना केन्द्र है, सूरजपुर में यह पिछले 6-7 सालों से चला आ रहा है, वहीं से इसका ठेका था, वहीं जमीन है, वहीं गन्ना है, लेकिन उस स्थान का जो ढुलाई करने वाला ठेकेदार है, वह वहां के क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों की साजिश से और वहां के एक स्थानीय केन इन्सपेक्टर से मिलकर दूसरे गांव जो 5-6 कि0 मी0 दूर है, कांटा ले गया है और न वहां से वह पर्ची भेज रहा है और न ही वहां से गन्ना ले जा रहा है, जिससे गन्ना काफी सूख रहा है । इसके लिए, लिखा गया, स्वयं भी जाकर प्रयास किये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी तो मान्यवर, वहां पर ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठालकर, सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है और विरोध दल के लोगों को कहने का अवसर मिल रहा है ।

इसी प्रकार मान्यवर, एक दूसरा मामला है श्री कपिल देव गिरी, इक्जीयूटिव इंजीनियर, आई0 ई0 एस0 जो अपने यहां बजट के आधे हिस्से के पैसों का टूल्स एन्ड प्लांट कमीशन बेसिस पर खरीद रखा है । इसके लिए तमाम विधान परिषद् में दरख्वास्तें दी गयीं और विधान सभा में भी प्रश्नों के जरिए शासन का ध्यान आकृष्ट किये, लेकिन कोई कार्यवाही उसके प्रति आज भी नहीं हो सकी है, उसने 3-3 गोदाम टूल्स के गलत दिखाये हैं और एक रोड जो बनी नहीं है लेकिन बनी हुयी दिखाये हैं । यह हो रही है मितव्यता न इस पर कोई ऐक्शन हो रहा है और न ही इसके लिए कोई कार्यवाही रिकवरी की जा रही है और दूसरी ओ आप कहते हैं कि हम मितव्ययता कर रहे हैं । मैं तो कहता हूं कि जहां इस प्रकार की कोई गड़बड़ी की शिकायत विधायक दे और उसके ऊपर कोई तुरन्त कार्यवाही सेल आदि बनाकर जब तक नहीं की जायेगी, तब तक इस देश में भ्रष्टाचार का अन्त नहीं हो सकता है ।

(शोर)

एक सदस्य---

बहुत सही कहा ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, मैं कहना चाह रहा था कि जहां एक ओर इस प्रकार की घोटाले और भ्रष्टाचार सम्बन्धी गड़बड़ी है, वहीं पर कुछ कार्य भी हुए हैं। इस वर्ष इस बजट में 78 करोड़ रु0 एन0 आर0 ई0 पो0 में रखा गया है और साथ ही 35-40 करोड़ रु0 एकीकरण के लिए रखा गया है और साथ ही सड़कों, पुलों और चिकित्सालयों आदि की भी उचित व्यवस्था की गयी है। इस सिलसिले में मैं अपने क्षेत्र आजमगढ़ के बारे में भी कुछ सुझाव रखना चाहता हूं कि मधुबन-बैरीपुर रोड पर कमरौली के पास एक पुल और एक रोड बनवाने का कष्ट करें ताकि वहां की जनता को अपने कारोबार एवं आवागमन में कुछ राहत की सांस मिल सके।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप विराजें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, एक मिनट, इस बजट में देश की प्रधान मंत्री ने जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में समावेश किया है, 'श्रमेव जयते' 1982 के उत्पादक वर्ष को साकार करने को कहा है, वह निश्चित ही हमारे समर्थन का पात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से, इस मंत्रिमंडल ने जो यह बजट रखा है, इसका विरोध करता हूं। 1405 करोड़ रु0 का बजट लाया गया। यह बुद्धिहीन और अफसरशाही के चंगुल में फंसी हुई सरकार की नालायकियत का सबूत है कि यह बजट पास हुआ।

अगर इसको विस्तृत रूप से देखें तो इसमें सरकारी अफसरों के लिये कोठी, कार, कार्यालय, उप मंत्रियों के लिये कार तथा अन्य शहरों में जितनी भी साज-सज्जा के सामान हैं, उनका इस बजट में प्राविधान कर दिया गया है। इन्होंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि प्रदेश में 70 प्रतिशत अलाभकर जोतें हैं, उनको लाभकर जोत कैसे बनाया जायगा, इस बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं किया। यह नहीं कहा गया कि उन अलाभकर जोतों को शतप्रतिशत सिंचित करके लाभकर बनायेंगे, न्याय पंचायत स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलेंगे या कोई ऐसी इकाई बनायेंगे। आज अफसर शहर में रहते हैं। अफसरशाही के चंगुल में आकर यह मंत्रिमंडल गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि कुल आमदनी की 50 प्रतिशत आमदनी गांवों से आती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप बजट को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जायगा कि इसमें क्या कुछ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों का इसमें शोषण किया गया है।

मान्यवर, मैं कृषि की ओर आता हूं। आज इनकी नेता माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी इस वर्ष को उत्पादक वर्ष का नाम देती हैं, लेकिन इन्होंने गांव में बिजली देने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया। 6 घंटे बिजली देने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

माननीय बिजली मंत्री ने कहा है और गांव में 4-5 घंटे बिजली दी जा रही है, कैसे उत्पादन बढ़ायेंगे ? आप उस किसान और मजदूर के बाहुबल का श्रेय खुद लेना चाह रहे हैं, लानत है आप पर ।

(विरोध पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवजें)

गांव में शिक्षा, 35 वर्ष हो गये आजादी मिले, लेकिन गांव का 80-85 प्रतिशत वर्ग अशिक्षित है । शहरों में शतप्रतिशत लोग मकानों में रहते हैं और गांव में 80 प्रतिशत लोग झोपड़ी में रहते हैं । आजादी का नमूना यह है कि हम अपने प्रदेश के नवयुवकों को मानसिक तौर पर आजादी की राह नहीं दिखा सके, वह आज भी अपने को गुलाम महसूस करते हैं, क्योंकि अनपढ़ हैं । गांव का एक किसान, एक मजदूर, लेखपाल से डरता है, सिपाही से डरता है । आजादी का मतलब होता है देश के हर नागरिक का मानसिक विकास हो, मानसिक तौर पर वह इसको समझे और महसूस करे । बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा है, गांव के विकास के नाम पर बजट का शोषण होता है । बजट को देख लीजिये कोई भी विभाग ऐसा नहीं होगा, जिसमें कार और कोठी का विवरण न हो । कहीं यह नहीं लिखा है कि गांव में मेडिकल कालेज खोलेंगे या गांव में औद्योगीकरण करेंगे या गांव में कोई बड़ी इन्डस्ट्री लगायेंगे । लगेगी कहां, श्रीमती इन्दिरा गांधी के क्षेत्र में । लगेगी कहां, अमेठी में । अपने-अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं मंत्रिगण । आप अगर पिछले वर्ष को ही देखें तो गांव में एक किलो मीटर भी सड़क नहीं बनी है जबकि शहरों में हजारों किलो मीटर सड़कों का निर्माण किया गया है । यह है आपकी गांव के विकास की नीति । आज आप गांव वालों की ही बदौलत सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं । आपने उनके लिये बसों की व्यवस्था नहीं की बल्कि बसों के किराये बढ़ा दिये । मंत्री जी ने खुद माना है कि पुरानी बसें इस योग्य नहीं हैं कि चल सकें और नई बसें वे खरीद नहीं सकते हैं । मैं इसी बात पर मांग करता हूं कि मंत्री जी को फिर इस्तीफा दे देना चाहिये ।

चिकित्सालय और स्वास्थ्य की बात आप करते हैं । आप देखें कि गांव में कितने अस्पताल हैं, कितने डाक्टर हैं । गांव में, डाक्टर की डिग्री मिल जाने के बाद कोई जाना नहीं चाहता है । इस तरह से इस प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता आपको बददुआएं दे रही है, आपको कोस रही है । आप आज यह नहीं कह सकते कि आपको जनता ने इलेक्ट किया है क्योंकि आप यहां नेगेटिव वोट से आये हैं और यहां बैठे हुए हैं । आज गांव में जहां डिस्पेन्सरी है वहां डाक्टर नहीं है और जहां डाक्टर हैं वहां डिस्पेन्सरी नहीं है । कहीं-कहीं तो न डाक्टर ही है और न डिस्पेन्सरी ही है । तो यह हालत है आज हमारे गांवों की चिकित्सा के बारे में ।

आप हरिजन कल्याण की बात करते हैं । पूरे 57 जिले के जिलाधिकारियों ने हरिजनों को स्वीकृति पत्र प्रदान किये हैं परन्तु उसमें से 10 प्रतिशत को भी राष्ट्रीय बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं हो सका । तो क्या हुआ ऐसे थोथे नारों का, ऐसी थोथी नीतियों से और ऐसे थोथे बजट से ?

जहां तक केन्द्र सरकार की इमदाद का सवाल है, हरियाणा जो इस प्रदेश का बीसवां हिस्सा है उसको 43 करोड़ रुपए की सहायता केन्द्र से दी गयी है और उत्तर प्रदेश को 289 करोड़ रुपया की सहायता मिली है क्योंकि हमारा मंत्रिमंडल नाकारा है, उसको कोई अक्ल नहीं है बजट पेश करने की, उसको मालूम नहीं है कि बजट कैसे बनाया जाता है तो केन्द्र सरकार सहायता कैसे दे ।

अगर अक्ल है तो हरियाणा वालों से जाकर सीखो वरना त्यागपत्र दे कर घर बैठो ।

मान्यवर, इतनी बात कह कर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं और साथ ही मांग करता हूं कि रामपुर जनपद में एक मेडिकल कालेज खुलवाने की व्यवस्था की जाय और वहां पर एक बड़ा उद्योग लगाया जाय और एक अभियोजित प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाय । इन शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

श्री रामयश सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है । प्रस्तुत बजट समाजवादी बजट है, यह एक क्रान्तिकारी बजट है । यह बजट किसानों मजदूरों, अध्यापकों और नौजवानों के हितों की रक्षा करने वाला बजट है ।

किसानों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब गन्ने की कीमत 20 1/2 और 21 1/2 रुपये घोषित की तब विपक्षी दल ने उसका घोर विरोध किया परन्तु किसानों ने विपक्षी दलों का गन्ना आंन्दोलन असफल कर दिया और सरकार का साथ दिया ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खरीफ और रबी की फसल को बड़े उचित समय पर ठीक कीमत घोषित किया जिससे व्यापारी वर्ग किसानों को लूट नहीं सका और जब सूखा पड़ रहा था तो इस सरकार ने 8 से 12 घन्टे बिजली की व्यवस्था की और किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी । सिंचाई का भी व्यवस्था की । इससे यह साबित होता है कि यह सरकार और इसका बजट किसान समर्थक है । इसमें नौजवानों के लिए 2 करोड़ रुपया का प्राविजन किया गया है उनके कल्याण के लिए । अध्यापकों के लिए, उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जब उन्होंने हड़ताल की नोटिस दी थी तो इस सरकार ने उनके साथ बैठ कर फैसला किया था । माननीय मुख्य मंत्री जी मजदूर समर्थक होने के कारण इस सरकार ने आते ही प्रदेश के तमाम उद्योगों के मजदूरों के साथ त्रिदलीय सम्मेलन बुला कर और उनकी तनखाहों में बढ़ोतरी की । चमड़ा उद्योग के श्रमिकों का त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया, इंजीनियरिंग श्रमिकों के, मजदूरों के वेतन की बढ़ोत्तरी इसी सरकार की वजह से हुई । कृषि मजदूरों के वेतन का भी पुनरीक्षण हुआ तथा श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारियों को भी, प्रभावी ढंग से लागू करने का अधिकार दे दिया । इसी वजह से 19 जनवरी को जो 'भारत बन्द' का नारा विरोधी लोगों ने दिया था, वह असफल हो गया विरोधी चाहते थे कि उत्पादन और उत्पादकता खत्म हो जाय, अर्थ व्यवस्था कमजोर हो जाये लेकिन मजदूरों ने केवल हड़ताल ही असफल नहीं की बल्कि प्रधान मन्त्री के आवाहन पर उत्पादन बढ़ा कर यह साबित कर दिया कि देश के मजदूर इंदिरा गांधी के साथ हैं और यह भी स्पष्ट हो गया कि जहां-जहां भी आई0 एन0 टी0 सी0 मजबूत थी वहां-वहां हड़ताल नहीं हुई । केवल 5-6 जगहों पर ही हड़ताल हुई जहां आई0 एन0 टी0 सी0 कमजोर थी ।

प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 1982 को देश का उत्पादकता वर्ष घोषित किया है और आई0 एन0 टी0 सी0 ने फैसला किया है कि हम इस वर्ष को उत्पादकता

[श्री रामयश सिंह--]

व उत्पादन वर्ष मनायेंगे और उत्पादन बढ़ायेंगे। मैं विरोधी दल के लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वर्ष उत्पादन बढ़ा कर, देश में जिन चीजों की कमी है उसको दूर करें। मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतें निर्धारित होती हैं। अगर मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है तो कीमतें बढ़ेंगी और यदि मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है तो कीमतें घटेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनायें।

मोदी नगर की तरफ मान्यवर, मैं आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं। विरोधी दल की तरफ के लोग बहुत जनतंत्र की दुहाई देते हैं और मोदीनगर में लाठी और डन्डों से मार-मार कर लोगों को काम पर जाने से रोका गया। यही नहीं ढाई सौ इन्टक समर्थकों के घरों का ताला तोड़कर लूट लिया तथा उनके घरों पर कब्जा कर लिया और इन्टक समर्थित लगभग 500 मजदूरों को काम पर जाने से रोक दिया है। प्रशासक, एच0 एम0 एस0 तथा मोदी से मिल कर इन्टक समर्थित मजदूरों को तरह-तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी तत्काल हस्तक्षेप करके मोदी नगर में इन्टक समर्थित मजदूरों की समस्याओं का निराकरण करें और उनके साथ न्याय करें। यही नहीं परतापुर कताई मिल में मोदी-नगर से गुन्डे ले जाकर जार्ज फर्नान्डीज ने 11 दिसम्बर, को निहत्थे मजदूरों के ऊपर गोली चलवाई और पुलिस ने उन गुन्डों पर एक्शन लेने के बजाय उन निहत्थे इन्टक समर्थित मजदूरों के खिलाफ मुकदमा कायम किया।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मोदीनगर में तो बहुत से मजदूर मारे गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये।

श्री रामयश सिंह--

मैं चाहता हूं कि उन मजदूरों के खिलाफ मुकदमा वापस लिया जाय। इसी तरह से 19 जनवरी, को भी विपक्षी दल ने बी0 एच0 ई0 एल0 हरिद्वार में लोगों ने जबरदस्ती गोली और डंडे के जोर पर काम बन्द करवाना चाहा और इन्टक के जनरल सेक्रेटरी पंवार के ऊपर लाठी और डंडे से वर्षा किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। यह जनतंत्र की दुहाई करने वाले लोग खुद गुन्डागर्दी करते हैं और अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हरिद्वार एक इन्टरनेशनल वी0 आई0 पी0 स्थल है और इसको हर पांचवें साल जिले का दर्जा दे दिया जाता है जब माननीय नारायन दत्त तिवारी जी मुख्य मन्त्री थे तो कैबिनेट में तय हो गया था कि हरिद्वार को तहसील की घोषणा कर दी जाय लेकिन आज तक तहसील की घोषणा नहीं की जा सकी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हरिद्वार को कम से कम पहले तहसील घोषित कर दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री धर्मवीर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं आपका कि आपने इस बजट के ऊपर बोलने का मुझको मौका दिया। मान्यवर, मैं जो यह बजट पेश किया गया

है उसका घोर विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं कि इसमें किसानों के सम्बन्ध में, बेरोजगारी के सम्बन्ध में और ला एन्ड आर्डर के संबंध में और जो रोजाना 26 हजार की आबादी बढ़ती है उस आबादी को रोजगार देने के लिए, उसके लिए इन्होंने क्या योजना बनाई है। ऐसी चीजों के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है लिहाजा मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। मुझे एक घटना याद आ गई। मैं इनके करनामों को देखकर अपने एक दोस्त से कह रहा था कि अबकी बार पता नहीं कैसे-कैसे मंत्री लाये गए हैं और जो शैली प्रयोग करते हैं ऐसी निकम्मी शैली मैंने कभी नहीं देखी। उनमें कई लोग तो बड़े भ्रष्ट हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि कभी-कभी भगवान अपने गधों को भी हलवा खिलाता है तो मेरी समझ में आ गया कि यह बात ठीक है।

मान्यवर, इनका जो प्लान था 766·99 करोड़ का उसमें से 723·05 करोड़ रु0 खर्च किया गया और बाकी 43·93 करोड़ इनके पास बच गया। नान प्लान 78-79 में 923 करोड़ के बाद 79-80 में 1,068.35 करोड़ इनका खर्चा हो गया। मान्यवर, एक योजना बड़ी अच्छी हमारी जनता सरकार ने चलाई थी कि गांवों में जगह-जगह काम के बदले में खाद्यान्न की योजना को चलाया था उसके बदले में बड़ी प्रगति गांव के क्षेत्रों में हुई और बहुत सड़कें बनाईगई। लेकिन आज उन सड़कों की दुर्दशा देखें तो मालूम होगा कि जिन सड़कों पर मिट्टी पड़ी थी वहीं की वहीं रुकी पड़ी हुई है। बारिश में सड़कें कटती जा रही हैं और जो काम हम लोगों ने अपने शासन काल में किया था उसका ये लोग सत्यानाश कर रहे हैं। अभी आडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आयी थी जिसे माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा। उसमें इनकी जितनी अन्डरटेकिंग्स हैं उनके बारे में बहुत कुछ लिखा था। खाद्यान्न योजना के 22.06 लाख रुपये के अन्न का कोई हिसाब उनके पास नहीं है। इनकी एक अन्डरटेकिंग यू0 पी0 प्लाट्स प्रोटेक्शन अप्लाएंसेज है और एक-एक यू0 पी0 चिल्ड वेयर्स है जहां 9 साल से कोई आडिटिंग नहीं हुई है। पता नहीं वहां किस तरह से क्या हो रहा है। एक अंडरटेकिंग यू0 पी0 रूफिंग और एक फैजाबाद रूफिंग है जहां 8 साल से कोई आडिटिंग नहीं हुई है। एक यू0 पी0 पोटरीज, एक यू0 पी0 ऐबस्काट और एक बुन्देलखंड कंकरीट स्टक्चर्स है जहां 6 साल से कोई आडिटिंग नहीं हुई है। एक यू0 पी0 पंचायत राज निगम एक-एक पशुधन उद्योग निगम तथा एक बुन्देलखंड विकास निगम है, जहां 5 साल से कोई आडिटिंग नहीं हुई है। इस समय यू0 पी0 में इनके जितने निगम हैं उनमें इनका 2,500 करोड़ रुपया लगा हुआ है और उसमें रोजाना 60 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये हम लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि जैसा है उसी तरह से इस बजट को पास कर दिया जाय और इसी तरह से काम करने दिया जाय तो इस प्रदेश का भविष्य भगवान के ही हाथ में है। मेरे ख्याल से बिजली में ही 570 लाख रुपये का लस है और इस तरह से टोटल लास 20 परसेंट के करीब पड़ेगा। इनकी सबसे जबरदस्त अंडरटेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिस पर काफी चर्चा हो चुकी है और दूसरा उत्तर प्रदेश रोडवेज निगम है।

मान्यवर, पिछले साल दो बार रोडवेज यात्री भाड़ा बढ़ाया गया। एक बार तो 40 परसेंट तक बढ़ाया गया जबकि पहले ही 10 या 15 परसेंट यात्री भाड़ा बढ़ चुका था और इस तरह से वह करीब 50-52 परसेन्ट पड़ गया। रोडवेज में हमारी सरकार की करीब 80 करोड़ की पूंजी लगी है और उनके पास बसेज 5,933 हैं। इनके हिसाब से उनमें से 2,000 हजार बसेज बिलकुल बेकार पड़ी हैं। 20-22 परसेन्ट बसेज हमेशा वर्कशाप में बेकार पड़ी रहती

[श्री धर्मवीर सिंह--]

हैं। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत बसेज चलती हैं तो अगर कभी आप इनकी बसेज में बैठें भगवान न करे कि ऐसा मौका मिले, तो आपको मालूम होगा कि जैसे होली का ढोल पीटा जा रहा हो, इस तरह से इनकी बसेज जाती हैं। और जब आदमी इनकी बसेज से उतरता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि तू बड़ा दयालु है जो जान बचा दी। 1956-57 से लेकर 1971-72 तक रोडवेज ने 15 परसेन्ट लाभ दिया। उसके बाद कारपोरेशन बन गया। कारपोरेशन बनने के बाद पहले ही साल 15 परसेन्ट से घट कर 3.49 परसेन्ट पर आ गया और अगले साल एक करोड़ रुपये का नुकसान दिया। यह आपके कारपोरेशन की कारगुजारी है। 74-75 में ढाई करोड़ रुपये का नुकसान हो गया और लास्ट ईयर 40 परसेन्ट यात्री भाड़ा बढ़ाने के बावजूद आप 15 परसेन्ट रिटर्न पर नहीं पहुंच पाये। मैक्जिमम 12.8 कारपोरेशन के हिसाब से रहा और अगले साल फिर साढ़े 9 करोड़ का नुकसान दिखला दिया है। मैं चैलेंज के साथ कहूंगा कि रोडवेज कोढ़ की तरह से आपके निगमों में है। रोडवेज की गाड़ियों में चढ़ने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती और गाड़ियों में तीस-तीस लाइन लगा कर लोग खड़े रहते हैं। फिर भी नुकसान क्यों ?

अब मान्यवर, इस प्रदेश का क्या होगा। इनके रेवेन्यू रिसीट में है 650 करोड़ रुपया और सैलेरीज और एलाउन्सेज में इनको देना है 885 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में देना है, इनका 13 करोड़ रुपया महंगाई रोजाना बढ़ता है। उसको कम करना इनके बस की बात नहीं है। इस प्रकार ये इस प्रदेश का दिवाला नहीं निकालेंगे तो क्या काम कर सकते हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बयान जो इन्होंने एक सम्वाददाता सम्मेलन में कहा उसको पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि 316 करोड़ रुपये टैक्स के एरियर्स हमको वसूल करने हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इसमें से 161 करोड़ रुपये ही वसूल हो सकेंगे बाकी धन राइट आफ करना पड़ेगा। ट्यूब वेल के बारे में इरिगेशन मंत्री जी ने यह बताया कि वह कुल एक हजार घंटे बिजली ट्यूबवेलों को दे पाते हैं। मैंने कैलकुलेट किया कि सरकारी नलकूप कुल 56 एकड़ जमीन को साल में सींचते हैं।

मान्यवर, ला एन्ड आर्डर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे तो ज्यादा बोलना चाहिए था लेकिन समय नहीं है 1980 में इन्होंने 10,429 डाकू पकड़े और 7,762 हथियार बरामद किये। 1981 में 9,447 इन्होंने डकैत पकड़े और हथियार बरामद किये 723।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

श्री धर्मवीर सिंह--

मान्यवर, हथियार बरामद किये सिर्फ 723। कारण क्या है ? गांव के भले आदमियों को इन्होंने राजनीति से प्रेरित हो कर के मारा है और इनकाउन्टर दिखाया है।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं।

*श्री गोरे लाल शाक्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं इस अच्छे बजट का समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य--

अच्छे बजट का ?

श्री गोरे लाल शाक्य--

और कहना चाहता हूं कि . . .

(व्यवधान)

विरोधी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग गदर जैसी स्थिति और हुल्लड़बाजी कर के बहुत सी चीजें कहना चाहते हैं । मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं कि विरोधी दल की तरफ से कुछ बात को आना चाहिये था तो इस बात को आना चाहिये था कि एक आचार संहिता बनें और उसके अन्तर्गत हम लोग फंक्शन करें लेकिन दुःख की बात है कि आप लोग हुल्लड़बाजी, गदर, करके सारी चीजों को नष्ट करना चाहते हैं । अगर आप में हिम्मत है तो कोड आफ कन्डक्ट की मांग करिये । उसके अन्तर्गत हम लोग काम करें ।

मान्यवर, विरोधी दल की तरफ से कहा गया कि महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है । कृपया (व्यवधान) शांत रहिये मेरी मांग है । बात सुनिये । आप लोगों से मेरी मांग है । कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं, चैलेन्ज करके पूछना चाहता हूं कि विकासशील देशों की विशेषता है चाहे यह देश हो या संसार का कोई देश हो महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि उन पर रोक लगाये । उसके लिए हमारी सरकार ने तमाम योजनायें तैयार की हैं ताकि यह महंगाई घटे, उत्पादन का बढ़ाना, टैक्स लगाना आदि । जब टैक्स लगाते हैं तो आप लोग हाय तोबा करते हैं । महंगाई घटाने के लिए टैक्सों को स्वीकार करना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय वर्मा जी ने कहा है कि खर्च ज्यादा और आमदनी कम । मैं माननीय सदस्यगण से कहना चाहता हूं कि यदि घाटे की वित्त व्यवस्था बढ़ी हो तो उसको ही खर्च ज्यादा कह लें और आमदनी कम कह लें । जब घाटे की वित्त व्यवस्था होती है तो उसमें इस तरह से होता है कि हम किस तरह से निर्माण कार्य करें । उसके लिए घाटे की वित्त व्यवस्था लागू की जाती है । उसकी व्यवस्था इन्डाइरेक्ट रूप से टैक्स है और जब हमको आमदनी का कोई जरिया नहीं मिलता है तो घाटे की वित्त व्यवस्था से हम निर्माण कार्य कराते हैं । जनता इसको स्वीकार करती है । डाइरेक्ट टैक्स से जनता काफी उत्तेजित होती है और आन्दोलन करती है । घाटे की वित्त व्यवस्था से निर्माण कार्य होता है । इसलिए आपको उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिये । मैं कहता हूं कि हर करोड़ित का उत्पादन बढ़ा है । प्रति व्यक्ति आय जहां 79-80 में 994 रुपये थी वहां 80-81 में 1,282 हो गया है । चीनी में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी तरह से वनस्पति तेल में 79-80 की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोरे लाल शाक्य—]

तुलना में 80–81 में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सीमेंट में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के गांवों के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाये जा रहे हैं।

मान्यवर, पहले जहां नगर आवास विकास परिषद् थी लेकिन अब हमने ग्रामीण आवास विकास परिषद् की स्थापना भी कर दी है जो कि गांवों की उन्नति के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अगले साल के लिए 78 करोड़ रुपया दिया गया है उससे जिन मजदूरों को काम नहीं मिलता है, बेरोजगार बैठे हुये हैं, उनको रोजगार मिल सकेगा। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 45.40 करोड़ रुपया दिया गया है उससे हरिजनों में काफी समृद्धि फैलेगी और उनको ठीक तरह से रहने का मौका मिलेगा। अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि यह सरकार पूंजीवादी है। यदि यह सरकार पूंजीवादी होती तो कृषि के क्षेत्र में 1982–83 में 350 करोड़ रुपये के ऋण का प्राविधान न करता। यह प्राविधान स्वयं यह बताता है कि यह सरकार समाजवादी है। जो हजारों करोड़ रुपया पूंजीपति मुनाफा गरीब से कमाते वह नहीं कमा सकेंगे। सहकारिता के माध्यम से भी सैकड़ों करोड़ का प्राविधान किया गया है। पूंजीपति आगे नहीं आ सकेंगे और उनसे ऋण लेने की अब कतई आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

अब मैं डीसेन्ट्रालाइजेशन की बात कहना चाहता हूं। यह एक क्रांतिकारी कदम है। हमारी सरकार ने यह किया है कि जिले के विधायक लोग वहां के बजट का 30 प्रतिशत खर्च कर सकते हैं। इससे हमारे मुख्य मंत्री ने रिकमन्डेशन की प्रथा खत्म कर दी है और पूरे प्रदेश में एक लिस्ट बना दी है कि स्कूल कहां बनेंगे, ट्यूबवेल कहां लगेंगे। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर एक प्लान बनाया है कि अब विकास जो है वह बगैर रिकमन्डेशन के होगा। इससे जो पिछड़े इलाके होंगे, वहां स्कूल खुलेंगे, ट्यूबवेल लगेंगे। ऐसा आपने कभी अपने शासनकाल में हिम्मत किया था? जनतंत्र के इतिहास में यह पहला मौका है जब हमारे मुख्य मंत्री ने इस तरह की व्यवस्था की है। अधिष्ठाता महोदय, हमें पहले लेवी चीनी एफ0 सी0 आई0 से मिलती थी, लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे 10 मिनट और दीजिये। अब हम चीनी को सहकारिता के माध्यम से दे रहे हैं इससे चीनी के वितरण में सुधार हुआ है।

न्याय के क्षेत्र में निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए एक बोर्ड बना दिया है ताकि गरीबों को न्याय मिल सके।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गोरे लाल शाक्य—

हरिजनों का रिजरवेशन जो पहले समाप्त हो जाता था अब समाप्त नहीं होगा बल्कि वह बराबर चलता रहेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री गोरे लाल शाक्य--

इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे जो बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं 1982-83 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । इसके पूर्व कि मैं बजट पर दो शब्द कहूं मैं बताना चाहता हूं कि मैं शनिवार और रविवार को अपने चुनाव क्षेत्र में गया था इस बजट की छोटी किताब को लेकर । वहां मेरी एक वृद्ध मुसलमान से मुलाकात हो गयी उसने पूछा कि क्या हाल हैं हमने उसको बताया तो उसके मुंह से एक शेर निकला उसे मैं आपके माध्यम से इन लोगों के पास और माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचाना चाहता हूं--

उसने कहा था मुझसे जलाने को एक चिराग, उसी चिराग से उसने मेरा घर जला दिया

मैंने तपाक से कहा, घबराओं मत मैं तुम्हारा नुमाइंदा हूं वहां जाकर कहूंगा ।

मंत्र परम लघु जासुवस विधि हरिहर सुर सर्व,

महावत्त गजराज कह बस कर अंकुश खर्व ।

तुम्हारा घर नहीं जलेगा । तो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी ही नहीं विधवा और वृद्ध विरोधी है । आप अपने पड़ोसी राज्य बिहार को ही देखें जहां वृद्ध और विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो उनको सरकार पेंशन देती है । इस बजट में जो व्यवस्था की गयी है । . . . .

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

यहां पर भी है ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

वह बहुत कम है, बहुत कम पैसा उसके लिए रखा गया है जिससे हमारी प्रदेश की जनता का भला नहीं हो सकता । जिस समाज में वृद्धों की सेवा नहीं होती, अपाहिजों की सेवा नहीं होती वह प्रदेश की सरकार नरक में जाती है आज नहीं तो कल । यह वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, तुलसी की बात आप मानते हैं वह कहते हैं ।

अब रही किसान की बात । यह सरकार कहती है बड़ी दूध और खून की बात । मुझे एक कहावत याद आ गयी अगर आज्ञा दें और समय दें तो कह दूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बजट पर बोलें, पुराणों पर न बोलें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

ठीक है समय मिलेगा तो बाद में बताऊंगा । जब हमारी सरकार थी तो उस समय हमने यूरिया 75 रु0 बोरी दिलाया जबकि उससे कुछ महीने पहले आपने 105 रु0 कर दिया था और वही यूरिया आज आप 122 रु0 में बेच रहे हैं, किसानों के लिए खाद के दाम आपने बढ़ा दिये । दूसरी तरफ पानी का रेट जो कम था उसको बढ़ा दिया तो तीसरी बार इंदिरा गांधी हमारे पेटों पर मार रही है और आपका सिपाही सर पर मार रहे हैं । हम नलकूप लगाते हैं तो हमसे एक एग्रीमेंट होता है कि 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन आप दो घंटे और एक घंटे बिजली देते हैं उसमें भी फ्यूज आये दिन मालूम होता है, उड़ गया । किसानों के जीवन के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है उनको समाप्त करने की साजिश में लगी हुई है । गन्ने की दशा को आप देखिए । किसी भी समय में किसानों के सामान का मूल्य जब बढ़ गया तो फिर कम नहीं हुआ है लेकिन गन्ने के मूल्य को आपने पहले बढ़ाया और फिर कम कर दिया ।

हमारे प्रदेश में एक कुम्हार की जाति है जिस जाति के लगभग 10 लाख लोग शहरों में रहते हैं, उनकी जीविका के लिए एक ही समान है मिट्टी जिस मिट्टी के ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है, उसके लिए आपने मिट्टी की भी व्यवस्था नहीं की है । आप लोग जब उनके सम्मेलनों में आते हैं तो उनसे वायदा कर आते हैं कि हम अवश्य ही इसकी व्यवस्था करेंगे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है । इस मिट्टी के भाव भी बढ़ेंगे और विरोधी लोगों को आप लोग दोष देंगे कि उनको कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं ।

(4 बजकर 31 मिनट)

हरिजनों के लिए एक स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम चलायी गयी है । हमारे शासन काल में हमने एक योजना खाद्यान्न की चलायी थी । उसके अन्दर गांव-गांव में सड़कें बनायी गयी थीं, एक अन्त्योदय की भी योजना थी जिसमें गरीब लोगों की सहायता की गयी थी । आपने उन स्कीमों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और आई0 आर0 डी0 स्कीम में बदल दिया है । माननीय मंत्री जी हमारे देवरिया जनपद के वरिष्ठ आदमी हैं, मिनिस्टर बने बैठे हैं, आप हमारे इलाके में चले जाइये कि इन स्कीमों के अन्तर्गत कितनों को पशु मिले हैं और किस-किस परेशानी से मिले हैं । बस्ती में एक मेला लगता है । वहां पर देवरिया के डाक्टर पशुओं पर मुहर लगाते हैं कि ये पशु अच्छे हैं लेकिन वास्तव में वे खराब होते हैं । यही नहीं वे उन गरीब लोगों से 300-300 और 400-400 रूपये भी ले लेते हैं । आप हमारे रामपुर कारखाना और पथर देवा ब्लाक में चले जाइये और जानकारी प्राप्त कीजिए । अगर मेरी बात असत्य निकले तो जो सजा मुझे दी जाय उसे मैं भुगतने को तैयार हूं लेकिन छोटी बात मत कीजिए । अगर करनी है तो कीजिए अन्यथा कह दीजिए कि आपकी उसे करने की हिम्मत नहीं है ।

इसके बाद मैं बेरोजगारी की बात कहना चाहता हूं । इनके समय में लोगों को नौकरी दिलाने की कोई योजना नहीं है । न इन्होंने प्रदेश में कोई उद्योग ही खोले हैं । 20-25 साल के नौजवान आपके पीछे घूमते रहते हैं, वे चोरी और डकैती करते हैं । मान्यवर, आप हर एक विधायक की पुलिस से हिस्टरी मंगा लीजिए और पढ़कर सदन में सुना दीजिए कि किस की क्या हैसियत है, कौन कितने पानी में है ।

कृषि के मामले में मान्यवर, मेरा इलाके में एक पेंच है नदी के किनारे। उसके सम्बन्ध में मैंने 20 पत्र माननीय सिंचाई मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह जी के पास भेजे लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी लेकिन कहते हैं कि हम हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार देंगे। मान्यवर, आप महुवारी साहपुर पुरैनी के पश्चिम, और गौर कोठी टोला धर्मपुर गांवों में जाकर देखें वहां पर एक हजार एकड़ भूमि पड़ी हुयी है, वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। न वहां पर नहरें ही निकाली गयी हैं और न वहां पर ट्यूबवेल्स ही लगवाये गये हैं। वहां पर आकाश की वर्षा पर ही खेती निर्भर करती है।

मान्यवर, हमारे यहां पर एक मघवापुर सरौरा बांध बनाया गया था, जनता पार्टी के शासन काल में। उसका पेमेंट भी रोका गया और जो हुआ उसे अधिकारियों ने ले लिया। वहां पर 1200 एकड़ भूमि में 8-10 फुट पानी भर जाता है। अगर वह बांध पेंच जो खाली है पूरा हो जाता तो उस 1200 एकड़ में उत्पादन होता जो देश के हित में होता।

हरिजनों की यह सरकार बहुत बात करती है। हरिजनों की बस्ती के लिये हमारे यहां रामपुर कारखाना गांव में एक एकड़ 39 बिसवा जमीन छोड़ी गयी थी। मगर वहां के गांव वालों ने मिलकर अधिकारियों की साठगांठ से वह जमीन तो खुद गांव वालों ने ले ली और हरिजनों की बस्ती के लिये एक 5 फुट गहरा गड्ढा पड़ा हुआ था वह दे दिया। मैं चाहता हूं कि यह सरकार उसकी जांच करवाये। अगर मैं गलत कहता हूं तो मैं सजा पाने के लिये तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। अभी हमारे भाई रियासत साहब ने एक बात यह कही कि वर्ष 1978-79 में जो बजट पेश हुआ उसमें कुछ बढ़िया काम हुआ, मैं उनकी बात को ठीक मानता हूं, अगर ऐसी बात न होती तो आज हम यहां (सत्ता पक्ष में) और वे वहां न बैठे होते। जो बढ़िया काम हो उसका अवश्य समर्थन होना चाहिये। यह बात सही है, लेकिन उसको देखना चाहिये। आपके समय में जो वन विभाग के मंत्री थे, बाद को कानून मंत्री हो गये थे, उन्होंने क्या काम किया, बजट का सारा पैसा अपने ही क्षेत्र में खर्च किया।

(व्यवधान)

यहां पर मान्यवर, देवली और साढ़ूपुर कांड का जिक्र हुआ। अभी माननीय मोहन सिंह जी वहां गये थे। उन्होंने एक बात यह कही थी कि हरिजनों को वहां से हटाया जाये। जब वहां पर हरिजन ही नहीं रहेंगे तो पुलिस वहां जाकर इन्वेस्टीगेट कैसे करेगी? जांच का काम कैसे होगा? ऐसी बात करते हैं और हिमायत करते हैं हरिजनों की।

मेरा क्षेत्र खटीमा है और मेरे यहां नैनीताल का एक लड़का दीपक मोती महल लखनऊ से लापता हुआ और उसकी लाश को गोमती में फेंक दिया गया। मैंने गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि वे इसकी जांच करवायें और इस लड़के का पता लगवायें। अभी तक उसकी जानकारी नहीं हो सकी है।

[श्री बिहारी लाल--]

मेरे क्षेत्र म बेगुल नदी पर एक पुल का बनना बहुत आवश्यक है। उस पुल को बनवाने को व्यवस्था की जाये। जहां पर थारू जनजाति के लोग रहते हैं और हरिजन लोग रहते हैं, वहां का पुल अभी तक नहीं बनाया गया। पता नहीं अधिकारी लोग किस तरह से घुमा रहे हैं। माननीय मंत्री जी का आदेश हो जाता है, लेकिन उनका कार्यान्वियन नहीं होता है। इसमें अधिकारियों का दोष है। मंत्री लोग आदेश करते हैं, लेकिन जो काम नहीं हो रहा है, यह हमारे अधिकारियों की कमजोरी से नहीं हो रहा है। हमारे यहां जंगलात की जमीनें हैं, वहां पर काफी समय से थारू जाति के लोग बैठे हुए हैं, लेखपाल भी उनका नाम उस जमीन पर नहीं लिखता है। तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको देखा जाय कि जो लोग वर्षों से इस जमीन में बैठे हुए हैं, उनके नाम से वह जमीन आवंटित की जाय। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर हमारे टूरिस्ट विभाग के अधिकारी हों या सम्बन्धित मंत्री हों, हमारे यहां पर एक स्थान हरीशताल, ओखल कान्डा तथा पूतलोट नामक स्थान है, वहां पर टूरिस्ट स्थान होना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही आकर्षक स्थान है।

मान्यवर, यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अधिकारी लोग वहां पर कभी भी नहीं गये। वे कार से उतरने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे सम्मानित सदस्य, पक्ष के और विपक्ष के भी हैं, वे हमारे साथ दौरे पर चलें, मैं उनको दिखाऊंगा कि वह स्थान कितना सुन्दर है। तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि वहां पर टूरिस्ट स्थान बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री धरम पाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने बजट भाषण पर मुझे मौका दिया। माननीय दो नम्बर के मंत्री द्वारा प्रस्तुत दो नम्बर का जो बजट है, इसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हूं। इस बजट को देखने के बाद ऐसा लगा है जैसे कि कागज के खेत पर कलम का हल चला कर स्याही से सिंचाई की गयी है और आंकड़ों की फसल काटकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का फैसला किया गया है।

मान्यवर, पहली बार लगता है कि प्रदेश में बजट बनाते समय एक चीज इनको याद रह गयी कि घाटे का बजट बनाया जाय। ठीक ही है, घटिया आदमी घाटे का बजट ही सोचेगा। सोचिये आप, हमें उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन मान्यवर, इस घाटे को पूरा कैसे किया जायगा? इसके बारे में न शासन ने स्पष्ट किया है और न इसमें लिखा हुआ है और न इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने में ही सक्षम हैं। यदि कोई सक्षम है, तो मैं बैठ जाता हूं। मेरा ख्याल है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की पूरी योजना बनाये बैठे हैं। इसके बाद अनुपूरक बजट आयेगा। अगर ये अनुपूरक बजट न लायें, तो जो भी दन्ड आप देना चाहें मैं उसका भुगतने के लिये तैयार हूं। मान्यवर, बजट बनाने में कई चीजों की कल्पना करनी पड़ेगी कि क्या इससे किसानों को कुछ लाभ होगा, मजदूरों को कुछ लाभ होगा, महंगाई में कमी होगी। लेकिन इस बजट को बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि कल कारखाने किस प्रकार से लगाये जायंगे। पिछले साल आप 927 में से 500 बसें खरीद सके। इस साल 1 हजार खरीदने की सम्भावना बताई, लेकिन 600 तक की भी

सम्भावना नहीं दिखाई पड़ रही है। यह सरकार जैसी चल रही है, उसको हम आप तो देख ही रहे हैं, इसको प्रदेश की जनता भी देख रही है। जो वह भी देख रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है। यदि सरकार नाम की कोई चीज है, तो वह कलंक है। समस्यायें ज्यों की त्यों हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और अपव्यय बढ़ता जा रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी भटक गये हैं दिशा विहीन हो गये हैं ऐसा लगता है। यदि ऐसा न होता तो उत्तर प्रदेश मंडलीय मंत्री का काम क्या है। जिलाधिकारी के साथ वार्ता को कमिश्नर के माध्यम से मंत्रि-परिषद् तक पहुंचाना। मुझे मंडलीय मंत्रियों के बारे में दुख है कि इनके पास कोई काम नहीं है। डेढ़ वर्ष हो गये मंत्रि-परिषद् के मंत्रियों ने जूनियर मिनिस्टर को कोई काम नहीं दिया है। डिवीजन आफ वर्क हो नहीं पाया केवल बैठे-बठे तनख्वाह लेना और कुर्सियों के तोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री को अन्य मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह उनकी इच्छा से नहीं बने हैं, उनको तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बनाया है। इसलिये वह उनसे काम नहीं ले रहे हैं। मुझे कनिष्ठ मंत्रियों के प्रति पूरी सहानुभूति है जिनके पास कोई काम नहीं है। यह नमूना है प्रशासन को चलाने का। शर्मा जी फैजाबाद से इधर-उधर चलते रहते हैं हमारी दीदी भी लखनऊ डिवीजन में इधर-उधर घूमती रहती हैं, काम करना चाहती हैं, कार्य करने की क्षमता है लेकिन कोई काम दिया ही नहीं गया है, करें क्या। हमने ऐसा सुना है कि शीला कौल ने बनाया है कोई कहता है इन्दिरा गांधी ने बनाया है। मैं तो जानता था कि मेरिट पर बनी हैं लेकिन ऐसा लगता है कि मेरिट समाप्त कर दी गई है। यह अपाहिजों की सरकार, जिसको सरकार कहते हुये मैं शरमाता हूं। इस प्रदेश और देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। यह सरकार अरुण नेहरू की बैसाखी के सहारे और राजीव गांधी की बैसाखी के सहारे है। इससे प्रदेश के कल्याण की कल्पना नहीं की जा सकती है। अकबर के जमाने में जब वह नाबालिग था तो उसके मामा बहराम खां को गद्दी का काम चलाने के लिये नियुक्त किया गया था। राजीव गांधी के मामा अरुण नेहरू को भी बहराम खां की तरह काम चलाने के लिये नियुक्त किया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ तो सोचो इस प्रदेश और देश के लिये....

श्री अधिष्ठाता--

आप बजट पर बोलें।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, उसके बाद पुलिस विभाग में जीपों की खरीद के विषय में कहना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, माननीय गृह मंत्री जी अलग से सदन चला रहे हैं। मंत्री जी गृह विभाग में 11 सौ जीपों की खरीदारी होने जा रही है थानों में दिये जाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो थाने हैं उसमें इन जीपों को एस0 ओ0 चलायेंगे या डी0 वाई0 एस0 पी0 चलायेगा इनको चलायेगा कौन। इसका बजट में प्राविधान नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर जिले में सी0 ओ0 के पास जीपें हैं और उस पर व्यय हो रहा है। पुलिस विभाग तानाशाही और लूट का प्रतीक बन गया है। जिले में कोई ऐसा सी0 ओ0 नहीं है जिसके पास जीप न हों। मंत्री जी को इन बातों की तरफ देखने का समय नहीं है क्योंकि यह तो घिरे रहते हैं अपने बगलगीरों से। मान्यवर, इनके द्वारा प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है।

एक सदस्य—

आप नानपारा के बारे में कहें जो कार्य वहां पर किया है ।

श्री धरमपाल—

मान्यवर, प्रदेश के अंदर सड़कों के जाल की बात कही जाती है लेकिन आज प्रदेश में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो ठीक हो । कानपुर रोड पर मई में पेंटिंग हो रही थी लेकिन 4 महीनों के बाद फिर तोड़ कर वह बनाई जा रही है । इसलिये इस विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसके बारे में कहना न कहना बराबर है ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने स्वच्छ प्रशासन की बात कही है । तो मैं बताना चाहता हूं कि उनके नाक के नीचे ही एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, जो मंत्री जी के रिश्तेदार हैं, 16 वर्षों से लखनऊ में बैठे हैं । उनको न हटाने का कारण है कि वह रिजवी हैं, तो रिजवी कैसे उसको हटायेगा । इसी प्रकार बहुत भ्रष्टाचार है जिनके सम्बन्ध में विभागों के बजट पर चर्चा के समय कही जायेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं और मुख्य मंत्री से निवेदन है कि यदि कनिष्ठ मंत्रियों के पास काम नहीं है तो उनको वह काम दें ।

श्री राम समुझावन—

अधिष्ठाता महोदय, आपने 1982-83 के बजट पर मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो बजट प्रतिवर्ष पेश किया जाता है वह इसलिये कि प्रदेश की जितनी आय हो उसके अनुसार योजनाओं के अन्तर्गत उसको खर्च किया जाय, चाहे वह कोई भी सरकार हो उसे भी यह बजट पेश करना पड़ता है और उसी तहत यह बजट पेश किया गया है । मान्यवर, विरोध पक्ष से जो भी माननीय सदस्य खड़े हुये हैं उन्होंने कहा है कि यह बजट घाटे का पेश किया गया है या यह बजट जो पेश किया गया है वह लाभकारी नहीं है । मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है । चूंकि बजट में जो पैसा दिया गया है वह उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिये खर्च करने के लिये है जो सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, उद्योग आदि में उत्थान के कार्य करने हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में निवेदन है कि पता नहीं सरकार का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जाता है जिससे वह काम अधूरे पड़े रहते हैं । मान्यवर, 1975-76 के बजट में कुछ सड़कें हमारे जौनपुर जनपद में स्वीकृत हुई थीं, जैसे बजरंग नगर से कोयलारी जो 5 किलोमीटर सड़क है उस पर 3 किलोमीटर तक काम हुआ और 2 किलोमीटर का काम रुका है । इसी तरह दूसरी सड़क खुज्जी मोड़ से मढ़ी पतरही तक जिसको पी0 डब्ल्यू0 डी0 ने मान लिया है, मिट्टी पड़ी लेकिन कई वर्षों से उस पर बाकी काम ठप पड़ा है । मान्यवर, क्षेत्र की जनता कहती है कि यह सड़कें पूरी क्यों नहीं बनायी जाती हैं जब कि इसके सम्बन्ध में सरकार को हमने लिखा भी लेकिन फिर भी वह सड़कें पता नहीं क्यों अधूरी पड़ी हैं । इसलिये इनके बनाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, इसी तरह बाढ़ से हमारा क्षेत्र ग्रसित रहा है और प्रति वर्ष वहां बाढ़ आती है । तो सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि योजना बनायी जा रही है बाढ़ की रुकावट के लिये । यहां के मंत्रीगण और सेन्ट्रल से मंत्री आये लेकिन जौनपुर को बाढ़ से बचाने के लिये कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है । मान्यवर, किराकत हेडक्वार्टर गोमती नदी के किनारे बसा है, वहां कटाव हो गया है जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सर्वे हो रहा

तब ठोकरें बनायी जायेंगी लेकिन वहां अभी तक कोई कार्य इस प्रकार का नहीं हुआ है ।

मान्यवर, जहां तक हमारे क्षेत्र का सवाल है वहां घनी आबादी है और वहां के लोग बाहर जाकर रोजगार करते हैं लेकिन जितनी भी जमीन है वह अच्छी है लेकिन सिंचाई के अभाव में वहां जितना अन्न उत्पादन होना चाहिये उतना नहीं हो पा रहा है । हमारे क्षेत्र में गौराबादशाह पुर-पतरही और मड़ियाहूं केराकत, यह दो नहरें बनी हुयी हैं । इसमें से एक नहर मड़ियाहूं-केराकत में पानी इतना ज्यादा जाता है या यह कहिये कि नहर का लेविल इतना ऊंचा है कि अक्सर वह नहर टूट जाती है और खेतों में पानी भर जाता है और फसल का नुकसान होता । पानी खेतों में हफ्तों जमा रहता है । इस सीजन में वह नहर 10,12 बार टूट चुकी है । डी0एम0 को लिखा गया और यहां पर भी लिख कर भेजा गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । वहां पर टंड़वा और मैगा पंप कैनाल है लेकिन उससे पानी नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां पर बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है जिससे पानी नहीं दे पाते हैं । यदि इस पंप कैनाल से पानी दिया जाता तो नहर न टूटती ।

दूसरी बात मैं गौराबादशाहपुर-पतरही नहर के बारे में कहना चाहता हूं । कागजों में दिखाया गया है कि वह नहर पूरी हो गयी है लेकिन वह नहर पूरी नहीं हुयी है । नहर में जब पानी जाता है तो गांव पानी से डूब जाते हैं और फसलों का बड़ा नुकसान होता है । फसल बरबाद हो जाती है । मैं समझता हूं कि अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाय तो अवश्य ही किसानों का लाभ होगा ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि मेरा अनुमान है कि सरकारी अधिकारी जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं वह काम वह किस ढंग से करते हैं और उनकी जिम्मेदारी है या नहीं यह बात समझ में नहीं आती है । मैं समझता हूं कि मंत्री-गण यदि विधायकों की बातों को ध्यान से सुनें और कार्यवाही करें तो ज्यादा लाभ हो सकता है । मंत्री लोग जब जिलों में जाते हैं तो सूचना देकर जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि सरकारी अफसर अगवानी करते हैं और अपनी बात कहते हैं । मेरा सुझाव है कि मंत्रीगण जब क्षेत्रों में जायं और जिलों में जायं तो अधिकारियों को पूर्व सूचना न दें और उनके कार्यों को जाकर देखें और विवेचना करें तो बहुत सी गलतियां मिलेगी । उनके आधार पर यदि सजेशन देंगे तो निश्चित है कि सरकार के कार्यों में काफी सुधार होगा । यह जो बजट पेश किया गया है इससे चाहे किसान हों चाहे हरिजन हों या चाहे कोई और हो सबके उत्थान के लिये काफी पैसा दिया गया है । इसमें देश और प्रदेश की जनता का हित है । उद्योगों के लिये भी बजट में प्राविधान किया गया और उद्योगों को बढ़ाने के लिये सुविधा दी गयी है । मैं, जो बजट सरकार ने पेश किया है, उसका अनुमोदन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आय-व्ययक पर कल चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज नियम 51 में 7 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । उसमें से पहली सूचना को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया है जो श्री सरदार सिंह ने दिनांक 28/29 की

[श्री अधिष्ठाता—]

रात को मथुरा जनपद के ग्राम जैत के निवासी श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल की पुत्री के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में दी है। मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य होगा ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

9 तारीख को वक्तव्य रख लें ?

श्री अधिष्ठाता—

9 तारीख को मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

ग्राम जहांगीराबाद और जटपुरा के बीच में काशीपुर-मुरादाबाद रोड पर बस के लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 अन्तर्गत वक्तव्य

(4 बजकर 58 मिनट)

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

दिनांक 22-1-82 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की डीलक्स बस संख्या यू0 आर0 के0 8806 सायंकाल साढ़े 6 बजे रामनगर से मुरादाबाद के लिए चली जिसमें साढ़े 42 सवारियाँ थीं। यह बस जब काशीपुर पर कुछ देर रुकी थी तब इस पर 6 सवारियां और बैठी थीं। लगभग साढ़े 7 बजे सायंकाल पर यह बस काशीपुर से ठाकुरद्वारा होती हुई मुरादाबाद के लिए चल दी। प्राप्त सूचना के अनुसार जब यह ठाकुरद्वारा बाईपास से होकर गुजर रही थी तो ठाकुरद्वारा के 2 सशस्त्र सिपाहियों ने इशारा देकर बस को रुकवाकर मुरादाबाद तक स्कोर्ट करने के लिए रुकवाना चाहा परन्तु ड्राइवर ने बस को नहीं रोका। लगभग साढ़े 8 बजे सायंकाल जैसे ही यह बस जंगल ग्राम जहांगीरपुर थाना डिलारी के पास आई तो बस में 5 बदमाश जो रामनगर से बैठे हुए आ रहे थे एकदम तमंचे व चाकू निकाल कर खड़े हो गये और बस ड्राइवर को गाली देते हुए बस को धीमी चलने के लिए कहा। चाल धीमी होने पर बस के कन्डक्टर श्री रमाकांत शर्मा ने ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी धीमी क्यों कर दी क्या बात है तभी ड्राइवर के पास खड़े तमंचे वाले ने कंडक्टर की तरफ फायर कर दिया जिसके छर्रे कंडक्टर तथा आठ अन्य सफर कर रहे मुसाफिरों के लगे जिनमें एक महिला श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री शंकर दत्त भी शामिल हैं। सभी को साधारण चोटें आईं। बस कन्डक्टर जो खिड़की के पास बैठा था खिड़की खोलकर नीचे कूदकर कैंश के साथ भाग गया। धीमे-धीमे चलती हुई बस में पांचों बदमाशों ने 14 मुसाफिरों से नकद 1,982 रुपया तथा घड़ियां, कपड़े आदि कुल कीमत रुपया 6,497 की लूट की और ग्राम सिडावली के पास बस रुकवाकर भाग गये। इसकी सूचना बस के ड्राइवर श्री अब्दुल अतीक पुत्र भूरे खां ने साढ़े नौ बजे रात्रि मुरादाबाद में थाना कटघर में आकर दी जिसका मुकद्दमा अपराध संख्या शून्य धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत सम्बन्धित थाना डिलारी को भेज दी गई तथा घायलों को उपचार हेतु अस्पताल मुरादाबाद भेज दिया गया। इस घटना की सूचना वायरलेस द्वारा तुरंत सभी स्थानों को दे दी गई। क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा, नगर (प्रथम), नगर (द्वितीय) मय फोर्स के तुरंत मौके पर पहुंच गये और चौकी

भोजपुर, थाना डिलारी, थाना ठाकुरद्वारा एवं थाना भगतपुर की फोर्स द्वारा तुरंत घटना स्थल के क्षेत्र को घेरा डालकर बदमाशों को ढूंढ़ने का भरसक प्रयत्न किया गया। बस का कंडक्टर रमाकांत शर्मा दूसरी बस द्वारा सकुशल मुरादाबाद पहुंच गया। थाना डिलारी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पहुंचने पर इसका अपराध संख्या 10/82 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया तथा विवेचना थानाध्यक्ष श्री अचपल सिंह त्यागी द्वारा की जा रही है।

2––इस अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त मोहम्मद हनीफ पुत्र तफज्जुल हुसैन, निवासी पीपलखाना, थाना भोजपुर दिनांक 31–1–82 को मय एक नाजायज देशी एस0 बी0 बी0 एल0 गन तथा 3 कारतूस 12 बोर के गिरफ्तार किया गया जिसका अपराध संख्या 15/82 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत किया गया। पूछताछ के दौरान इसने उपरोक्त अभियोग को स्वीकार करते हुए अपने दो साथी जुम्मा पुत्र अइय्या, निवासी पीपलखाना, थाना भोजपुर तथा रामचन्द्र पुत्र ठकुरी, निवासी मिलक पीपलखाना, थाना भोजपुर को भी शरीक जुर्म होना बतलाया तथा शेष 2 अभियुक्तों को रामचन्द्र के द्वारा लाया जाना बतलाया उनके नामों से उसने अनभिज्ञता प्रकट की। अभियुक्त मोहम्मद हनीफ के घर से इस डकैती में लूटी हुई एक अटैची, एक पैंट और एक कमीज टेरीकाट की दिनांक 31–1–82 को बरामद हुई और उसे इसी तिथि को जेल भेज दिया गया।

3––यह आरोप कि थाना डिलारी के क्षेत्र में नित्य प्रति चोरी, डकैती तथा लूट की वारदातें होती रहती हैं की पुष्टि इस क्षेत्र के गत वर्ष के आंकड़ों से नहीं हो पाती है। गत वर्ष 1–1–80 से 30–1–80 की अवधि के अन्तर्गत चोरी की 5 घटनायें और वर्ष 1981 की इसी अवधि में लूट की तथा चोरी की 4 घटनायें हुईं जब कि वर्ष 1982 में इसी अवधि के दौरान चोरी की केवल 3 घटनायें तथा डकैती की केवल एक संदर्भित घटना हुई है। रात्रि में सुरक्षा हेतु 6 स्थानों पर सशस्त्र पुलिस की पिकेट रहती है तथा 2 सशस्त्र सिपाही ठाकुरद्वारा से तथा 2 कानिस्टेबिल सशस्त्र मुरादाबाद से इस रोड पर मुरादाबाद ठाकुरद्वारा के बीच बस, ट्रक आदि से रात्रि भर गश्त करते रहते हैं। अतः यह कहना सत्य नहीं है कि संदर्भित घटना के कारण थाना भगतपुर डिलारी, ठाकुरद्वारा एवं भोजपुर के क्षेत्र म आतंक व्याप्त है।

श्री रियासत हुसैन––

माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें 'तुरंत' इस्तेमाल किया गया कि जब थाना कटघर में रिपोर्ट हुई तो सारी फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गयी और घेरा डाल दिया। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सुढावली गांव, जिसके पास वे बदमाश वारदात करके उतरे, वारदात करते रहे और उतर गये, तो जब पुलिस तुरंत एक्शन में आयी तो क्या उसने जहांगीरपुर, सुढावली, हिमायूंपुर, चांदपुर, हमीपुरा, कूरी और शिवरावपुर गांव में, जो कि सुढावली गांव के 3 कि0 मी0 के दायरे में हैं, आपके फोर्स ने किस–किस गांव में छानबीन की? यदि नहीं की गयी, तो इन गांवों को क्यों छोड़ा गया?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

मान्यवर, यह जो गांव माननीय सदस्य कह रहे हैं, जो सूचना उपलब्ध है उसमें यह है कि जहां भी सुराग मिल रहा था, वहां उन्होंने घेरा डाला, अगर माननीय

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

सदस्य बता रहे ह कि यहां सुराग रहा, तो मैं पता लगाऊंगा कि घेरा डाला या नहीं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा माननीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 'पता लगाऊंगा' तो क्या वे इस बात का भी पता लगायेंगे कि जो लोग इस गांव में रहते हैं उनकी बिरादरी और सी० ओ० की बिरादरी, जो 3 साल 8 माह से उसी जगह पर है, एक है और उन लोगों ने इसीलिये रिश्तेदारी निकाल ली है और वहीं वारदात करते हैं, जो उनसे सम्बन्धित हैं । तो क्या माननीय मन्त्री जी इसका भी पता लगायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय रियासत साहब के सुझाव पर जब जांच कराऊंगा तो इस बिन्दु को भी दिखला लूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, एक और बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा । क्या माननीय गृह मन्त्री जी इस बात की तरफ ध्यान देने की कृपा करेंगे कि नाइट सर्विस जो चलती है काशीपुर से दिल्ली को, उन सब में आर्म्ड गार्ड्स के दो-दो सिपाही चलते हैं, आपने लिखा कि ठाकुरद्वारा से हाथ दिया आर्म्स गार्ड्स ने ड्राइवर बस नहीं रोकी, तो अगर इस बस में जो नाइट सर्विस है उसमें अगर आर्म्ड गार्ड्स चलते होंगे तो या तो रामनगर से चढ़ेंगे और अगर ठाकुरद्वारे से प्रोग्राम होगा तो वहां से चढ़ेंगे, तो आपने कहा कि बाई पास पर आर्म्स गार्ड्स ने हाथ दिया, इसके बाद भी ड्राइवर ने बस को नहीं रोका, तो क्या उन आर्म्ड गार्ड्स के नाम भी मालूम करने की कृपा करेंगे कि हाथ दिया या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह तो पहले से ही पूछताछ के लिये उनका नाम लिया जा रहा है और दोनों सिपाहियों से पूछताछ की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

आपने कहा कि आर्म्ड गार्ड्स ने हाथ दिया । यह मालूम होता है कि आप सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर डालना चाहते हैं । यह स्टेटमेन्ट आपका यह बतला रहा है । नाइट सर्विस में जैसे आर्म्ड गार्ड चलते हैं तो उस बस में आर्म्ड गार्ड नहीं चला होगा और यदि था तो निश्चित ही उसकी सीट अलग होगी । आपका कहना है कि आर्म्ड गार्ड ने हाथ दिया, ड्राईवर ने बस को नहीं रोका । तो या तो नाइट सर्विस में आर्म्ड गार्ड नहीं चलता होगा तो ड्राईवर ने रास्ते में बस को नहीं रोका । ऐसी स्थिति में बस के रोकने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

मान्यवर, जब आपने यहां पर इसको नियम 51 में ले लिया है तब वहां पर मूवमेन्ट हुआ । श्रीमन्, जहां पर यह घटना हुई है और जहां पर ये बता रहे हैं उसमें 11 किलोमीटर की दूरी का अन्तर है । वहां पर आपने एक मुसलमान को

और एक हरिजन को अपने कारनामें के लिये धर लिया वहां के एस0 ओ0 ने उसे पकड़ लिया। इस सम्बन्ध में यहां से वायरलेस देने के बावजूद भी उस आदमी को नहीं पकड़ सके क्या आप इस पर भी विचार करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि उस पर कोई दो पुलिस के आर्म्ड गार्ड चलते थे। वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्म्ड गार्ड उसमें चलते थे, यह बात नहीं थी बल्कि जो आर्म्ड गार्ड ने हाथ दिया उनकी ड्यूटी मुराद बाद तक स्कोर्ट करने के लिये थी, लेकिन ड्राईवर ने गाड़ी को नहीं रोका। इसलिये इन बिन्दुओं को भी देखा जा रहा है कि सिपाहियों ने कहां पर हाथ दिया और उन्होंने क्यों नहीं बस को रोका। जहां तक माननीय सदस्य का एक बिन्दु है उसको पकड़ने का, ताकि वहां के लोगों को पकड़ कर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, इसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही निवेदन किया है कि यथोचित इन बिन्दुओं पर ध्यान देकर कार्यवाही की जायेगी।

श्री गौरी शंकर भैय्या––

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां–जहां बसों का पुलिस द्वारा स्कोर्ट करने की व्यवस्था है वहां बैरियर लगाये जाते हैं। वहां पर से आर्म्ड गार्ड को लेकर निश्चित दूरी पर उनको भेजने का काम करते हैं। तो जहां पर आपके सिपाही खड़े हुए थे वहां कोई बैरियर क्या लगा हुआ था ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

डा0 बृज किशोर मिश्र––

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के सम्बन्ध में एक बात····

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठिये, मैंने गृह मंत्री जी को उत्तर देने के लिये बुला लिया है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

मान्यवर, जिस स्थान पर यह वाकया हुआ है उस स्थान पर बैरियर नहीं लगे थे। अमूमन बस के लिये बैरियर का प्रयोग नहीं किया जाता है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र––

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से उनके वक्तव्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां पर नियमानुसार यदि ड्राइवर को बस रोकनी चाहिये थी और उसने वहां पर बस को नहीं रोका और इतनी बड़ी घटना हो गयी तो क्या माननीय मंत्री जी उस ड्राइवर को सस्पेन्ड करेंगे ? यदि नहीं किया तो कब तक कर देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए यदि ड्राइवर अपराधी पाया जायेगा तो उसे दन्ड अवश्य मिलेगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी, जैसा उन्होंने कहा, मैं पहले बता दूं, ठाकुर द्वारे पर बैरियर लगा है। दूसरी बात क्या इसकी भी जांच करेंगे, जिन सिपाहियों के बारे में आप कह रहे हैं कि हाथ दिया और जाना चाहते थे और ड्राइवर ने बस रोकी नहीं, तो निश्चित रूप से उन्होंने ठाकुर द्वारा थाने में इसकी रिपोर्ट करायी होगी कि हम ड्यूटी पर जाना चाहते थे लेकिन ड्राइवर ने बस रोकी नहीं इसलिए नहीं जा सके, क्या इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस बिन्दु को भी देख कर जांच करायी जायेगी।

श्री भीखा लाल--

गृह मंत्री जी ने जो स्कोर्ट की बात कही और बाई-पास पर जो सिपाहियों ने हाथ दिया और उन्होंने नहीं रोका, तो यह बस नई तो चली नहीं होगी, रोज चलती होगी। तो क्या रोजाना बाई-पास से ही स्कोर्ट जाता था या दूसरी जगह से ? और अगर दूसरी जगह से जाता था तो निश्चित स्थान से वह बस पर क्यों नहीं गये ? और अगर वह निश्चित स्थान नहीं था और ड्राइवर ने बस नहीं रोकी तो उसमें कोई गलती नहीं क्योंकि आजकल डकैत और पुलिस एक ही वर्दी में मिलते हैं, इसलिए गलती ड्राइवर की नहीं है बल्कि उनकी है। क्या इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इन बिन्दुओं को भी देखा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
3 फरवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 248 पर ।)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्ष 1980-81 में आवंटित नलकूपों का जनपदवार विवरण :

क्रमांक	जनपद का नाम	वर्ष 1980-81 में स्वीकृत नलकूप
1	2	3
1	मेरठ	5
2	सहारनपुर	9
3	देहरादून	4
4	मुजफ्फरनगर	8
5	गाजियाबाद	10
6	अलीगढ़	14
7	बुलन्दशहर	5
8	मुरादाबाद	29
9	बिजनौर	24
10	रामपुर	9
11	गढ़वाल	1
12	बरेली	39
13	नैनीताल	15
14	पीलीभीत	5
15	बदायूं	28
16	शाहजहांपुर	17
17	मैनपुरी	9
18	मथुरा	4
19	आगरा	20
20	एटा	24
21	कानपुर	32

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	
22	फर्रुखाबाद	5	
23	फतेहपुर	42	10 नलकूप जहांनाबाद क्षेत्र हेतु ।
24	इटावा	24	
25	इलाहाबाद	60	50 मेजा, करछना तथा बारा क्षेत्रों के लिये ।
26	हमीरपुर	32	
27	जालौन	32	
28	बांदा	62	18 नलकूप तिन्दवारी क्षेत्र हेतु ।
29	लखनऊ	24	
30	उन्नाव	10	5 नलकूप भड़हा क्षेत्र हेतु ।
31	हरदोई	14	
32	सीतापुर	44	
33	रायबरेली	33	
34	खीरी	14	
35	फैजाबाद	20	
36	बाराबंकी	23	
37	गोन्डा	22	1 नलकूप तुलसीपुर चीनी मिल क्षेत्र हेतु ।
38	बहराईच	9	
39	सुल्तानपुर	62	
40	गोरखपुर	54 + 10 = 64	शासनादेश संख्या 1514-टी/81-23-सि-5, दिनांक 4-5-81 द्वारा 10 नलकूपों का गोरखपुर जनपद में मनीरामपुर विधान सभा के क्षेत्र के लिये विशेष आवंटन किया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3
41	बस्ती	37+5=42	शासनादेश सं0 1514-टी/81-23-सि-5, दिनांक 4-5-81 द्वारा 5 नलकूपों का बस्ती जनपद को नगर पूरब विधान सभा क्षेत्र में विशेष आवंटन किया गया। 5 नलकूप शोहरतगढ़ क्षेत्र के लिये।
42	देवरिया	37	
43	वाराणसी	32	2 नलकूप काशी सहकारी चीनी मिल हेतु 10 नलकूप भदोई क्षेत्र के लिए।
44	मिर्जापुर	24	
45	गाजीपुर	14	
46	बलिया	37	
47	आजमगढ़	9	
48	जौनपुर	14	
49	प्रतापगढ़	19	
	कुल योग ..	1135	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 263 पर।)

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम पद नाम	सेवाकाल नियुक्ति तिथि	सेवा अवधि	वेतन
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
1	राम आसरे, चौकीदार	1-10-59	22 वर्ष, 2 माह	181 रु0
2	छोटे खां, चौकीदार	22-4-59	22 वर्ष, 9 माह	185 रु0
3	आर0 पी0 त्रिवेदी, चौकीदार	30-9-65	16 वर्ष, 3 माह	185 रु0
4	तपेश्वरी पान्डे, चौकीदार	31-7-73	8 वर्ष, 5 माह	181 रु0
5	उमेश कुमार तिवारी, चौकीदार	23-2-79	2 वर्ष, 9 माह	165 रु0
6	ब्रजपाल सिंह, चौकीदार	26-6-69	12 वर्ष, 6 माह	165 रु0
7	विपिन बिहारी, पार्ट टाइम चौकीदार	8-4-76	5 वर्ष, 8 माह	100 रु0 प्रतिमाह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	भोला, सफाई कर्मचारी	13-2-58	23 वर्ष, 10 माह	185 रु0
9	छोटे लाल, सफाई कर्मचारी	24-9-58	23 वर्ष, 3 माह	185 रु0
10	मटरु, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी	1-8-79	2 वर्ष, 4 माह	100 रु0 प्रतिमाह
11	रामू, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी	16-4-76	5 वर्ष, 8 माह	100 रु0 प्रतिमाह
12	सुन्दर, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी	10-9-74	7 वर्ष, 3 माह	100 रु0 प्रतिमाह
13	राम चन्द, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी	1-11-73	8 वर्ष, 2 माह	100 रु0 प्रतिमाह
14	सुरजन लाल, प्याऊ	1-12-78	3 वर्ष, 1 माह	171 रु0
15	सी0बी0 मणि त्रिपाठी, प्याऊ	12-9-80	1 वर्ष, 3 माह	165 रु0
16	वीरपाल सिंह, पार्ट टाइम प्याऊ	1-4-77	4 वर्ष, 9 माह	100 रु0
17	राम सरन, पार्ट टाइम प्याऊ	1-3-75	9 वर्ष, 10 माह	100 रु0 प्रतिमाह

नियमित कर्मचारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर देय भत्ते प्रदान किये जाते हैं तथा पार्ट टाइम कर्मचारियों को कोई भत्ता नहीं प्रदान किया जाता है। क्रम संख्या 1 का कर्मचारी निलम्बित चल रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 268 पर ।)

सूची

कुमाऊं क्षेत्र में माह सितम्बर तथा अक्तूबर, 1961 में आफ रोड बसों की संख्या व अवधि

माह	आफ रोड बसों की संख्या व अवधि		
	एक माह से कम	एक माह से अधिक परन्तु दो माह तक	दो माह से अधिक
सितम्बर, 1981	33	23	19
अक्तूबर, 1981	39	23	30

पी0 एस0 यू0 पी0—9 वि0 सभा—13-5-83—835—(पी0 डी0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा